Trans.
20.1.64

तृतीय माला, खण्ड २३—अंक १५

शुक्रवार, ६ दिसम्बर, १९६३
१५ अग्रहायण, १८८५ (शक)

लोक-सभा
वाद-विवाद

(छठा सत्र)

3rd Lok Sabha

(खण्ड २३ में अंक ११ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

एक रुपया

विषय-सूची

पृष्ठ

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

तारांकित *प्रश्न संख्या ४१४ से ४१६, ४१८ से ४२१ और ४२३ से ४२८ . . . . १७४९–७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या ४२६ और ४३१ से ४४३ . . . १७७४–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ११६४ से १२६६ और १२६८ . . १७८०–१८१५

ध्यान दिलाने वाली सूचनाओं सम्बन्धी प्रक्रिया के बारे में . . १८१६–१७

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . १८१७–२०

एक बिना चौकीदार वाले रेल के फाटक पर एक लारी की हावड़ा मद्रास एक्सप्रेस के साथ हुई टक्कर

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . . . . १८२०—२१

लोक लेखा समिति १८२१

सोलहवां प्रतिवेदन

सभा का कार्य . . . . . . १८२१—२२

सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण . . . १८२२—२३

तीसरी पंचवर्षीय योजना के मध्यकालीन मूल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव १८२३–३२

श्री द्वा० ना० तिवारी . . . . १८२३—२४

श्री इन्द्रजीत गुप्त . १८२४–२७

श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी . . १८२७–२६

श्रीमती रेणुका राय . . . १८३०—३१

श्री दी० चं० शर्मा . . . . . . १८३१—३२

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति .

उनतीसवां प्रतिवेदन १८३२

---

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

[शेष मुख्य पृष्ठ तीन पर देखिये]

लोक-सभा

शुक्रवार, ६ दिसम्बर, १९६३
१५ अग्रहायण, १८८५ (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ट्रैक्टरों का निर्माण

*४१४. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत में बन रहे ट्रैक्टर आयात किये गये ट्रैक्टरों की तुलना में कई गुना महंग हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन ट्रैक्टरों के अधिकांश पुर्जों का आयात किया जाता है? और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इन पुर्जों को उचित मूल्य पर उपलब्ध कराने के लिए और कोई कार्यवाही कर रही है ?

इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) देश में बनाये गये ट्रैक्टर आयात किये गये ट्रैक्टरों की तुलना में महंगे हैं ।

(ख) जी नहीं । इस समय ट्रैक्टरों के ५५ प्रतिशत पुर्जे देश में बनाये जा रहे हैं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : श्रीमन्, क्या मैं यह जान सकता हूं कि भारतीय किसानों को ये ट्रैक्टर सस्ते दामों पर भी मिल सकें इसके लिए भी क्या कुछ यत्न किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या ?

श्री प्र० चं० सेठी : इस समय तो ट्रैक्टर बन रहा हैं वे जरूर महंगे हैं, लेकिन आशा की जाती है कि उनकी उत्पादन क्षमता . . . .

अध्यक्ष महोदय : उनको सस्ता करने के लिए क्या कर रहे हैं ?

श्री प्र० चं० सेठी : उनकी उत्पादन क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। उत्पादन क्षमता बढ़ जाने से कीमत कम होने की आशा है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं जानना चाहता हूं कि जो ट्रेक्टर वहां बन रहे हैं वे बाहर से आने वाले ट्रेक्टरों की अपेक्षा कितने महंगे पड़ेंगे ? उनका दाम बाहर के ट्रैक्टरों से कितना प्रतिशत ज्यादा होगा ?

श्री प्र० चं० सेठी : तीन किस्म के ट्रैक्टरों का उत्पादन शुरू हो गया है, अर्थात् आइचर, जेटार और फारगुसन ट्रैक्टरों का, और चौथा ट्रेक्टर इंटरनेशनल हारवेस्टर, आशा है, सन् १९६४ तक बम्बई में महेन्डा एंड महेन्द्रा द्वारा बनाया जाने लगेगा। जहां तक इनकी कीमत का ताल्लुक है आइचर ट्रैक्टर वहां १३,५०० में पड़ता है और बाहर से (सी० आर० एफ०) ८,२५० में आता है, इसी तरह जेटर का दाम वहां १४,८५० पड़ता है, पर बाहर से वह ११,२०० का आता है और फारगुसन ट्रैक्टर का इस देश का दाम है १५,७५०, पर बाहर से यह ९,६३० का आता है।

श्री राम सेवक यादव : मैं जानना चाहता हूं कि जब ५० प्रतिशत सामान यहां बनता है तो फिर मूल्यों में इतना अन्तर क्यों है ?

श्री प्र० चं० सेठी : इसका कारण वह है कि अभी कारखानों की उत्पादन क्षमता कम है, पूरी हद तक नहीं पहुंची है। और जो सामान वहां बनता है वह भी कम बन रहा है, इसलिए वह भी स्वाभाविक तौर पर महंगा पड़ता है, इसलिए ट्रक्टरों की कीमत ज्यादा पड़ती है।

†श्री उ० मू० त्रिवेदी : क्या माननीय मंत्री जी वह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशों में हम से ज्यादा तनखाह और मजदूरी होते हुए भी एक चीज सस्ती बनती है और वही चीज यहां बनाने पर महंगी बनती है इसका क्या कारण है। क्या इस बारे में सरकार की तरफ से कोई अन्वेषण किया जा रहा है ?

†इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : जी हां, उत्पादन का एक निश्चित स्तर आ जाने पर अनुसंधान किया जाता है। उन्होंने अभी उत्पादन आरम्भ किया है और पूर्ण उत्पादन शुरू नहीं हुआ। जब वे पूर्व उत्पादन करने लगेंगे, हमारे लागत लेखा परीक्षक समीक्षा करेंगे और तब लागत निर्धारित की जायेगी।

श्री यशपाल सिंह : क्या सरकार ऐसा खयाल करती है कि अगर काश्तकारों को ट्रैक्टर हायर परचेज सिस्टम पर दिये जायें तो उनको कीमत भी कम देनी पड़ेगी और सुविधा भी अधिक होगी ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : ऋण किसानों को कृषि विभाग द्वारा ट्रेक्टर खरीदने के लिये दिये जाते हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री बड़े: क्या टैरिफ कमीशन ने ऐसी कोई सिफारिश की है कि जो ट्रेक्टर इम्पोर्ट होने हैं उन पर रोक लगानी चाहिए ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** अभी तक ट्रैक्टर उद्योग के संबंध में प्रशुल्क आयोग ने कोई जांच नहीं की ।

†**श्री कपूर सिंह :** क्या शुद्ध स्वदेशी ट्रैक्टर बनाने का कोई लक्षित कार्यक्रम है? यदि हां, तो उसकी सीमा क्या है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** सभी उत्पादन एककों में, वास्तव में, हम देशी पुर्जों की मात्रा को बढ़ाने का भरपक प्रयत्न कर रहे हैं, क्योंकि बराबर के पुर्जे प्राप्त करने के लिये विदेशी मुद्रा प्राप्त करना अधिकाधिक कठिन हो रहा है । अतः ट्रैक्टर उद्योग के संबंध में भी, हम उत्पादकों पर देशी पुर्जों के प्रयोग को बढ़ाने के लिये जोर दे रहे हैं ।

†**श्री कपूर सिंह :** क्या लक्षित कार्यक्रम निर्धारित किया गया है, और यदि हां, तो सीमा क्या है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** इस उद्योग के लिये कोई लक्षित कार्यक्रम नहीं बनाया गया है ।

श्री वारियर : ये पुर्जे कहां से आयात किये जाते हैं ? इन विदेशी पुर्जों को कौन भेजते हैं और क्या वे अधिक दाम लेते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि हमारे देशी पुर्जों के दाम बढ़ रहे हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** पुर्जे हमारे सहयोगियों से आयात किये जाते हैं । हम हमेशा यह कोशिश करते हैं कि हमें सहयोगियों से ठीक कीमतों पर वस्तुएं मिलें ।

†**श्री राम सेवक यादव :** किस देश से ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** सहयोग के अनुसार इस में अन्तर होता रहता है । उदाहरण के लिये, प्रत्येक उत्पादक का सहयोगी भिन्न २ देश में होता है । उन देशों में वे चीजें प्राप्त करते हैं ।

श्री क० ना० तिवारी : क्या यह सही है कि जो पार्ट हिन्दुस्तान में बनते हैं वे बाहर से मंगाए जाने वाले पार्ट्स से कमजोर होते हैं और इसलिए किसान देशी पार्ट्स को पसन्द नहीं करते ? यदि ऐसा है, तो सरकार हिन्दुस्तान में बनने वाले पार्ट्स को बाहर से आने वाले पार्ट्स जैसा मजबूत बनाने के लिए क्या कार्रवाई कर रही है ?

श्री प्र० चं० सेठी : ऐसी कोई शिकायत हमारे पास नहीं आयी है, और जो पार्ट यहां बनते हैं वे विदेशी मैन्युफैक्चरर्स के कोलेबोरेशन से बनते हैं, इसलिए उनमें और विदेशी पार्ट्स में कोई अन्तर नहीं है ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि जो ट्रैक्टर हिन्दुस्तान में बन रहे हैं वे कितने-कितने हार्स पावर के हैं ; और क्या इनकी कड़ी मिट्टी में और नरम मिट्टी में जोत कर परीक्षा की गयी है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री प्र० चं० सेठी : जहां तक परीक्षा का सम्बन्ध है एग्रीकल्चर विभाग द्वारा जिनकी सिफारिश की गयी है उनको ही मंजूर किया गया है। जहां तक हार्स पावर का सवाल है, १२ से १८ ड्रा बार हार्स पावर, २० से ३० ड्रा बार हार्स पावर और ३५ से ४५ ड्रा बार हार्स पावर, तीन किस्म के ट्रैक्टर बनाए जा रहे हैं ।

†**श्री शिवनंजप्पा :** क्या इनमें से कोई फैक्टरी हमारे आयुध कारखानों में बनाये पुर्जों का प्रयोग करती है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** मुझे इसकी सूचना नहीं ।

"टिस्को"

†*४१५. **श्री स० मो० बनर्जी:** क्या **इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रसार के लिये "टिस्को" को दिया गया दस करोड़ रुपये का ब्याज-मुक्त ऋण अभी तक पूरा वसूल नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ; और

(ग) कितनी राशि वसूल हो चुकी है ?

†**इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क) से (ग). विशेष ऋण और ब्याज को वसूल करने के लिये सरकार जो कार्रवाई करने का विचार करती है, वह अभी विचाराधीन है। यह बात इस कारण पेचीदा हो गई है क्योंकि लोहा और इस्पात मंत्रालय द्वारा स्थानीय एक समिति ने विनियंत्रण करके कुछ उपायों का सुझाव दिया है, जिनको यदि स्वीकार कर लिया गया, तो उनके परिणाम स्वरूप इस्पात समवायों के साथ करारों के अन्तर्गत भिन्न स्थिति हो जायेगी । तथापि सरकार को आशा है कि वह समिति की सिफारिशों पर शीघ्र निर्णय करेगी, और उसके पश्चात् समवाय से विशेष ऋण एवं ब्याज वसूल करने के लिये अपेक्षित अग्रेतर कार्रवाई करेगी ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** मैं समझता हूं कि १० करोड़ रुपये १९५४ में बिना ब्याज ऋण के तौर पर दिये गये थे। यह राशि अब तक वसूल क्यों नहीं की गई ? क्या कुछ राशि वसूल हुई हुई है ?

†**इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) :** कोई राशि वसूल नहीं हुई । प्रारंभ में यह उनके विस्तार कार्यक्रम के लिये दी गई थीं। बाद में, यह मामला प्रशुल्क आयोग को सौंपा गया और उन्होंने सिफारिश की है कि ३० जून, १९५८ से आगे ब्याज लिया जाएगा । अतः अब ब्याज और मूल धन लेते हैं। अब तक ब्याज की किश्तें भी नहीं मिलीं । और हमें शीघ्र ही इसके बारे में निर्णय करने की आशा है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** ब्याज की दर क्या है और किन परिस्थितियों में "टिस्को" ने ब्याज नहीं दिया ? उनका व्याख्या क्या है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** करार के अधीन, मूल और ब्याज की अदायगी के लिये निर्धारित संवारण मूल्य में एक विशेष तत्व जोड़ना होगा। यह सिफारिश प्रशुल्क आयोग द्वारा दी गई थी।

---

†तारांकित अंग्रेजी में

माननीय सदस्यों को विदित है कि सरकार ने सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है कि हमें इस ऋण की अदायगी के निमित्त एक विशेष तत्व का उपबंध करना चाहिये। ब्याज के लिये ही करार के उपबंध हैं कि संधारण मूल्य में एक विशेष उपबंध की व्यवस्था की जाए। इसीलिये समस्त विषय विचाराधीन है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : चूंकि यह ऋण पहले टिस्को को दिया गया था, संधारण मूल्य कितनी बार बढ़ा और क्या सरकार ने इस ऋण के लिये अतिरिक्त विदेशी ऋण प्राप्त करने के लिये कंपनी की सहायता की है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : जी हां। विस्तार के लिये हमने विदेशी ऋणों की गारंटी दी है, जो उन्होंने दिये हैं। मेरे यहां ये आंकड़े नहीं हैं कि संधारण मूल्य कितनी बार बढ़े, किंतु मेरा अनुमान है कि १९५९ के पश्चात् दो बार बढ़े हैं।

श्री राम सेवक यादव : मैं यह जानना चाहता हूं कि यह जो ऋण दिया गया था, शर्त के मुताबिक उस को कितनी किश्तों में वापस देने की व्यवस्था थी ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : किश्तें नियत नहीं की गईं। यदि राशि १९६९ तक नहीं दी जाती, तो सरकार इस ऋण को वसूल करने के अन्य उपायों का विचार कर सकती है।

†**श्री ब० कु० दास** : इस बात की दृष्टि से कि टिस्को को ऐसा ही ऋण दिया गया था, क्या उन के मामले में वही शर्तें होंगी ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : जी हां। दोनों की एक ही स्थिति है ।

श्री बड़े : मैं यह जानना चाहता हूं कि टिस्को के लाभ पर चल रही है या प्राफ़िट पर चल रही है। यदि प्राफ़िट पर चल रही है तो १९५८ से आगे कितना इन्ट्रेस्ट उन पर निकलता है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : उनको लालच हो रहा है और मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्यों ने अपने संतुलन पत्र देखे हैं। लाभांश की भी घोषणा की जा रही है। किंतु यह ऋण एक विशेष करार के अधीन दिया गया था, जिसमें यह तय पाया था कि यदि उन को मूलधन का ब्याज देने को कहा जाएगा, तो प्रतिधारण मूल्य में विशेष तत्व का उपबंध करना होगा। यही वास्तविक कठिनाई है। ब्याज ५ प्रतिशत है। अतः, १९५८ से आज तक यह १० करोड़ रुपये है।

†**श्री दाजी** : उन्होंने कहा है कि करार यह था कि प्रतिधारण मूल्य में विशेष अंश जारी किया जाना चाहिए, जिस के साथ सरकार असहमत है। तब क्या वास्तविक विषय विचाराधीन है ? क्या वे देने से इन्कार करते हैं यदि प्रतिधारण मूल्य विशेष रूप से नहीं बनाया जाता, या क्या वे विलम्ब कर रहे हैं? क्या वास्तविक मामला विचाराधीन है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : हम करार को लाग कर सकते हैं। करार के अन्तर्गत हमें धन की व्यवस्था करनी होगी। ताकि वे उनसे लौटा सकें। यह वास्तविक कठिनाई है। अतः हम इस से निकलने का कोई तरीका ढूंढ़ना होगा ।

†**कुछ माननीय सदस्य** : इस को बट्टे खाते में डाल दिया जाय ।

---

†मूल अंग्रेजी में

नकली रेशम और नाइलोन के कपड़े

†४१६. { श्री विश्राम प्रसाद :
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम की सिफ़ारिश के अनुसार नकली रेशम तथा नाइलोन के कपड़ों का निर्यात बढ़ाने की एक योजना पर विचार किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम ने किसी भी योजना की सिफ़ारिश नहीं की है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

श्री विश्राम प्रसाद : क्या कभी सरकार ने यह सोचा है कि किसी हालत में नाइलोन के कपड़े बाहर के देशों को निर्यात होंगे ?

श्री कानूनगो : काफ़ी निर्यात हो रहा है ।

श्री विश्राम प्रसाद : मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने रुपये का निर्यात हो रहा है और उससे हमारे देश को कितना फ़ारेन एक्सचेंज मिल रहा है ।

श्री कानूनगो : एक्सपोर्ट प्रोमोशन स्कीम के अन्तर्गत निर्यात हो रहा है । जहां तक निर्यात के आंकड़ों का संबंध है, १९६२ में ७१८ लाख के ऊपर निर्यात हुआ था । इन्सेन्टिव स्कीम में निर्यात होता है और उस की बाबत उन को इम्पोर्ट की अनुमति भी मिलती है ।

श्री कछवाय : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समय हमारे देश में नकली रेशम और नाइलोन कितना पैदा होता है, कितना कपड़ा बनाया जाता है ।

श्री काननगो : ये पूरे आंकड़े मेरे पास नहीं है , लेकिन करीब एक हजार लाख का का बनता है ।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** हाल ही में अफ्रीकी देशों में इस रेशम और रेशम के नवीन बाजार ढूंढने के लिये क्या विशिष्ट कदम उठाये गये हैं ?

†**श्री कानूनगो :** प्रयत्न तो किये जाते हैं किंतु हमारे पास ऐसा कपड़ा बनाने के लिये पर्याप्त कच्चा माल नहीं है ।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस समय हमारे देश में कितना आर्ट सिल्क और नाइलोन का म्पोर्ट होता है और कब तक हम इस में सैल्फ़-सफ़िशेंट हो जायेंगे ।

†**श्री कानूनगो :** स्वावलम्बी होने में बहुत देर लगेगी क्योंकि हम गूदे के निर्माण के लिये क्षमताएं स्थापित नहीं कर सके । हमें इसका आयात करना पड़ता रहा है । मेरे पास आयात के आंकड़े नहीं हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री कपूर सिंह : क्या सरकार को पता है कि यह थियेटेक पोलिनैरिक फिलेमेंट मानव त्वचा के लिये विशेष हानिकारक है, विशेष कर गर्म और थोड़े कम गर्म वातावरण में और यदि हां, तो देश के बाजारों में इस के उपयोग को घटाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†श्री कानूनगो : प्राप्त किये गये मतों के अनुसार यह हानिकारक नहीं है ।

श्री ओंकारलाल बेरवा : मैं यह जानना चाहता हूं कि जब निर्यात किया जाता है, तो उसमें विदेशी मुद्रा मिलती है या उसके बदले में कोई सामान मिलता है ।

श्री कानूनगो : सामान मिलता है ।

†श्री वारियर : क्या मिलों के पास अभी स्टाक बाकी है, जो नहीं उठाया जा रहा है, क्यों कि इसकी बिक्री नहीं है और मिलें बन्द हो रही हैं तथा कर्मकारों को काम नहीं मिल रहा है ?

†श्री कानूनगो : कोई फालतू स्टाक नहीं है : बल्कि कमी है।

†डा० सरोजिनी महिषी : क्या सरकार रेशम और नाइलोन के कपड़े का निर्यात करने का विचार कर रही है. या कम से कम इन वस्तुओं के निर्माण में प्रयोग होने वाली बाई-ऐसटेट और ट्राई-एसटेज के आयात को बढ़ाने का विचार कर रही है ?

कपड़ा मशीन उद्योग

†*४१८. श्री यशपाल सिंह :
डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :
श्री रामचन्द्र उलाका :
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री ३० अगस्त, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ४१५ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच कपड़ा मशीन उद्योग की प्रस्तावित मन्त्रणाकार समिति की रचना तथा निर्देश पदों को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख) अब यह निर्णय किया गया है कि उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत एक अलग विकास परिषद वस्त्र मशीन उद्योग के लिये बनाई जानी चाहिये। इस परिषद में इस उद्योग के प्रतिनिधि, वस्त्र मशीनों के उपभोक्ता, प्रविधिक ज्ञान रखने वाले व्यक्ति तथा

†मूल अंग्रेजी में

सरकारी पदाधिकारी होंगे। विकास परिषद् के वास्तविक गठन का प्रश्न अभी विचाराधीन है। विकास परिषद् के कृत्य उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ में दिये हुए हैं।

श्री यशपाल सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस कमेटी में टैक्सटाइल इंडस्ट्री और मिल-ओनर्ज के अलग अलग कतने मेम्बर्ज हैं।

श्री प्र० चं० सेठी : यह कमेटी तो अभी बनाई जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : कमेटी बनने से पहले उसकी कम्पोजीशन कैसे बताई जा सकती है?

श्री यशपाल सिंह : सरकार की जो स्कीम है, उस के मातहत इस के चेयरमैन कोई आफिशल होंगे या नान-आफिशल ?

श्री प्र० चं० सेठी : टैक्सटाइल कमिश्नर इसके चेयरमैन होंगे, ऐसा विचार है।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या कपड़ा मशीनों का निर्माण करने वाले इस उद्योग को कोक तथा कोयले की कमी के कारण हानि उठानी पड़ रही है और यदि हां, तो क्या यह समिति इस प्रश्न की भी जांच करेगी और क्या सरकार इसकी सिफारिश को मानने के लिये बाध्य होगी?

†**इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम):** प्रश्न कोक तथा कोयले के बारे में किया गया है। परन्तु यह प्रश्न समिति की नियुक्ति से संबंध रखता है। यदि एक पृथक् प्रश्न इसके बारे में रखा जाय, तो मैं उत्तर दे सकूंगा।

†**श्री पें० वेंकटासुब्बया :** हम अपने देश में किस सीमा तक कपड़ा मशीनों का निर्माण करने में समर्थ हैं?

श्री चि० सुब्रह्मण्यम : १९६२ में देश में लगभग १४ करोड़ रुपये के मूल्य की मशीनों का निर्माण हुआ। आशा है कि इस वर्ष हम १८ करोड़ रुपये तक के मूल्य की मशीनों का निर्माण कर सकेंगे।

†**श्री दे० जी० नायक :** इस वर्ष कितना निर्यात किया गया है?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** मेरे पास आंकड़े नहीं हैं परन्तु यह अधिक नहीं हुआ होगा।

†**श्री दो० चं० शर्मा :** सलाहकार समिति को विकास समिति में परिवर्तित किया जा रहा है। दोनों में क्या अन्तर है? विकास समिति द्वारा क्या अतिरिक्त कार्य किये जाते हैं? क्या यह कुछ धन भी दे सकेगी?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम :** विकास परिषद् के कार्य विकास तथा विनियमन अधिनियम, १९५१ में दिये गये हैं। सलाहकार समितियों के कार्य बहुत ही सीमित थे। परन्तु विकास समिति को सहायता देने का अधिकार नहीं होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

नमक का उत्पादन तथा निर्यात

\+

†*४१९. श्रीमती सावित्री निगम :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री द्वा० ना० तिवारी :
श्री महेश्वर नायक :
श्री रो न स्वरूप :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में नमक का उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रयत्न किये जा रहे हैं;

(ख) क्या नमक के निर्यात को बढ़ाने की सम्भावनाओं की जांच की जा रही है ; और

(ग) यदि हां, तो किस सीमा तक तथा किस प्रकार ?

†उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) जापान और श्रीलंका को नमक का निर्यात करने के लिये नये ठेकों की बातचीत चल रही है। फिलिपाइन्स, नाइजीरिया, मलाया, सिंगापुर आदि को भी नमक का निर्यात करने की संभावना का पता लगाया जा रहा है।

†श्रीमती सावित्री निगम : संभावना का पता कब तक लग जायेगा तथा हम कब वास्तविक रूप से नमक का निर्यात करना प्रारम्भ कर देंगे। कितनी मात्रा निर्यात किये जाने की आशा है ?

श्री कानूनगो : हम जापान और श्रीलंका को पहिले से ही भारी मात्रा में नमक का निर्यात कर रहे हैं। जितनी मात्रा के लिये नये ठेकों की बातचीत अब चल रही है, वह लगभग ५ लाख टन है। अन्य मंडियों को निर्यात करने के बारे में, अन्य प्रतियोगियों के मुकाबले भाड़ा तथा अन्य शर्तों संबंधी विषयों का अध्ययन किया जा रहा है।

†श्रीमती सावित्री निगम : क्या माननीय मंत्री गैरसरकारी संगठनों द्वारा किये जा रहे नमक के निर्यात से संतुष्ट हैं ? मुझे इस संबंध में शिकायतें मिली हैं।

†श्री कानूनगो : जहाजों में भरने से पहिले नमक के सब लदानों का कड़ा निरीक्षण किया जाता है।

†श्री अब्दुल गनी गोनी : क्या ग्रामीण क्षेत्रों में, विशेषकर पशुओं के प्रयोग के लिये, सैंधा नमक कठिनाई से प्राप्त होता है और यदि हां, तो इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा क्या पग उठाये जा रहे हैं ?

†श्री कानूनगो : सैंधा नमक की मांग तथा पूर्ति में अन्तर है। हमें आशा है मंडी के नमक कारखाने के विस्तार करने संबंधी योजना पूर्ण हो जाने के बाद, यह अन्तर कुछ सीमा तक कम हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सुबोध हंसदा :** समुद्री नमक के उत्पादक को तकनीकी अथवा वित्तीय मदद के रूप में किस प्रकार का प्रोत्साहन या सहायता प्रदान की जाती है ?

†**श्री कानूनगो :** प्रोत्साहन की आवश्यकता नहीं है।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या निर्यात करने के हेतु उत्पादन बढ़ाने के लिये सहकारी समितियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

†**श्री कानूनगो :** जी हां, सहकारी समितियों को अनेक प्रकार की सुविधायें दी जाती हैं।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ :** नमक का उत्पादन बढ़ाने के लिये देश में और अधिक साधन खोज निकालने की दिशा में क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं ताकि देश तथा विदेश की मांग को पूरा किया जा सके ?

†**श्री कानूनगो :** गत तीन वर्षों में उत्पादन दुगना हो गया है।

श्री ह० च० सोय : अभी जो साल्ट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उससे ज्यादा साल्ट पैदा करने में कौन कौन सी दिक्कतें हैं ?

†**श्री कानूनगो :** मैंने पहिले ही उत्तर दे दिया है कि गत ३ या ४ वर्षों के दौरान उत्पादन दुगुना हो गया है।

श्री कछवाय : अनेकों साल पहिले बापू द्वारा यह आन्दोलन चलाया गया था कि देश में नमक पर कोई टैक्स न लिया जाए। मैं जानना चाहता हूं कि क्या अब कोई टैक्स लिया जाता है? और यदि लिया जाता है तो कितना लिया जाता है ?

अध्यक्ष महोदय : इस में से यह सवाल कैसे पैदा होता है ?

†**श्री कपूर सिंह :** पश्चिम पाकिस्तान में पाया जाने वाला शुद्ध तथा उत्तम सैंधा नमक भारत में भी मिल सकता है या नहीं, इसका पता लगाने के लिये क्या कोई खोज-कार्य किया गया है और यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

†**श्री कानूनगो :** जैसा मैंने पहिले ही बता दिया है, हम मण्डी की नमक खानों से अधिक नमक निकालने का प्रयत्न कर रहे हैं।

अन्तर्बाधा

†**श्री दीनेन भट्टाचार्य :** क्या यह सच है कि निर्यात किये जाने वाले नमक का मूल्य देश में बिकने वाले नमक के मूल्य की अपेक्षा बहुत कम है ?

†**श्री कानूनगो :** जी, नहीं।

श्री यशपाल सिंह : क्या नेपाल सरकार ने अपनी यह इच्छा जाहिर की है कि वह हम से नमक लेना चाहती है, यदि हां, तो अब तक नेपाल को अपना नमक क्यों नहीं खिलाया गया ?

श्री कानूनगो : नमक तो उनको जाता था पहिले। अभी एक कांट्रेक्ट हुआ है एस० टी० सी० से कि नेपाल गवर्नमेंट की तरफ से इसकी खरीद की जाए।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री उ० मू० त्रिवेदी : गांधी जी के इस मत का, कि समुद्र के तट पर रहने वाले नागरिकों को नमक का निःशुल्क उत्पादन करने दिया जाय, किस सीमा तक पालन किया जा रहा है तथा इनको नमक के उत्पादन के लिये किस प्रकार का बढ़ावा दिया जा रहा है ?

†श्री कानूनगो : १० एकड़ भूमि तक में नमक का उत्पादन करने के लिये किसी अनुमति की आवश्यकता नहीं है तथा न ही उस पर कोई कर देना पड़ता है।

†श्री उ० मू० त्रिवेदी : मेरे प्रश्न के अन्तिम भाग का भी उत्तर दे दिया जाय अर्थात् समुद्र तट पर रहने वाले को क्या बढ़ावा दिया जाता है ?

†श्री कानूनगो : जब यह अब पूर्णतया करमुक्त है, तो इससे अधिक और क्या बढ़ावा दिया जा सकता है ?

†श्री दी० चं० शर्मा : जहां एक ओर माननीय मंत्री नमक के निर्यात के लिए नयी मंडियों की खोज कर रहे हैं, तो क्या मैं जान सकता हूं कि कितनी मंडियां पहिले मंत्रालय के हाथ से निकल चुकी हैं तथा उसके क्या कारण हैं ?

†श्री कानूनगो : वस्तुतः हमने गत ७ वर्षों से ही नमक का निर्यात करना प्रारम्भ किया है। इससे पहिले हम कोई निर्यात नहीं करते थे।

रबड़ के वृक्षों का पुनःरोपण

+

†*४२०. श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :
श्री वारियर :
श्री वासुदेवन नायर :

क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रबड़ का उत्पादन करने वाले क्षेत्रों में रबड़ के वृक्षों के पुनः-रोपण की गति रोपण सामग्री की कमी के कारण बहुत ही धीमी है ;

(ख) यदि हां, तो भारतीय बागान मालिकों को रोपण सामग्री का सम्भरण करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ;

(ग) प्राकृतिक रबड़ की इस समय कितनी कमी है; और

(घ) रबड़ के मामले में देश के कब तक आत्मनिर्भर होने की आशा है ?

†उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) १९६३–६४ में लगभग १९,००० टन।

(घ) प्राकृतिक रबड़ में निकट भविष्य में आत्मनिर्भर होने की आशा नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री स० चं० सामन्त : क्या रबड़ बोर्ड ने सुझाव दिया था कि पुनःरोपण के स्थान पर रबड़ के नये वृक्ष लगाये जाने चाहियें ? क्या मैं जान सकता हूं कि मंत्रालय ने इस विषय में क्या किया है ?

†श्री कानूनगो : स्थान के अनुकूल कुछ क्षेत्रों में पुनःरोपण अच्छा रहता है तथा कुछ में नये वृक्ष लगाना। रबड़ बोर्ड इस बात का ध्यान रखता है कि अच्छी पैदावार करने वाली रोपण सामग्री से उपयुक्त क्षेत्रों में पुनः रोपण किया जाय।

†श्री स० चं० सामन्त : क्या स्वदेशीय रोपण सामग्री के उत्पादन के लिए प्रयत्न किये जा रहे हैं।

†श्री कानूनगो : जी, हां। मलाया तथा अन्य देशों से प्राप्त अच्छी पैदावार करने वाली सामग्री से नर्सरीज़ स्थापित की गई हैं।

†श्री सुबोध हंसदा : मंत्री महोदय ने बताया है कि नये बागानों की स्थापना के लिए उपयुक्त क्षेत्रों का पता लगाया जायेगा। केरल, अंदमान तथा निकोबार द्वीपसमूह को छोड़ कर कौन से क्षेत्र चुने गये हैं ?

†श्री कानूनगो : अभी तक, रोपण केवल केरल में तथा संभवतया कुछ अंश में मैसूर में ही किया गया है अब महाराष्ट्र तथा अन्दमान के कुछ क्षेत्रों को इसके लिये उपयुक्त पाया गया है तथा इन राज्यों की सरकारों ने रुचि प्रदर्शित की है।

†श्री वारियर : सरकार ने नये बागानों को नाशक कीटाणुओं तथा अन्य हानियों से बचाने के लिए क्या पग उठाये हैं ? क्या सरकार इन बागानों के लिए कृमिनाशक दवा की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में उपाय कर रही है ?

†श्री कानूनगो : पौधों की रक्षा करने सम्बन्धी उपायों की व्यवस्था बोर्ड द्वारा की जाती है जिसमें विमानों द्वारा दवा का छिड़कना भी सम्मिलित है।

†श्री वासुदेवन नायर : पुनःरोपण के हेतु ऋण देने के लिए तृतीय योजना में कितनी धनराशि पृथक रूप से रक्षित की गई थी और इसमें से कितनी पहिले ही खर्च हो चुकी है ? क्या मंत्रालय को आशा है कि इस योजना के दौरान सम्पूर्ण राशि खर्च कर ली जायेगी ?

†श्री कानूनगो : मेरे पास पूरे आंकड़े नहीं हैं। अपनी स्मरणशक्ति के आधार पर मैं बता सकता हूं कि प्रथम दो वर्षों में ऋण कुछ कम लिये गये क्योंकि दरें कम थीं। मेरा विचार से अब तक लगभग १ करोड़ रुपये दिये जा चुके हैं ?

†श्री केप्पन : रोपण सामग्री का संभरण करने वाले अभिकरण कौन से हैं ?

†श्री कानूनगो : रोपण सामग्री का संभरण गैर-सरकारी नर्सरीज़ तथा रबड़ बोर्ड की नर्सरीज़ द्वारा किया जाता है। मूल पौधे मलाया से मंगाये गये थे।

†श्री कोया : क्या पुनःरोपण के लिये कोई राजसहायता दी जाती है ?

†श्री कानूनगो : जी हां। राजसहायता ४०० रु० प्रति एकड़ से बढ़ा कर १,००० रुपये प्रति एकड़ कर दी गई।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री बड़े : मध्य प्रदेश में रबड़ प्लांटेशन करने का शासन का इरादा है क्या ? मध्य प्रदेश में कुछ एड देने का भी रबड़ प्लांटेशन के लिए सरकार का कोई इरादा है क्या ?

श्री कानूनगो : रिप्लांटेशन के लिए अभी बताया गया है कि सबसिडी दी जाती है। मध्य प्रदेश में भी कोई करना चाहे तो मिल सकती है।

†**श्री विश्राम प्रसाद :** माननीय मंत्री जी ने अभी अभी बताया है कि हम निकट भविष्य में आत्मनिर्भर नहीं हो सकेंगे। इसके क्या कारण हैं ?

†**श्री कानूनगो :** रबड़ की मांग इतनी तेजी से बढ़ रही है कि प्राकृतिक रबड़ से इस मांग की पूर्ति कभी भी नहीं हो सकती।

कोयले का उत्पादन

\+

†*४२१. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या **इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन के कोयला बोर्ड के जिस सदस्य ने कोयले के उत्पादन को बढ़ाने के लिये भारत का दौरा किया था, उसकी सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) इसकी मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

†**इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) :** (क) और (ख). अनुमानतः निर्देश लार्ड राबिन्स, जो ब्रिटेन के राष्ट्रीय कोयला बोर्ड के अध्यक्ष हैं और जो गत अक्तूबर में यहां आये थे, के दौरे को ओर है। उनके साथ कोयले के सामान्य उत्पादन बढ़ाने के विषय में विशेष रूप से बात-चीत नहीं हुई थी। उन्होंने खनन यंत्रों को चलाने तथा उनका संधारण करने वाले प्रविधिज्ञों के प्रशिक्षण के महत्व पर अधिक जोर दिया था। उन्होंने इस प्रकार की योजना तैयार करने तथा उन्हें कार्यान्वित करने के लिए सहायता देने के लिए भी अपनी सेवायें प्रस्तुत की हैं। इस प्रकार की प्रशिक्षण सम्बन्धी योजना बनाने के लिए राष्ट्रीय कोयला विकास निगम तथा गैर-सरकारी क्षेत्रों द्वारा आगे कार्यवाही की जा रही है।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या योजना तैयार करने के लिए कोयला विकास निगम के सदस्यों और गैर-सरकारी क्षेत्र के लोगों को कोई समिति नियुक्त की गई है, और यदि हां, तो यह योजना कितनी तैयार हो चुकी है ?

†**इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) :** अभी कोई समिति नियुक्त नहीं की गई है। हमने गैर-सरकारी क्षेत्र को प्रशिक्षण सम्बन्धी प्रस्ताव देने के लिए कहा है तथा राष्ट्रीय कोयला विकास निगम भी प्रशिक्षण सम्बन्धी योजना बना रहा है।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** लार्ड राबिन्स ने हमारे प्रशिक्षण सम्बन्धी कार्यक्रम में किस प्रकार की कमी पाई तथा इस प्रकार की समिति की नियुक्ति से यह कमी कैसे पूरी हो सकती है ?

---

†हल अंग्रेजी में

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इसके प्रश्चात् मुख्य रूप से अधिक यंत्रों द्वारा खानों की गहरी खुदाई का काम किया जायेगा। इसके लिये प्रविधिज्ञों को यंत्र चलाने तथा इनके संधारण सम्बन्धी प्रशिक्षण देना पड़ेगा। इसके लिए हमें विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाना होगा।

†श्री क० ना० तिवारी : अभी मंत्री महोदय ने बतलाया कि जो मेम्बर आये थे उनसे प्रोडक्शन के सम्बन्ध में बात नहीं की गई बल्कि टेकनीशियन्स और मशीनरी के बारे में बात हुई। तो कोल-डस्ट जो इतना वेस्ट होता है उसकी ईंटें बन सकती हैं और प्रोडक्शन की काफी तरक्की हो सकती है। क्या इसके सम्बन्ध में टेकनीशियन्स और मशीनरी के बारे में कोई बात हुई है ?

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : इस बारे में लार्ड राविन्स से कोई बातचीत नहीं हुई थी।

†श्रीमती सावित्री निगम : ब्रिटेन से जो विशेषज्ञ घटिया किस्म के कोयले के उपयोग के सम्बन्ध में आये थे क्या उनसे किसी प्रकार की जानकारी, सुझाव या मार्गदर्शन के लिये कहा गया था ।

†श्री चि० सुब्रह्मण्यम : जी, नहीं। मैं बता चुका हूं कि उनसे मुख्य रूप से प्रविधिज्ञों के प्रशिक्षण के विषय में ही बातचीत हुई थी।

केले के चूर्ण का संयंत्र

+

†*४२३. { श्री महेश्वर नायक :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में केले के चूर्ण का एक संयन्त्र स्थापित किया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित सयन्त्र की क्या क्षमता है; और

(ग) ताजे फलों के सम्भरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ने की सम्भावना है ?

†उद्योग मंत्री (श्री पातूलगो) : (क) "दि कैरा डिस्ट्रिक्ट कोआपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स यूनियन लिमिटेड", आनन्द का अपने आनन्द स्थित वर्तमान औद्योगिक कारखाने में केला दुग्ध चूर्ण बनाने का प्रस्ताव है।

(ख) प्रस्तावित संयंत्र की क्षमता प्रतिवर्ष १,००० मीटरी टन केला दुग्ध चूर्ण बनाने की होगी ।

(ग) गुजरात राज्य में केले का प्रचुर मात्रा में उत्पादन को दृष्टि में रखते हुए, प्रस्तावित स्थान में केला दुग्ध चूर्ण बनाने के लिए ताजे फलों के संभरण में कोई रुकावट नहीं होगी।

†श्रीमती सावित्री निगम : क्या केले से निर्मित दूध में प्रचुर मात्रा में पौष्टिक पदार्थ विद्यमान होंगे। जिससे इस कारखाने में उत्पादन का औचित्य हो ?

---

†[ ] अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो :** जी हां, इसमें दूध तथा केले दोनो के पौष्टिक पदार्थ हैं ।

†**श्रीमती सावित्री निगम :** क्या केले का चूर्ण सरकारी क्षेत्र में बानाने के लिए सरकार की कोई योजना है ?

†**श्री कानूनगो :** सरकारी क्षेत्र के लिए यह विषय अधिक महत्वपूर्ण नहीं है ।

श्री मान सिंह पृ० पटेल : क्या यह कारखाना सहकारी समिति द्वारा स्थापित किया जा रहा है, यदि हां, तो क्या राज्य सरकार द्वारा या केन्द्र सरकार द्वारा इसको सहायता दी जा रही है ?

†**श्री कानूनगो :** यह सहकारी समिति द्वारा स्वयं स्थापित किया जा रहा है ।

श्री पें० वेंकटासुब्बया : क्या सरकार की नीति ऐसे कारखानों की स्थापना को उन अन्य स्थानों में भी प्रोत्साहन देना है जहां केले का उत्पादन पर्याप्त होता है ।

†**श्री कानूनगो :** निस्संदेह: किन्तु जिन स्थानों के बारे में माननीय सदस्य सोचते हैं उन स्थानों में दूध पर्याप्त मात्रा में नहीं है ।

†**श्री दे० जी० नायक :** क्या केले के उत्पादकों के लिए केले को दूध चूर्ण बनाने वाले कारखानों को केले का संरक्षण करने की अपेक्षा इसका मध्य पूर्वी देशों तथा सोवियत संघ को निर्यात करना अधिक लाभदायक होगा ?

†**श्री कानूनगो :** केले का अधिक मात्रा में उत्पादन किसी ऋतु में ही होता है जो बेकार जाता है । केले का उपयोग इस प्रयोजन के लिये कुल उत्पादन के उपयोग के अनुसार अधिक लाभदायक होगा ।

श्री बड़े : यह जो केले का पाउडर बनाने की फैक्ट्री तैयार हो रही है उसमें कितना केला लगेगा और क्या रशिया को भेजने के बाद काफी केला इसके लिए बचेगा ?

श्री कानूनगो : मैंने जवाब दिया है कि मुल्क में काफी केला है ।

(†)**श्री रंगा :** क्या यह चूर्ण भारत में ही उपयोग किया जायेगा या बाहर भी भेजा जायेगा और यदि बाहर भेजा जायेगा, तो किन देशों को ? क्या सरकार की पूर्वी तट क्षेत्र में भी इस प्रकार के कारखाने खोलने की योजना है ?

श्री कानूनगो : अभी यह कार्य प्रयोगात्मक रूप में आरम्भ किया गया है इसको व्यापारिक रूप कुछ समय बाद दिया जायेगा । इसकी देश में तथा बाहर के देशों में काफी मांग होगी । जहां तक पूर्वी तट का सम्बन्ध है मेरे विचार से वहां केला तो काफी पैदा होता है किन्तु इनमें दूध की मात्रा पर्याप्त नहीं है ।

श्री वारियर : इस कारखाने के लिए कितनी मात्रा में कच्चे केलों की आवश्यकता होगी और क्या सारा केला गुजरात में ही पैदा होता है ।

†**श्री कानूनगो :** मैं नहीं कह सकता कि १,००० पौंड गढ़े दूध के लिए कितनी मात्रा में केले की आवश्यकता होगी । किन्तु कहा गया है कि गुजरात क्षेत्र में पर्याप्त मात्रा में केले उपलब्ध हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री कछवाय : मैं जानना चाहता हूं कि केले के पाउडर से जो दूध बनाया जायेगा उसका बच्चों के लिये अच्छा उपयोग हो सकेगा ?

श्री कानूनगो : ऐसा कहा जाता है कि उसका बहुत अच्छा उपयोग होगा ।

†**श्री स्वैल :** क्या राज्य व्यापार निगम की केले के विदेशों को निर्यात के लिए प्रस्तावित संस्थापन का इस कारखाने पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा ?

†**श्री कानूनगो :** जी, नह ।

हंगरी को चाय का निर्यात

+

†४२४. { **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **अंतर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हंगरी के बाजार में केवल एक ही प्रकार की सस्ते किस्म की भारतीय चाय बेची जाती है जिसका परिणाम यह होता है कि उस देश में भारतीय चाय के लोकप्रिय होने के बावजूद भी वहां के बढ़िया किस्म की चाय खरीदने वाले लोगों को अपनी पसन्द की चाय खरीदने का मौका नहीं मिलता; और

(ख) यदि हां, तो इस दृष्टि से कि अन्य अधिक अच्छी किस्मों की भारतीय चाय का भी उस देश को निर्यात किया जाये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री कानूनगो) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्र०/ **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या यह सच है कि जब कि हंगरी को हमारे निर्यात में १९६ प्रतिशत की वृद्धि हुई, कुल निर्यात में केवल १०० प्रतिशत की ही वृद्धि हुई है ? क्या हम हंगरी को घटिया किस्म की चाय का निर्यात करते हैं जो हमारे निर्यात के लिए हानिकारक है ।

†**श्री कानूनगो :** निसन्देह यह गत वर्ष की तुलना में कम है । किन्तु आयात करने वाले देश सस्ती चाय ही खरीदना चाहते हैं ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** हाल में हंगरी के साथ किये गये करार के अन्तर्गत उस देश को किस प्रकार की चाय का निर्यात किया जायेगा ।

†**श्री कानूनगो :** चाय की किस्म खरीदने वाले देश पर निर्भर करती है और क्रय संगठन खरीदी जाने वाली किस्म निर्धारित करते हैं । वास्तव में यह कहना उचित नहीं है कि हंगरी को अच्छी किस्म की चाय का निर्यात नहीं किया गया क्योंकि सबसे बढ़िया किस्म की चाय एफ० ओ० पी० चाय का भी निर्यात किया गया है ।

†**श्रीमती रेणुका राय :** हंगरी को कुल कितनी चाय निर्यात की जाती है चाय की किस्में क्या तथा यह किन क्षेत्रों से निर्यात की जाती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री कानूनगो** : हंगरी को वर्ष १९६२ में ९७,००० किलो ग्राम और वर्ष १९६३ में (सितम्बर तक) ३१२,००० किलो ग्राम चाय का निर्यात किया गया है। स्वभावतः सारी चाय कलकत्ता मंडी से नियति की गई है।

कोयला खनन में प्रशिक्षण

\+

†*४२५. { **श्री हेडा :**
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के परिणामों का अध्ययन करने के लिए एक कर्णधार समिति नियुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ब्रिटेन के कोयला बोर्ड के प्रधान, लार्ड राबन्स, द्वारा दिये गये सुझाव का अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : लार्ड रॉबिन्स द्वारा कर्णधार समिति की स्थापना करने के लिए कोई सुझाव नहीं दिया गया था। वास्तव में उन्होंने यह सुझाव दिया था कि कोयला खानों सम्बन्धी मशीनरी को चलाने तथा उनका संधारण करने वाले प्रविधिज्ञों के लिये **प्रशिक्षण** कार्यक्रम होना चाहिये। गैर सरकारी उद्योगों को इस सम्बन्ध में प्रस्ताव तैयार करने के लिए कहा गया। इन प्रस्तावों की प्रतीक्षा की जा रही है।

†**श्री हेडा** : क्या किसी गैर-सरकारी संस्था ने इन सुझावों को क्रियान्वित किया है और क्या कोई योजना बनाई जा रही है ?

†**इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : अभी तक कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

†**श्री हेडा** : गैर-सरकारी क्षेत्रों में कोयला खानों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण की योजना के अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र में भी बहुत सी कोयला खानें हैं। सरकारी क्षेत्र में भी कर्मचारियों के प्रशिक्षण की क्या व्यवस्था है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : मैं पहले प्रश्न के उत्तर में बता चुका हूं कि हमारी विस्तृत प्रशिक्षण योजना है। हमें गहरी खुदाई के यंत्रों के लिए विशेष कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना होगा।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसी योजना है कि इसमें कितने आदमियों को शिक्षा दी जायेगी ?

श्री प्र० चं० सेठी: इस सम्बन्ध में उनसे प्रयोजन मांगे गए हैं और हम भी योजना बना रहे हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रघुनाथ सिंह** : योजना कितने आदमियों को ट्रेन करने की है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : यह अभी विचाराधीन है। अभी कोई निश्चित प्रस्ताव नहीं है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : प्रशिक्षण किस स्थान पर दिया जायेगा और इस पर कितना व्यय होगा ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : अभी प्रस्ताव नहीं आये हैं। प्रस्ताव प्राप्त होने पर जब हम इसका अनुमान लगायेंगे तभी व्यय के बारे में बताना संभव हो सकेगा ।

†**श्री विश्राम प्रसाद** : इन अप्रशिक्षित कर्मचारियों के कारण देश को कितनी हानि हुई है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : मैं प्रश्न को नहीं समझ सका ।

श्री विश्राम प्रसाद : कहा गया है कि आदमियों को ट्रेन किया जाएगा । मैं जानना चाहता हूं कि अब तक जो लोग अनट्रेंड काम करते रहे हैं उनके कारण देश को कितना नुकसान हुआ है ?

श्री प्र० चं० सेठी : यह सवाल नहीं है। यह डीप माइनिंग के लिए स्पेशल परसोनल को ट्रेन करने का सवाल है। इस सम्बन्ध में प्रयोजन बनाए जा रहे हैं ।

†**श्रीमती शारदा मुकर्जी** : माननीय मंत्री ने प्रविधिज्ञों को गहरी खुदाई में प्रशिक्षण का उल्लेख किया है। क्या देश में गहरे खनन कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये पर्याप्त मशीनें उपलब्ध हैं ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : जी, नहीं। इस कार्य के लिए हमें विदेशों से सहायता मांगनी पड़ेगी ।

विशाखापटनम् में इस्पात कारखाना

+

†*४२६. **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त :
श्री बसुमतारी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :
श्री ह० च० सोय :

क्या इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार आंध्र प्रदेश में विशाखापटनम् में सरकारी क्षेत्र में एक इस्पात कारखाना स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह तीसरी योजना में आरम्भ किया जायेगा या चौथी योजना में ;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या इस कारखाने के प्राक्कलन तैयार हो गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो कितनी धनराशि व्यय होगी ; और किस प्रकार ?

†**इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) से (घ). चौथी योजना की अवधि में बैलादिला विशाखापटनम् क्षेत्र में एक नये इस्पात कारखाने की आवश्यकता के सम्बन्ध में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने अध्ययन करना आरंभ कर दिया है । इस कारखाने की जगह के बारे में कोई निश्चय वह अध्ययन पूरा हो जाने और लोहे और इस्पात के बारे में चौथी पंचवर्षीय योजना बनाने में सरकार की मदद करने के लिए संघटित कर्णधार समुदाय की अंतिम सिफारिशें मिल जाने के बाद ही किया जायेगा ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : क्या यह परियोजना चलाने के लिए कोई शिल्पिक सहयोग आवश्यक होगा अथवा क्या विदेश में प्रशिक्षित किये जा रहे और देश के तीन इस्पात कारखानों के शिल्पिक व्यक्ति उसे चला सकेंगे ?

†**इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : पहले हमें योजना की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी । जब हम योजना को कार्यान्वित करने के विषय पर विचार करेंगे तब इन सब बातों पर विचार किया जायगा ।

†**श्री सुबोध हंसदा** : जब सरकार इस योजना पर विचार कर रही है तब क्या हम यह समझें कि सरकार इस बात पर विचार नहीं कर रही है कि यह योजना किस तरह चलायी जाये और उसका खर्च किस प्रकार पूरा किया जायगा ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : अभी केवल आवश्यकता सम्बन्धी अध्ययन किया जा रहा है और उसके बाद सरकार निश्चय करेगी कि कारखाना कहां खोला जाये और बाकी ब्यौरे बाद में तैयार किये जायेंगे ।

†**श्री स० चं० सामन्त** : चूंकि बैलादिला में अच्छी किस्म का कच्चा लोहा इस्तेमाल किया जाने वाला है ; संचार की कमी किस प्रकार दूर की जा रही है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : हमें रेलवे लाइन बनानी होगी और वह बैलादिला और विशाखापत्तनम् के बीच बनायी जा रही है ।

†**श्री हेडा** : इस बात को देखते हुए कि अच्छी किस्म का लोहा भद्राचलम् के पश्चिम में ही मिलता है, क्या उस संपूर्ण क्षेत्र की खोजबीन की जा रही है या केवल विशाखापटनम् जिले की ही खोजबीन की जा रही है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन किया जा रहा है ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : इस कारखाने के लिए भारत में मशीनों के पुर्जे और साजसामान कहां तक तैयार किये जायेंगे और आयात किये जाने वाले पुर्जों और साजसामान की लागत कितनी होगी ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : यह अनुमान अभी नहीं बताया जा सकता ।

†**श्री ० वेंकटासुब्बया** : क्या सरकार इस्पात तथा भारी उद्योग मंत्री के इस वक्तव्य को ध्यान में रखेगी कि चौथी योजना की अवधि में इस्पात कारखाने समुद्री बन्दरगाह क्षेत्र

---

†मूल अंग्रेजी में

में खोले जायेंगे और यदि हां तो क्या इस इस्पात कारखाने की जगह तय करने में इस बात का ध्यान रखा जायगा ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : यह भी एक बात होगी जिस पर ध्यान दिया जायगा।

†**श्री अ० प्र० जैन** : क्ले समिति के आधार पर अमरीकी सहायता किसी एक परियोजना के लिए किसी निश्चित रकम तक ही सीमित रखने के अमरीकी प्रशासन के निश्चय के बाद क्या भारत सरकार ने इस बात की छानबीन की है उसे विदेशी सहायता कैसे मिलेगी और किन देशों से मिलेगी और क्या इस बारे में सरकार ने कोई योजना बनायी है और यदि हां तो वह क्या है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य बहुत लंबा प्रश्न पूछ रहे हैं, वह संक्षिप्त होना चाहिये ।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : यदि माननीय सदस्य का आशय बोकारो से हो तो...

†**श्री अ० प्र० जैन** : मैं केवल बोकारो के बारे में नहीं बल्कि सरकार द्वारा खोले जाने वाले भविष्य के सभी इस्पात कारखानों के बारे में कह रहा हूं ।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : जहां तक संभव हो, भविष्य के लिए हम भारत में ही रांची तथा अन्य इंजीनियरिंग कारखानों में यथासंभव अधिक मशीनें तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अतिरिक्त साजसामान की जो आवश्यकता पड़ेगी उसे दूसरे देशों से आयात करने के बारे में सोचना पड़ेगा। प्रत्येक परियोजना के लिए हमें सोचना पड़ेगा कि किस देश से आयात करना संभव होगा ?

†**श्री शिवमूर्ति स्वामी** : क्या उस दल ने बेल्लारी जिले में लौह अयस्क क्षेत्र की जहां दुनिया में सब से ज्यादा लौह अयस्क है, खोज बीन की है ? क्या वहां कोई इस्पात कारखाना खोलने का निश्चय किया गया है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : उस क्षेत्र में भी जांच पड़ताल की जा रही है और उस बारे में भी इस महीने में या बहुत जल्दी ही जानकारी उपलब्ध हो जायगी ।

नैपाल को व्यापार-पारगमन सुविधायें

\+

†*४२७. **श्री श्यामलाल सर्राफ :**
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री भी० प्र० यादव :
श्री घवन :
श्री बिशनचन्द्र सेठ :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापार और पारगमन के बारे में भारत-नेपाल वार्ता पिछले अक्तूबर में हुई थी ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस वार्ता का क्या परिणाम निकला ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) मुख्य मुख्य निश्चय इस प्रकार हैं :—

(१) बांड पद्धति की समाप्ति ।

(२) नेपाल द्वारा नेपाली सीमाशुल्क में भारत के लिए भेदभाव की समाप्ति ; और

(३) पाकिस्तान के साथ भारत के जरिये नेपाल के व्यापार के लिए परिगमन सुविधाएं ।

इस सम्बन्ध में जारी की गयी संयुक्त विज्ञप्ति की प्रति सभा पटल पर रख दी गयी है। [**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २०४५/६३**] अनुमान है कि व्यापार के विस्तार के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत अगले कुछ महीनों में होगी।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : चूंकि इस समझौते पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, क्या उसे लागू किया गया है ? यदि हां, तो वह अब किस तरह चल रहा है ?

†**श्री कानूनगो** : वह बिलकुल ठीक चल रहा है सिवाय इसके कि नेपाल सरकार को वे खास खास रास्ते घोषित करने हैं जहां से हो कर पाकिस्तान का व्यापार भारत से गुजरेगा ।

†**श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या सरकार ने मार्ग निर्धारित करने और गोदाम में माल रखने के स्टेशन निर्धारित करने का जहां से हो कर विदेशों से सारा व्यापार नेपाल जायगा, अधिकार रक्षित रखा है ?

†**श्री काननगो** : वह विदेशी नहीं हैं। जहां तक विदेश से नेपाल के साथ संपूर्ण पार-गमन व्यापार का सम्बन्ध है गंतव्य स्थान बंदरगाह हैं। बांड की जो व्यवस्था की गयी थी वह अब रद्द कर दी गयी हैं। अब व्यवस्था यह है कि यदि नेपाल की सीमा तक माल भारतीय रेलवे से ले जाया जाना है तो उन्हें बांड नहीं भरना पड़ेगा ।

†**श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या सरकार का ध्यान नेपाल सरकार के प्रवक्ता के इस कथन की ओर दिलाया गया है कि भारत द्वारा नेपाल को दी गयी वर्तमान सुविधाओं से भी वह पाकिस्तान के साथ व्यापार कर सकेगा ? यदि यह ठीक है तो अब नेपाल को और अधिक परिवहन सुविधाएं क्यों दी जा रही हैं ?

†**श्री कानूनगो**: वह अतिरिक्त सुवविधाएं नहीं हैं। नेपाल का पाकिस्तान के साथ बहुत थोड़ा व्यापार है । वह व्यापार बढ़ाने के लिए उस व्यापार को भारत से हो कर गुजरना होगा और उस सम्बन्ध में माल लाने ले जाने के लिए प्रवेश और पारगमन के स्थान घोषित करने होंगे ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : ये सीमा शुल्क तथा बांड पद्धति को समाप्त करने से भारत को जो लाभ-संभवत: होंगे वे नेपाल के बाजार में भारतीय माल की प्रतियोगिता में पाकिस्तान को

---

†मूल अंग्रेजी में

अधिक सस्ता माल निर्यात करने के लिए दी जा रही परिगमन सुविधाओं से कहां तक प्रभावहीन हो जायेंगे ।

†**श्री कानूनगो** : अन्तर्राष्ट्रीय कानून और प्रथाओं के अनुसार, भूमि द्वारा चारों ओर से घिरे हुए देश को पड़ोसियों से पारगमन की सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार होता है । यह हम उन पर कोई ऐहसान नहीं कर रहे हैं, वह एक जिम्मेदारी है जो हमें पूरी करनी है । उससे नेपाल के साथ हमारे व्यापार पर कितना असर पड़ेगा इसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता । वह सभी देशों और सभी माल के बीच प्रतियोगिता का प्रश्न है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : क्या यह सच है कि इस बातचीत के समय या उससे पहले चीनी माल भारतीय प्रदेश से हो कर नेपाल ले जाने के लिए कुछ सुविधाएं देना मंजूर कर लिया गया था और यदि हां तो किस आधार पर और किन वस्तुओं के मामले में ?

†**श्री कानूनगो** : चीनी माल की बात नहीं है, प्रश्न यह है कि चारों ओर से घिरे हुए देश को पारगमन का अधिकार होता है । नेपाल को कई वर्षों से यह अधिकार मिला हुआ है । अब जो परिवर्तन किया गया है वह यह है कि बाण्ड पद्धति समाप्त की गयी है और वह उस माल के सम्बन्ध में समाप्त की गयी है जो नेपाल को सीधे जाने वाले हवाई जहाजों या भारतीय रेलवे से भारतीय बंदरगाहों से नेपाल को भेजा जाता है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : उनका प्रश्न यह था कि क्या वह चीन से आयात किये गये माल पर लागू होता है ?

†**श्री कानूनगो** : जी हां ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : प्रश्न यह था कि चूंकि भारत ने युद्ध घोषित किया था और भारत रक्षा नियम लागू किये थे, इसलिए चीनी माल भारतीय प्रदेश से होकर किसी दूसरे देश में लाने ले जाने पर यदि रोक नहीं तो प्रतिबन्ध अवश्य होना चाहिये । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि क्या बातचीत के दौरान या उससे पहले भारतीय प्रदेश से चीनी माल नेपाल ले जाने के लिए कोई सुविधाएं दी गयी थीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : वह कहते हैं कि चारों ओर जमीन से घिरे हुए सभी देशों को वह सुविधाएं देने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार हम बाध्य हैं ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : वह भले ही हो, किन्तु राष्ट्रीय स्तर पर हमारे और चीन के बीच युद्ध की स्थिति है । इसलिए चीनी माल भारत से होकर नेपाल किस तरह जा सकता है ?

†**श्री कानूनगो** : पहले भारत से हो कर कोई चीनी माल नेपाल नहीं गया है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : संपदा के अधिनियम के अधीन वह एक शत्रु देश है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें 'अध्यक्ष पीठ' के विरुद्ध 'युद्ध' घोषित नहीं करना चाहिये ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मुझे खेद है आपने मुझे गलत समझा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री जो बात बता रहे हैं वह उसे समझें ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : उन्होंने क्या बात बताई है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : जिस अवधि की ओर उन्होंने निर्देश किया है उसके दौरान कोई माल नहीं गुजरा है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : यदि हमने ठीक सुना था तो पहले उन्होंने कहा था. . .

†**अध्यक्ष महोदय** : वह सुविधा तो है, परन्तु इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है ।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : गुप्त रूप से जा रहा है । शायद इसका उन्हें पता नहीं है ।

श्री क० ना० तिवारी : पाकिस्तान और चाइना को जो ट्रांजिट फैसिलिटीज दी गई हैं, उस से हिन्दुस्तान की ट्रेड पर कितने परसेंट असर पड़ा है और किन किन वस्तुओं पर असर बड़ा है ?

श्री कानूनगो : मैं ने अभी कहा है कि आज से नहीं, बल्कि बहुत पहले से नेपाल को इंडिया से ट्रांजिट फैसिलिटीज दी गई हैं ।

श्री क० ना० तिवारी : मेरा प्रश्न यह है कि पाकिस्तान और चाइना को जो ट्रांजिट फसिलिटीज दी गई हैं, उन से हिन्दुस्तान की जो ट्रेड नेपाल से होती थी, उस को कितने परसेंट धक्का लगा है और किन किन वस्तुओं पर असर पड़ा है ।

अध्यक्ष महोदय : यह जवाब पहले दिया गया है कि अभी यह कहना मुश्किल है अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है ।

श्री क० ना० तिवारी : किन किन वस्तुओं में कमी हुई है ?

†**श्री कानूनगो** : हम अभी उसका अनुमान नहीं लगा सकते क्योंकि पाकिस्तानी सुविधाएं अभी कायम नहीं की गयी हैं ।

श्री यशपाल सिंह : नेपाल और पाकिस्तान के बीच जो व्यापार-समझौता हुआ है, उस की वजह से हमारा माल हमारी मर्जी के खिलाफ पाकिस्तान में पहुंचता रहेगा । सरकार ने इस के लिए क्या कदम उठाए हैं कि नेपाल दोनों किश्तियों में सवार न हो सके ?

†**श्री कानूनगो** : नेपाल एक स्वतंत्र देश है । उसे व्यापार के लिए भारत से रास्ते मांगने का आग्रह करने का अधिकार है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रामेश्वरानन्द : मैं जानना चाहता हूं कि नेपाल सरकार का पाकिस्तान और चीन के साथ सम्बन्ध होने से क्या भारत के साथ व्यापार में कुछ कटुता आ गई है ।

अध्यक्ष महोदय : अभी बतायेंगे, थोड़ी देर के बाद ।

श्री रामेश्वरानन्द : अभी बता देते, तो अच्छा होता ।

अध्यक्ष महोदय : अभी उन को मालूम नहीं है, तो वह कैसे बतायें। अगला प्रश्न ।

†**श्री कपूर सिंह** : मैं एक अनुपूरक प्रश्न पूछना चाहता था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे खेद है मैं ने दूसरा प्रश्न पूछे जाने के लिये कह दिया है ।

†**श्री कपूर सिंह** : मैं ने इस विषय पर एक ध्यान दिलाने की सूचना दी थी। मेरा ख्याल था कि अगर आप मुझे एक अनुपूरक प्रश्न पूछने की इजाजत दे देते तो उसको निबटाया जा सकता था ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं मालूम करूंगा ।

†**श्री दाजी** : श्री कपूर सिंह आपका ध्यान अपनी ओर नहीं दिला सक रहे हैं । यह आश्चर्य की बात है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : कम्यूनिस्ट ग्रुप के एक सदस्य थे । जब मैं ने उन्हें मौका नहीं दिया तो उन्होंने कहा था कि अपने शरीर के आकार के कारण ही वह मेरा ध्यान अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सके ।

हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड

†*४२८. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियारग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड संगठन के विकेन्द्रीकरण की विस्तृत योजना बना ली गयी है ;

(ख) यदि हां, तो हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के विभिन्न विभागीय कार्यालयों पर प्रभाव डालने वाली योजना की क्या विशेषतायें हैं ; और

(ग) क्या उन कार्यालयों का भी विकेन्द्रीकरण किया जायेगा जिनका केन्द्रीयित कार्य संचालन, कुशलता तथा मितव्ययिता की दृष्टि से सन्तोषजनक रहा है ?

†**इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड ने इस्पात कारखानों के सामान्म प्रबन्धकों को और अधिक शक्तियां प्रदान की हैं ।

(ख) सामान्य प्रबन्धकों को सभी पदों पर केवल उन को छोड़ कर जिनके लिए सरकार की अनुमति प्राप्त करनी होती है और ४००—९५० रु० के वेतन क्रम के ग्रैजुएट इंजिनियरों / जूनियर इंजीनियरों की प्रारंभिक पदालि को छोड़ कर जिनमें केन्द्रीय सरकार

†मूल अंग्रेजी में

की ओर से ही भरती होती रहेगी, अन्य सभी पदों पर पदवृद्धि या अन्य प्रकार से नियुक्तियां करने की शक्ति प्रदान की गयी है । उन कर्मचारियों को छोड़ कर जिनकी नियुक्तियां सरकार द्वारा या सरकार की अनुमति से की जाती हैं अन्य कर्मचारियों के लिए उन्हें अनुशासनात्मक प्राधिकार भी होगा । सामान्य प्रबन्धक विदेशी कर्मचारियों की नियुक्तियां भी कर सकते हैं लेकिन उनकी नियुक्ति की शर्तों और उन की संख्या पर कंपनी के अध्यक्ष/निदेशक मंडल की अनुमति प्राप्त करनी होती है । खरीद संबंधी कामकाज की जिम्मेदारी इस्पात कारखानों पर सौंप दी गयी है । बिक्री संबंधी कामकाज केन्द्रीकृत रहेगा लेकिन प्रत्येक सामान्य प्रबन्धक के पास एक वाणिज्यिक प्रबन्धक भी हुआ करेगा जो केन्द्रीय बिक्री कार्यालय और उत्पादन विभाग में उचित सम्पर्क बनाये रखेगा ।

(ग) जी नहीं । लेकिन केन्द्रीय खरीद संगठन बंद कर दिया गया है और प्रत्येक कारखाने के लिए खरीद का काम सामान्य प्रबन्धकों को दे दिया गया है । जहां तक केन्द्रीय बिक्री कार्यालय का संबंध है वह तीनों ही कारखानों के लिए सेवा अभिकरण के रूप में जारी रखा जा रहा है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या यह सच है कि इन तीनों कारखानों के सामान्य प्रबन्धक काफी समय से यह आग्रह कर रहे थे कि दैनंदिन मामलों में खर्च संबंधी उनकी वित्तीय शक्तियां बढ़ायी जानी चाहियें ? क्या नयी योजना में उसके लिए कुछ किया गया है ?

†**इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : ऐसी बात नहीं है । वह प्रत्येक कारखाने में नियुक्त वित्तीय परामर्श दाता के नियंत्रण के संबंध में है । जैसा कि पहले बताया जा चुका है, जनरल मैनेजरों को अब वित्तीय परामर्शदाताओं की राय के विपरीत काम करने की भी शक्ति दी गयी है ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या तीनों ही कारखानों में एक केन्द्रीय संस्था के रूप में काम करने वाली परिवहन तथा नौवहन विभाग का भी विकेन्द्रीकरण करने का विचार है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : वह बिक्री संगठन के संबंध में था । एक केन्द्रीय संगठन के द्वारा अधिक अच्छा काम चलेगा ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : वह बिक्री संगठन नहीं है । परिवहन तथा नौवहन विभाग का बिक्री से कोई संबंध नहीं है । वह संगठन तो कलकत्ता बंदरगाह में आने वाले कच्चे माल को लेता है और जहाजों से उसे कारखाने में भेजता है ।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : प्रत्येक कारखाना माल अन्दर लाने वाले संगठन की देखभाल कर लेता है ।

†**श्री दाजी** : क्या सरकार ने वित्तीय परामर्शदाताओं का विशेष पद छीन लेने के विषय पर विचार किया है ? सरकार और महालेखा परीक्षक के बीच विवाद का क्या परिणाम निकला, क्योंकि उसने यह कहा था कि ऐसा करना असंवैधानिक होगा ।

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : जी नहीं । वित्तीय परामर्शदाता का महा लेखा परीक्षक से कोई संबंध नहीं है । महालेखा परीक्षक का संबंध लेखा परीक्षा से होता है, उस पर महालेखा परीक्षक के साथ अभी भी चर्चा हो रही है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अ० प्र० शर्मा** : सामान्य प्रबंधकों और दिल्ली के बीच हुआ पत्रव्यवहार गुप्त होता है या सामान्य प्रकार का होता है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : सामान्य प्रबंधकों और सरकार के बीच कोई गुप्त पत्रव्यवहार नहीं हुआ है।

†**श्री पें० वेंकटा सुब्बय्या** : क्या विकेन्द्रीकरण के नाम पर जिम्मेदारी टालना और उत्पादन की कार्यक्षमता पर घातक प्रभावों को रोकने के लिए पर्याप्त कार्यवाही की गयी है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : ये सभी कार्यवाहियां कार्यक्षमता बढ़ाने और निश्चय करने की जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए की जा रही हैं। वास्तव में विभिन्न कार्यों के विकेन्द्रीकरण के लिए की गयी कार्यवाहियों से कार्यकुशलता और उत्पादन में वृद्धि हुई है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि यह निश्चय किया गया था कि कोई सामान्य प्रबंधक संचालक नहीं होगा और क्या यह सच है कि यह निश्चय रूरकेला में भूतलक्षी प्रभाव से कार्यान्वित किया जा रहा है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम्** : जी हां। तीन सामान्य प्रबन्धकों में से दो बोर्ड में नहीं हैं। रूरकेला का सामान्य प्रबंधक अब भी बोर्ड में है लेकिन बहुत शीघ्र ही वह बोर्ड में नहीं रहेगा ।

†**श्री बारियर** : इन सभी कारखानों के विभिन्न कार्यों जैसे खरीद, बिक्री और दूसरी बातों का समन्वय करने के लिए सरकार ने क्या कार्यप्रणाली स्थापित की है ?

†**श्री चि० सुब्रह्मण्यम** : तीनों ही कारखाने हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के हैं। जहां कहीं आवश्यकता होती है वही समन्वय करती है ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

औद्योगिक उत्पादन में कमी

†*४२९. **श्री दाजी** :
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि ११ प्रतिशत के औसत लक्ष्य से पीछे कर गयी है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र उसे दिये गये लाइसेंसों का उपयोग नहीं कर सका है ; और

(ग) यदि हां, तो किस लक्ष्य और क्षमता के लिए ये लाइसेंस जारी किये गये थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†उद्योग मंत्री (श्री का नगो) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवर सभा-पटल पर रखा जाता है । [पुस्तकालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० २०४६/६३]

ओरियन्ट पेपर मिल्स, मध्य प्रदेश

*४३१. श्री कछवाय :
श्री उटिया :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश के जिला शहडोल में ओरियन्ट पेपर मिल्स को जून १९५६ में एक कागज का कारखाना स्थापित करने के लिए लाइसेंस दिया गया था ;

(ख) क्या लाइसेंस की अवधि १९६३ में समाप्त हो गई और मिल में अब तक उत्पादन आरम्भ नहीं हुआ है ;

(ग) क्या यह सच है कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा मिल के विरुद्ध रिपोर्ट दिये जाने के बावजूद मार्च, १९६३ में मिल को दिये गये लाइसेंस का नवीकरण कर दिया गया था ; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी, हां ।

(ख) यह कारखाना निर्माणाधीन है तथा इसके लाइसेंस की अवधि को ३० जून १९६४ तक बढ़ा दिया गया है ।

(ग) और (घ). राज्य सरकार ने लाइसेंस की अवधि को बढ़ाने का विरोध नहीं किया है लेकिन वह केवल यह चाहती है कि इस अवधि को सभी सम्बन्धित बातों पर पूरी तरह ग़ौर किए बगैर न बढ़ाया जाए। केन्द्रीय सरकार ने फर्म के लाइसैन्स की अवधि जून, १९६४ तक बढ़ाने के लिए स्वीकृति देने का निर्णय करती बार अवधि बढ़ाने के लिए दिए गए फर्म के आवेदन पर मार्च, १९६३ के निर्णय को कार्यान्वित करने के लिये कारखाने की योजना में अब तक की गई प्रगति के समेत सभी सम्बंधित बातों पर पूरी तरह ग़ौर किया है ।

कोयले की श्रेणियां निर्धारित करना

†*४३२. श्री रघुनाथ सिंह : क्या इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कोयले की ऊष्मा उत्पादकता[1] के आधार पर कोयले की श्रेणियां निर्धारित करने के सम्बन्ध में विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये आवश्यक प्रमुख उपाय एक ऐसा बड़ा संगठन स्थापित करना है जो नमूने तैयार करे, उनका परीक्षण करे तथा क्रशर आदि जैसा आवश्यक

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Calorific Value.

उपकरण प्राप्त करे । इस उपकरण की बहुत बड़ी मात्रा आयात करनी पड़ती है । इन संगठनात्मक प्रश्नों के अतिरिक्त कोयले की उपयोगी ऊष्मता उत्पादकता निश्चित करने के मूलभूत सूत्र का निर्णय करने सम्बन्धी तथा ये दर्शाने के प्रश्न हैं कि कोयले, रसायनों तथा अन्य पदार्थों के कौन से गुण उक्त ऊष्मता उत्पादकता पर प्रभाव डालेंगे तथा किस सीमा तक ये सारी बातें इस समय परीक्षणाधीन हैं।

स्टाम्प शुल्क

†*४३३. **श्री हेमराज** : क्या विधि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने विधि-वृत्ति में स्टाम्प शुल्क को शून्य घोषित किया है ; और

(ख) यदि हां, तो देश में एक समान कानून बनाने के लिए स्टाम्प शुल्क का परिहार करने या भारतीय स्टाम्प अधिनियम की अनुसची १ के अनुच्छेद ३० का संशोधन या लोप करने के लिए केन्द्रीय सरकार का अन्य राज्य सरकारों के साथ-साथ क्या कदम उठाने का विचार है ?

(क)

†**विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन)** : समाचारपत्रों में समाचार छपे हैं कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उत्तर प्रदेश स्टाम्प (संशोधन) अधिनियम, १९६२ को शून्य घोषित कर दिया है ।

(ख) सरकार ने राज्य सरकार से निर्णय की एक प्रति जांच के लिये मंगवाई है । मामला अभी विचाराधीन है ।

साइट्रिक एसिड का मूल्य

†*४३४. **श्री हरि विष्णु कामत** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्योग में काम आने वाले साइट्रिक एसिड के जहाज से उतरने पर मूल्य लगभग १२० रुपये प्रति ५० किलोग्राम है ;

(ख) क्या बाजार भाव लगभग ६०० रुपये प्रति ५० किलोग्राम है; और

(ग) क्या साइट्रिक एसिड की बिक्री में अत्यधिक मुनाफाखोरी होती है और यदि हां, तो मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) और (ग). सरकार साइट्रिक एसिड के वर्तमान बाजार भाव के ६०० रुपये प्रति ५० किलोग्राम तक ऊंचे होने के बारे में नहीं जानती और न ही इसमें अनुचित मुनाफा-खोरी के सम्बन्ध में कोई शिकायतें ही मिली हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खादी की बिक्री पर छूट

†*४३५. { डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी :
श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गोकरन प्रसाद :

क्या उद्योग मंत्री १६ अगस्त, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खादी ग्रामोद्योग आयोग के इस प्रस्ताव पर अन्तिम रूप से निर्णय कर लिया है कि बिक्री पर छूट देने की वर्तमान नीति के स्थान पर बुनकरों को सीधा भुगतान करने की योजना लागू कर दी जाय; और

(ख) योजना किस प्रकार लागू होगी और इसके आर्थिक संगठनात्मक, और राजनैतिक पहलू क्या होंगे ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). जी नहीं। प्रस्ताव की अभी जांच हो रही है।

संसद् में हिन्दी/अंग्रेजी में विधेयक

४३६. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **विधि** मंत्री २९ मार्च, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ६५४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संसद् में अंग्रेजी तथा हिन्दी दोनों भाषाओं में विधेयक कब से पुरःस्थापित होने लगेंगे ;

(ख) जिन विधेयकों का हिन्दी में अनुवाद हो चुका है क्या उनको प्रमाणिक बनाने के लिए उन्हें सरकारी गजट में प्रकाशित कर दिया गया है; और

(ग) यदि नहीं, तो यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

विधि मंत्री (श्री अ० कु० सेन) : (क) वर्तमान विधि के अधीन संसद् में पुरःस्थापित किये जाने वाले सब विधेयकों के प्राधिकृत पाठ अंग्रेजी भाषा में होने चाहिएं। किन्तु इस बात की व्यवस्था कर ली गई है कि जहां तक सम्भव हो सके, संशोधक विधेयकों से भिन्न सरकारी विधेयकों के हिन्दी रूपान्तर दिये जायें।

(ख) जी नहीं। राज भाषा अधिनियम, १९६३ की धारा ५ की उपधारा (१) के अधीन शासकीय गजट में राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किसी केन्द्रीय अधिनियम का हिन्दी में अनुवाद उसका हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा। यह उपधारा अभी प्रवृत्त नहीं की गई है और केन्द्रीय अधिनियमों के अब तक किये गये हिन्दी अनुवाद उनके प्राधिकृत पाठ नहीं हैं।

(ग) उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह आवश्यक होगा कि राजभाषा अधिनियम की धारा ५ की उपधारा (१) और उपधारा (२) के उपबंधों को प्रवृत्त किया जाये। इस बारे में कोई निश्चित तारीख बताना सम्भव नहीं है कि ये कब प्रवृत्त किये जायेंगे या इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सीमेंट की कमी

†*४३७. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री यशपाल सिंह :
श्री द० ब० राजू :
श्री जसवन्त मेहता :
श्री बाल कृष्णन :

क्या **इस्पात खान तथा भारी इंजिनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सीमेंट की कमी है; और

(ख) यदि हां, तो सीमेंट का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**इस्पात, खान तथा भारी इंजिनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) और (ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० २०४७/६३]**

सरकारी क्षेत्र की इस्पात परियोजनायें

†*४३८. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **इस्पात, खान तथा भारी इंजिनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए सरकारी क्षेत्र की इस्पात परियोजनाओं के लिए प्रविधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का कोई कार्यक्रम है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रकार के प्रशिक्षण क लिए कितनी तथा किस प्रकार की क्षमता तथा सुविधायें बढ़ाई गई हैं ?

†**इस्पात, खान तथा भारी इंजिनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) और (ख). जी हां। प्रशिक्षित प्रविधिक कर्मचारियों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए इस्पात संयंत्रों में प्रशिक्षण की सुविधाओं को बढ़ाया जा रहा है। प्रसार के बाद इस्पात संयंत्रों से सम्बद्ध तकनीकी संस्थाओं में प्रति वर्ष लिये जाने वाले प्रशिक्षणार्थियों की संख्या इस प्रकार होगी :—

१.	स्नातक इंजीनियर . .	३४०
२.	वरिष्ठ संचालक . .	५७५
३.	कनिष्ठ संचालक . .	६२५
४.	शिल्पी	७००

सूती कपड़े की उत्पादन लागत

*४३९. **श्री स० चं० सामन्त :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती कपड़े की उत्पादन लागत कम करने का कोई प्रयत्न किया गया है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो उत्पादन लागत कम करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). सूती कपड़े सहित निर्यात निमित्त कतिपय वस्तुओं के बारे में लागत कम करने वाले कार्यक्रम बनाने के हेतु सरकार ने दिसम्बर, १९६२ में एक लागत कमी अध्ययन विशेषज्ञ समिति नियुक्त की थी। समिति ने इस बीच सूती कपड़े के बारे में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है जिसकी जांच हो रही है।

युगोस्लाविया को चाय का निर्यात

†*४४०. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि १९६२–६३ में इससे पहले वर्ष की तुलना में चाय का निर्यात अधिक हुआ था परन्तु धन पहले वर्ष की तुलना में कम मिला; और

(ख) यदि हां, तो कितना तथा इसके क्या कारण हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). जी हां। १९६२–६३ में युगोस्लाविया को २७२,००० किलोग्राम भारतीय चाय का निर्यात किया गया जिसका मूल्य १,४२४,००० रुपये था जब कि १९६१–६२ में १,४६१,००० रुपये के मूल्य की २५०,००० किलोग्राम चाय निर्यात की गई थी। ऐसा समझा जाता है कि युगोस्लाविया के चाय के आयातकों ने १९६२–६३ में पहले की अपेक्षा सस्ते दामों वाली चाय ली है।

सीमेंट की कमी

*४४१. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री :**
श्री बालकृष्णन् :

क्या **इस्पात, खान तथा भारी इंजियनिरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीमेंट की कमी को पूरा करने के लिए कारखाने खोलने में क्या प्रगति हुई है ;

(ख) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र में जिन कारखानों को लाइसेंस दिये गये थे वहां काम आरम्भ हो गया है ;

(ग) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने इसका कारण पता लगाने का यत्न किया है; और

(घ) क्या सरकारी क्षेत्र में भी कुछ कारखाने स्थापित करने का विचार है और यदि हां, तो कितने और कहां कहां ?

इस्पात, खान तथा भारी इंजिनीयरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

[पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० २०४८/६३]

दक्षिण-पूर्व एशिया का भारतीय व्यापार शिष्टमंडल द्वारा दौरा

†*४४२. **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

---

†मूल अंग्रेजी में

(क) क्या हाल में ही एक सदस्यीय भारतीय व्यापार शिष्टमंडल ने दक्षिण-पूर्व एशिया का दौरा किया था ;

(ख) यदि हां, तो किन किन देशों के साथ व्यापार सम्पर्क स्थापित किये गये ; और

(ग) क्या दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार की संभावनाओं तथा क्षेत्र के बारे में कोई प्रतिवेदन पेश किया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) इस मंत्रालय में दक्षिण-पूर्व एशिया के भार-साधक प्रादेशिक निदेशक ने सितम्बर-अक्तूबर, १९६३ में पूर्वी एशिया के कुछ देशों का दौरा किया था ।

(ख) कम्बोडिया, इण्डोनेशिया, जापान, मलयशया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण वियतनाम और थाईलैण्ड ।

(ग) प्रादेशिक निदेशक ने जिन पूर्व एशियाई देशों का दौरा किया है उनके साथ व्यापार के बारे में कुछ सिफारिशें की हैं ।

पिंजोर में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी

†*४४३. **श्री प्र० चं० बरुआ :**
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का तीसरा कारखाना पिंजोर में अक्तूबर, १९६३ में चालू हो गया था तथा यदि हां, तो इसको पूरा करने में कितनी लागत आई ;

(ख) कारखाने की विशेषताएं क्या है तथा वहां पर किस प्रकार के औजार बनाये जाते हैं ; और

(ग) कारखाने की वास्तविक तथा अधिष्ठापित क्षमता कितनी है ?

†**इस्पात, खान तथा भारी इंजिनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) से (ग) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स का कारखाना पिंजोर में अक्तूबर १९६३ में चालू किया गया था । परियोजना के प्रथम चरण की पूंजी लागत ७५० लाख रुपये होने का अनुमान है । अक्तूबर १९६३ तक परियोजना पर हुआ नकद व्यय २९८·९१ लाख रुपये था । इस कारखाने के डिजायन, निर्माण तथा चालू करने का काम बिना किसी विदेशी सहकार या सहायता के पूर्णतः भारतीय कर्मचारियों द्वारा किया गया है । कारखाना सभी तरह की पिसाई मशीनें तथा गियर कटिंग मशीनें बनायेगा । उत्पादन अभी अभी आरम्भ हुआ है और आशा है कि १९६६–६७ तक प्रति वर्ष ५ करोड़ रुपये के मूल्य के १००० मशीनी औजार के उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त कर लेगा ।

हिन्दुस्तान, इंसेक्टीसाइड्स लिमिटेड, केरल

†११९४—क. **श्री रामचन्द्र उलाका** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल के हिन्दुस्तान इंसेक्टीसाइड्स लिमिटेड ने उस कारखाने में काम करने वाले लोगों के लिये कितने क्वार्टर बनाये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(ख) निर्मित हो रहे क्वार्टरों की संख्या क्या है ;

(ग) अक्तूबर, १९६३ के अन्त तक कितने कर्मचारियों को क्वार्टर दिए गए हैं ; और

(घ) उन कर्मचारियों की संख्या क्या है जिन्हें १९६४–६५ में क्वार्टर दिए जायेंगे ?

†उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) ७३

(ख) ६

(ग) ७३

(घ) ६

नाहन फाउण्ड्री लिमिटेड

†११९५. श्री प्रताप सिंह : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नाहन फाउण्ड्री लिमिटेड (हिमाचल प्रदेश) बिजली की मोटरों का निर्माण करता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उन मोटरों का बाजार में भेजने से पहले प्रयोगशाला में परीक्षण किया जाता है ; और

(ग) १९६१–६२ तथा १९६२–६३ में बिजली की कितनी मोटरों का निर्माण किया गया है और कितनी बेची गई हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) और (ख) जी हां ।

(ग) १९६१–६२ तथा १९६२–६३ में उत्पादन तथा बिक्री इस प्रकार थे :—

	१९६१–६२	१९६२–६३
	संख्या	संख्या
उत्पादन	३०	३०९
बिक्री	—	६१

प्रागा टूल्स कारपोरेशन

११९६. श्री ई० मधुसूदन राव : क्या इस्पात, खान तथा भारी इंजिनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद स्थित प्रागा टुल्स कारपोरेशन की जांच के लिए एक जांच समिति नियुक्त की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति में कितने सदस्य हैं और क्या समिति ने रिपोर्ट पेश कर दी है ; और

(ग) यदि हां, तो इस रिपोर्ट पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात, खान तथा भारी इंजिनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग). हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड द्वारा हैदराबाद में मशीन टूल्स का एक नया कारखाना लगाने के फैसले की रोशनी में प्रागा टूल्स कारपोरेशन लिमिटेड का भावी कार्यक्रम निश्चित करना आवश्यक समझा गया। इस उद्देश्य से सरकार ने तीन सदस्यों की एक समिति नियुक्त की थी। समिति की रिपोर्ट मिल गई है और प्रागा टूल्स कारपोरेशन के निर्माण कार्यक्रम के बारे में सरकार ने समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है। कारपोरेशन से सिफारिशों को कार्यरूप देने के बारे में कहा गया है।

महाराष्ट्र में कताई कारखाने

†११९७. **श्री दे० शि० पाटिल** : क्या **अन्तराष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार को राज्य में सहकारी क्षेत्रों में ७२०० तकुओं वाला एक कताई कारखाना स्थापित करने की प्रार्थना भेजी थी ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). सहकारी क्षेत्र में ७२०० तकुओं वाला एक कताई कारखाना स्थापित करने के बारे में महाराष्ट्र सरकार से अभी तक कोई प्रार्थना प्राप्त नहीं हुई है।

पटसन का मूल्य

†११९८. **श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा में तारपुर, भद्रक, बालासोर, बरहामपुर तथा बोलंगीर जैसे कई स्थानों पर पटसन २५ रुपये से कम पर बिक रहा है जो सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य है ;

(ख) क्या इन स्थानों पर कोई प्रमुख क्रय केन्द्र खोला गया है ;

(ग) उड़ीसा में खोले गए प्रमुख क्रय केन्द्रों की कुल संख्या क्या है तथा वे किन किन स्थानों पर खोले गए हैं तथा क्या राज्य व्यापार निगम इन केन्द्रों के द्वारा खरीद रहा है ; और

(घ) जिन स्थानों पर कोई प्रमुख क्रय सहकारी समिति नहीं बनाई गई हैं उनमें किसानों को न्यूनतम निर्धारित मूल्य दिलाने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) बहुत ही घटिया किस्मों को छोड़ कर मूल्य सामान्यत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम परिचालन स्तरों से अधिक हैं।

(ख) और (ग). राज्य व्यापार निगम राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ तथा पटसन पैदा करने वाले विभिन्न राज्यों में उसकी संघटक शाखाओं द्वारा खरीदता है। उड़ीसा में क्रय मुख्यत : पटसन सहकारी विपणन समिति, लिमिटेड, दानपुर अथवा उससे संबंद्ध क्रय

†मूल अंग्रेजी में

समितियों द्वारा, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित ९ गौण मंडिया तथा २० पूरक केन्द्र आते हैं, किया जाता है :—

गौण मंडियां	पूरक केंद्र
१. केन्द्र पटना	१. कटक नगर
२. दानपुर	२. दानपुर
३. मरशाघई	३. रेंदुपटना
४. घनमंडल	४. मरशाघइ
५. बाइरी	५. धनमण्डल
६. जाजपुर रोड	६. जाजपुर रोड
७. बेल्बाहली	७. बाइरी
८. तारपुर	८. भद्रक
९. भद्रक	९. जटनी
	१०. कालापाड़ा
	११. तारपुर
	१२. दतिया
	१३. बलियापाल
	१४. बंकी
	१५. जालेसर
	१६. आनन्दपुर
	१७. बरहामपुर
	१८. बारगढ़
	१९. धीन कनाल
	२०. बारीपाड़ा

(घ) उड़ीसा में जिन स्थानों पर पटसन उगाया जाता है वे सभी प्रधान, गौण या प्रादेशिक समितियों के अन्तर्गत आ जाते हैं। जो कोई क्षेत्र शेष रह जाता है उसे अपने अधीन लाने के लिये राज्य व्यापार निगम दस अधिक बड़ी विपणन समितियों को कह रहा है। क्रय सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम परिचालन मूल्यों पर किया जायेगा।

कपास के मूल्य

†११९९. **श्री दे० शि० पाटिल** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कपास के मूल्यों को निर्धारित उच्चतम सीमा के अन्दर रखने के लिये वस्त्र आयुक्त द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ;

†ूल अंग्रेजी में

(ख) अक्तूबर, १९६१, १९६२ तथा १९६३ के अन्त में क्या भाव था ; और

(ग) नवम्बर १९६३ में क्या त्यमू थ ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) कोई विशष उपाय आवश्यक नहीं समझ जाते क्यों कि मूल्य सामान्यत: निर्धारित उच्चतम सीमा के अन्दर ही हैं। जब मूल्य उस सीमा से अधिक हो जाते हैं तब यदि कारखाने उस सीमा के अनुसार मूल्यों पर कपास प्राप्त करने में कठिनाई होने की सूचना दें तो वस्त्र आयुक्त कपास को अधिग्रहण करता है।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० २०४९/६३**]

पालना खानें

†१२००. { **श्री कर्णीसिंहजी :**
श्री वि० भू० देव :

क्या **इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालना, राजस्थान से लिग्नाइट का खनन करने के लिये कोई पुनरीक्षित परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में उक्त परियोजना के निष्पादन के लिये संघ सरकार द्वारा ऋण तथा अनुदान के रूप में कितनी धनराशि तथा अन्य सुविधायें दी गई हैं ?

†**इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) राजस्थान सरकार के पालना लिग्नाइट खनन बोर्ड के मुख्य खनन इंजीनियर ने पालना में लिग्नाइट निक्षेपों के खुले छेद वाले खनन के बारे में एक विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार किया है।

(ख) परियोजना राज्य की तीसरी योजना में सम्मिलित है और इसकी क्रियान्विति के लिये आवश्यक निधि की व्यवस्था राज्य सरकार द्वारा अपने आय व्ययक में की जा रही है। चालू वर्ष में इस परियोजना के लिये संघ सरकार द्वारा अभी तक कोई ऋण या अनुदान नहीं दिया गया है।

गोआ में कच्चे लोहे की छोटी खानें

१२०१. { **श्री ओंकारलाल बेरवा :**
श्री गोकरन प्रसाद :
श्री विश्वनाथ पांडेय :
श्री ह० च० सोय :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गोआ में कच्चे लोहे की छोटी खानों के बन्द हो जाने की संभावना है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम): (क) जी नहीं। खानें, विशेषतया छोटी खानें, मांग तथा अन्य तथ्यों पर निर्भर होने के कारण समय-समय पर बन्द और खोली जाती हैं। १९६३ वर्ष के पहले आधे में गोआ में चालू छोटी खानों की संख्या में काफी परिवर्तन हुआ। परन्तु जून १९६३ से चालू छोटी खानों की संख्या धीरे धीरे बढ़ रही है। वर्तमान लक्षणों से ऐसा विदित होता है कि स्थिति में सुधार होना जारी रहेगा।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गारो पहाड़ियों में छिद्रण कार्य

†१२०२. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री २८ अगस्त, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ३३३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम ने इस बीच पश्चिम दर्रेनगिरि के गारो पहाड़ियां क्षेत्र में, जो छिद्रण कार्य के लिये चुना गया है, छिद्रण का काम आरंभ कर दिया है और यदि हां, तो अब तक क्या परिणाम निकले हैं ; और

(ख) क्या इस बीच इस क्षेत्र में कोयला उत्पादन की सम्पूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन संभव हो पाया है तथा यदि हां, तो क्या परिणाम निकला है ?

†**स्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) और (ख). मूलतः गारो पहाड़ियों में दो तापीय केन्द्र बनने थे और दोनों की अलग अलग योजनाओं के रूप में स्वीकृति दी गई थी (अर्थात १) ३० मेगावाट वाले दो सेट, तथा (२) २.५ किलोवाट वाले दो सेट। आसाम राज्य बिजली बोर्ड के कार्यक्रम में हाल ही के एक परिवर्तन को देखते हुए, जिसके अधीन ३० मेगावाट वाले तेल से चलने वाले दो विद्युत् जनन केन्द्र गौहाटी में बनाये जाने वाले हैं। गारो पहाड़ियों में प्रस्तावित तापीय विद्युत् जनन क्षमता को ६५ मेगावाट से ५ मेगावाट कर दिया गया है। ५ मेगावाट की कम की गई इस क्षमता के लिए गारो पहाड़ियों के तापीय बिजली घर को १९६५–६६ तक केवल १० हजार मीट्रिक टन कोयले की आवश्यकता होगी तथा १९६६–६७ तक २० हजार मीट्रिक टन की। इस से सारा चित्र बदल जाता है और केवल २० हजार मीट्रिक टन की चरम क्षमता वाली नई खान अलाभप्रद होगी। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम द्वारा छिद्रण कार्य तभी आरंभ हो सकता है यदि ५० लाख मीट्रिक टन की न्यूनतम क्षमता वाली खान हो। अब इस प्रश्न के सभी सम्बन्धित पहलुओं की राज्य सरकार के साथ परामर्श से जांच की जा रही है।

सांभर झील में नमक का उत्पादन

†१२०३. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी**: क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को ऐसे अभ्यावेदन मिले हैं कि हिन्दुस्तान साल्ट्स लिमिटेड के कार्यपालक, जो सांभर झील में नमक के उत्पादन का प्रबन्ध कर रहे हैं, स्थानीय व्यापारियों के हितों का अतिलंघन तथा निरादर कर रहे हैं ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो इस सब के बारे में सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं?

†उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सरकारी क्षेत्र क इस्पात, संयंत्रों में उत्प्रेरक लाभांश योजना

†१२०४. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की इस्पात परियोजनाओं के कर्मचारियों के लिए किसी तरह की उत्प्रेरक लाभांश योजना आरंभ की गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं?

†इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) जी हां।

(ख) यह योजना विभागीय उत्पादन पर आधारित वर्ग लाभांश योजना है जिसमें इस्पात सयंत्रों में महा अधीक्षक के अधीन जनरल फोरमैन के स्तर तक सभी तकनीकी कर्मचारी आ जाते हैं। कर्मचारियों को चार वर्गों में बांटा गया है अर्थात् उत्पादन, पोषण, सेवा तथा सामान्य। लाभांश योजना इस्पात पिघलाने वाले विभाग से वहां तक सम्बन्धित है, जहां तक सभी विभागों के बिये लाधांश का एक विभाग इस्पात पिघलाने विभाग के उत्पादन से सम्बन्धित है। देय लाभांश मूलभूत वेतन से सम्बन्धित है ।

राजस्थान में नये सीमेन्ट कारखाने

†१२०५. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी** : क्या इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तृतीय योजना अवधि के शेष भाग के अन्दर राजस्थान में और नये सीमेंट कारखानों की स्थापना के लिये लाइसेंस देने का विचार है ; और

(ख) इनकी स्थापना के लिये जो विभिन्न स्थानों के बारे में विचार किया गया तथा जो स्थान चुने गये, उनके नाम क्या हैं?

†इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी) : (क) और (ख). नीम का थाना, सीकर जिला, राजस्थान में २,०३,१८० टन की वार्षिक क्षमता का एक सीमेंट कारखाना स्थापित करने की एक योजना स्वीकार कर ली गई है । औपचारिक रूप से लाइसेंस उस समय दिया जायगा जब सम्बन्धित पक्ष संयंत्र तथा मशीनरी के बारे में पूर्ण व्यवस्था कर लेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

मोटर तथा मोटर साइकिल के पुर्जों का आयात

†१२०६. { **श्री यशपाल सिंह :**
श्री महेश्वर नायक :

क्या इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१-६२ तथा १९६२-६३ के दौरान कुल कितने मूल्य के मोटर तथा मोटर साइकिल के पुर्जों का आयात किया गया ;

(ख) इनकी भारी मांग को देखते हुए, क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी क्षेत्र में इनके निर्माण के लिये कोई कारखाना स्थापित करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो यह कब स्थापित किया जायेगा ?

†**इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) १९६१-६२ तथा १९६२-६३ के दौरान हुए मोटरगाड़ी तथा मोटर साइकिल के पुर्जों के आयात के आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :—

वर्ष	आयात (मूल्य में)
१९६१-६२	२८,७५,७५,००० रुपये
१९६२-६३	२३,८७,११,००० रुपये

(ख) मोटरगाड़ियों, मोटर साइकिलों आदि के विभिन्न पुर्जों के निर्माण के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र में अनेक कारखाने पहिले ही स्थापित किये जा चुके हैं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

इस्पात के उत्पादन में रद्दी माल

†१२०७. **श्री यशपाल सिंह : क्या इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री १३ सितम्बर, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ६५९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६२-६३ के दौरान तीन इस्पात कारखानों में से प्रत्येक के उत्पादन में रद्दी माल की कुल कितनी मात्रा थी ; और

(ख) इसमें से कितना माल बेचा जा चुका है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). जानकारी नीचे दी जाती है :—

	१९६२-६३ के दौरान उत्पादित रद्दी माल की मात्रा	१९६२-६३ के दौरान बेचे गये रद्दी माल की मात्रा
	टन	टन
रूरकेला इस्पात कारखाना .	२०,०१३	१२,१६१
भिलाई इस्पात कारखाना . .	२६,१२८	१५,१६०
दुर्गापुर इस्पात कारखाना . .	२६,७०५	१२,९१२

सीतापुर जिल (उत्तर प्रदेश) में इस्पात कारखाना

१२०८. श्री ओंकार लाल बेरवा :
श्री गोकरन प्रसाद :

क्या **इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीतापुर जिले (उत्तर प्रदेश) में एक इस्पात का कारखाना खोलने की अनुमति दे दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कारखाने को खोलने के लिए आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था कर दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग). सीतापुर जिले (उत्तर प्रदेश) में इस्पात का कारखाना लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है । ताहम वहां पर एक प्राइवेट पार्टी को ३,०००—३,६०० टन प्रति वर्ष विशेष इस्पात तथा इस्पात की ढली वस्तुओं के उत्पादन हेतु एक विद्युत भट्टी लगाने के लिए लाइसेंस दिया गया है । कारखाने को यथाशीघ्र स्थापित करने के लिए आवश्यक सुविधाएं देने के लिए कदम उठाये गए हैं ।

मशीन निर्माण उद्योग

†१२०९. **श्री ईश्वर रेड्डी** : क्या **इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने तृतीय योजना के दौरान मशीन निर्माण उद्योग के विकास के लिये क्या पग उठाये हैं ;

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या इस सम्बन्ध में योजना में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लेने की कोई संभावना है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) सरकारी क्षेत्र में चार मशीन निर्माण सम्बन्धी निगम कार्य कर रहे हैं जो इस प्रकार हैं :—

(१) हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लि०, बंगलौर ।

(२) हैवी इलैक्ट्रिकल्स (इंडिया) लि०, भोपाल ।

(३) प्राग टूल्स कारपोरेशन लि०, हैदराबाद ।

(४) हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि०, रांची ।

हिन्दुस्तान मशीन टूल्स के बंगलौर एकक में पूरा उत्पादन चालू है । इसके पिन्जौर एकक में अभी अभी उत्पादन प्रारम्भ हुआ है, हैदराबाद तथा कालमासेरी के दो अन्य एककों का निर्माण किया जा रहा है तथा तृतीय योजना अवधि के पूरा होने से पहिले ही इनमें उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा । जहां तक हैवी इलैक्ट्रिकल्स का सम्बन्ध है, भोपाल यूनिट में उत्पादन चालू है, तथा हरिद्वार, रामचन्द्रपुरम और तिरुचिरापल्ली के अन्य तीन एककों का निर्माण किया जा रहा है । प्राग टूल्स में काफी समय से उत्पादन चालू है । हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन के अन्तर्गत ढलाई घर तथा भारी मशीनी औजार कारखानों सहित रांची का भारी मशीन निर्माण सम्बन्धी एकक है तथा कोयला खनन के लिये मशीनों सम्बन्धी परियोजना दुर्गापुर में है । इसमें उत्पादन चालू हो गया है । भारी मशीन निर्माण कारखाने के कुछ भागों में उत्पादन पहिले ही चालू हो गया है । तृतीय योजना अवधि के अन्त तक अधिकांश भागों में उत्पादन प्रारम्भ हो जायेगा । दो अन्य एककों का निर्माण कार्य जारी है ।

तृतीय योजना में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये, उद्योग सम्बन्धी मशीनों की विभिन्न मदों के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र को उद्योग अधिनियम के अन्तर्गत लाइसेंस दिये गये हैं । अनेक लाइसेंस प्राप्त एककों में उत्पादन चालू हो गया है और बहुत से एककों में तृतीय योजना की शेष अवधि में उत्पादन प्रारम्भ हो जाने की आशा है । इनकी प्रगति पर दृष्टि रखी जा रही है ।

(ख) ऐसा अनुमान है कि मशीनों की अधिकांश मदों के लिये तृतीय योजना में निर्धारित लक्ष्य प्राप्त कर लिये जायेंगे । हां, कागज बनाने की मशीनों तथा मशीनी औजारों के बारे में शायद पूरे लक्ष्य प्राप्त करना संभव न हो सकेगा ।

(ग) कागज बनाने की मशीनों के बारे में निर्धारित लक्ष्यों की पूरी प्राप्ति न किये जाने का मुख्य कारण पेपर मिलों से मिलने वाले क्रय आदेशों का अभाव है । मशीनी औजारों का जहां तक सम्बन्ध है, इस उद्योग का अपेक्षतया मन्द गति से विकास होने का मुख्य कारण यह है कि उद्योग के लिये भारी पूंजी विनियोजन तथा जटिल तकनीकी जानकारी की आवश्यकता है जिसका विदेशों से हमेशा प्राप्त करना आसान बात नहीं है । इसके अतिरिक्त विदेशी मुद्रा की कमी भी कम उत्पादन के लिये उत्तरदायी है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर प्रदेश में औद्योगिक बस्तियां

†१२१०. **श्री सरजू पाण्डेय** : क्या **उद्योग** मंत्री २० सितम्बर, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २२४१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय योजना अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश में किन स्थानों पर औद्योगिक बस्तियां स्थापित करने का निर्णय किया गया है । तथा इनकी स्थापना के बारे में अब तक की गई प्रगति क्या है ;

(ख) प्रथम तथा द्वितीय योजना अवधियों में उत्तर प्रदेश के किन किन स्थानों पर औद्योगिक बस्तियां स्थापित की गई थीं ; और

(ग) प्रत्येक की स्थापना में कितनी सफलता मिली है तथा उससे कितना औद्योगिक विकास हुआ है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० २०५०/६३]**

आसाम के सीमेन्ट कारखानों के लिये मशीनें

†१२११. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत आसाम में चालू किये जाने वाले दो कारखानों के लिये यूगोस्लाविया से पूरी की पूरी सीमेन्ट की मशीनों का आयात करेगा ;

(ख) यदि हां, तो किन निबन्धनों पर ; और

(ग) क्या इसके लिये फर्म को इस बीच क्रय आदेश दिये जा चुके हैं ?

†**इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में उपमंत्री (श्री प्र० चं० सेठी)** : (क) जी, हां ।

(ख) चेरापूंजी में एक सीमेंट कारखाना चालू करने सम्बन्धी योजना के लिये ६३ लाख रुपये के (लागत-बीमा भाड़ा सहित) मूल्य का एक आयात लाइसेंस दिया गया है । गरमपनी में एक सीमेंट कारखाना चालू करने सम्बन्धी योजना के अनुसार दूसरे कारखाने के बारे में निबन्धनों को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ग) केवल चेरापूंजी योजना के बारे में ही मशीनों के लिये क्रय आदेश दिये गये हैं ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा वस्तुओं का व्यापार

१२१२. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राज्य व्यापार निगम ने इस वर्ष किन किन वस्तुओं का व्यापार आरम्भ करने का निर्णय किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : राज्य व्यापार निगम ने इस वर्ष नीचे लिखी वस्तुओं का व्यापार आरम्भ किया है :—

निर्यात के लिये :—

मर्दानी कमीजें, नायलन के मौजे, जनानी सेण्डिलें, सिगरेटें, उस्तरे के ब्लेड, साबुन तथा अंगराग सामग्री, खेल का सामान, नकली रत्न, कागज के उत्पाद, पैक की हुई चाय, तुरन्त तैयार होने वाली काफी, बिस्कुट और मिठाइयां, टीन बन्द काजू, आम का रस, आम की फांकें, अनानास का रस, और दांत के ब्रश ; और

आयात के लिये :—

मन्धक ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा दालों का निर्यात

†१२१३. **श्री द० ब० राजू** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पड़ौसी देशों को दालों का निर्यात करने का कार्य राज्य व्यापार निगम द्वारा किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो इस समय घरेलू तथा निर्यात मूल्यों में क्या अन्तर है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) जी, हां ।

(ख) घरेलू तथा निर्यात मूल्यों में अन्तर किस्म-किस्म तथा स्थान-स्थान के अनुसार अलग है ।

झांसी (उत्तर प्रदेश) में औद्योगिक बस्तियां

१२१४. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के झांसी डिवीजन के चार जिलों में औद्योगिक बस्तियां बनाने में कितना समय लगने की संभावना है ; और

(ख) न बस्तियों में उद्योग कब तक चालू हो जायेंगे ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) यह आशा है कि चालू वित्तीय वर्ष के समाप्त होने से पूर्व ही ये बस्तियां बनकर पूरी हो जाएंगी ।

(ख) औद्योगिक वस्ती के पूरा होने के बाद प्रथम वर्ष में ही निर्धारित कारखानों की अधिकतर यूनिटों के शैड़ बन कर तयार हो जाने की आशा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

केरल में रबड़ की खेती

†१२१५. **श्री वारियर** : क्या अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३ और १९६३ में केरल में कितने क्षेत्र में रबड़ की खेती की गई ; और

(ख) यह वृद्धि कितनी उस भूमि के परिवर्तन के परिणामस्वरूप हुई है जिसमें खाद्यान्न उत्पन्न किया जाता था तथा कितनी जंगलों के साफ किये जाने के कारण ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) १९५३ और १९६३ में क्रमशः १,५४,६५३ एकड़ तथा ३,४०,२९६ एकड़ में।

(ख) ऐसी ज़मीनों की मट्टी, जिनमें खाद्यान्न का उत्पादन होता है, रबड़ की खेती के लिए सामान्यतया उपयुक्त नहीं है तथा ऐसी ज़मीनों का परिवर्तन नगण्य ही होगा। रबड़ की खेती के क्षेत्रफल में वृद्धि अधिकांशतया नये पौधों के उन क्षेत्रों में लगाने के कारण हुई है, जहां पहिले गैर-सरकारी तथा सरकारी द्वितीय कोटि के जंगल थे।

फाउन्टेन पेन की स्याही तैयार करना

†१२१६. **श्री वारियर** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस देश में फाउंन्टेन पेन की स्याही तैयार करने वाले विदेशी समवायों की संख्या तथा नाम क्या है ;

(ख) प्रत्येक समवाय में विदेशी तथा भारतीय पूंजी किस अनुपात में है; और

(ग) देश में स्याही को तैयार करने के लिए आवश्यक सामग्री के हेतु १९६३ में कुल कितने मूल्य के लाइसेंस दिये गये ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). फाउन्टेन पेन की स्याही को तैयार करने के लिए प्रविधिक विकास के महानिदेशालय में पंजीयन दो सार्थों की साम्य पूंजी में विदेशी हिस्सा भी है। ये सार्थ ये हैं:—

सार्थ का नाम	साम्य पूंजी में विदेशी अंश की प्रतिशतता
१. मेसर्स चेलपार्क कं० लि०, मद्रास	४९ प्रतिशत
२. मेसर्स पायलट पेन कं०, मद्रास	३३ प्रतिशत

(ग) स्याही के तैयार करने में लगी हुई संगठित क्षेत्र की दो फर्मों को सामग्री के आयात के लिए अप्रैल, १९६३ से मार्च, १९६४ के दौरान ७५,६५४ रुपये के मूल्य के (२८—११—६३ तक) आयात लाइसेंस दिये गये।

टिन प्लेटों का उत्पादन

†१२१७. **श्री वारियर** : क्या इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में टिन प्लेटों का उत्पादन आवश्यकता के अनुसार है; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि नहीं, तो इस की कमी को रोकने के लिए जिससे मूल्य बढ़ते हैं, क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

†**इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) टिन प्लेटों की वर्तमान वार्षिक मांग का अनुमान २००,००० टन है। इस मांग के मुकाबले में, १९६२ में ९४,३२५ टन उत्पादन हुआ था और जनवरी-सितम्बर १९६३ की अवधि में ७१,७७१ टन उत्पादन हुआ था। कमी को पूरा करने के लिए, १९६२ में ४०,७६२ टन और जनवरी-सितम्बर १९६३ की अवधि में ४१,८२४ टन का आयात किया गया है।

(ख) १९६५-६६ तक, टिन प्लेटों की मांग २,६१,००० टन होने का अनुमान है। इस सीमा तक उत्पादन करने के लिए सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में मिला कर ४,३०,००० टन की क्षमता का लाइसेंस दिया गया है।

मैंगनीज और लोह अयस्क खानें

†१२१८. **श्री शिव मूर्ति स्वामी :** क्या इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में सोंदूर के भूतपूर्व शासक और उसके पुत्र के पास मैंगनीज और लोहा-अयस्क की खानें कितने एकड़ों में फैली हुई हैं;

(ख) क्या वे राज्य अथवा केन्द्र को तमाम अपेक्षित स्वामिस्व एवं ऐसे अन्य कर देते हैं ;

(ग) उसने अभ्यावेदन भेजा है कि सम्पूर्ण पट्टे पर दिया गया खनन क्षेत्र उनका अपना है या मन्दिर न्यास सम्पत्ति है; और

(घ) यदि हां, तो उसके बारे में केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

†**इस्पात, खान और भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) मैंगनीज और मैंगनेफेरस लोह अयस्क २७ वर्ग मील

मैंगनीज अयस्क के लिये २ वर्ग मील

योग २९ वर्ग मील (१९,५६० एकड़)

(ख) जी हां, राज्य सरकार को।

(ग) और (घ) जी हां, सान्दूर शासक और मैसूर सरकार के बीच उन भूमियों में, जो शासक की निजी सम्पत्तियां हैं और जो कुमारास्वामी मंदिर की हैं, जिसका परम्परागत प्रन्यासक शासक है, खनन अधिकार भोगने के बारे में शासक के दावे के बारे में विवाद है। शासक ने बिना रियायत नियमों के नियम ५४ के अन्तर्गत भारत सरकार से पुनरीक्षण का अभ्यावेदन किया है, जो अभी निलंवित है।

बेलारी जिला (मसूर राज्य) में इस्पात उद्योग

†१२१९. **श्री शिव मूर्ति स्वामी :** क्या इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसूर राज्य के बेलारी जिला में सरकारी क्षेत्र में इस्पात उद्योग के नियतन के बारे में कोई अन्तिम निर्णय किया जा चुका है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो काम कब और कहां आरंभ किया जाएगा और किसके सहयोग के साथ ; और

(ग) यदि नहीं, तो प्रस्ताव में परिवर्तन करने के क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) जी नहीं। गोआ-होसपेट प्रदेश में एक नवीन इस्पात संयंत्र स्थापित करने के बारे में निर्णय तब किया जाने की संभावना है, जब कर्मकार वर्ग, जो लोहा और इस्पात के सम्बन्ध में चौथी पंचवर्षीय योजना बनाने के लिए सरकार को सहायता देने के निमित्त बनाया गया है, उसकी अन्तिम सिफारिशें प्राप्त हो जायेगी।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठता।

कच्चा लोहा

†१२२०. **श्रीमती सावित्री निगम** : क्या **इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों को श्रेणी (जे) के अन्तर्गत छोटे पैमाने के उद्योग के लिए १२०,००० टन कच्चे लोहे के नियतन ब्यौरा क्या है; और

(ख) राज्यों के कितने उद्योगों को यह अभ्यंश आवंटित किया गया है ?

†**इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) और (ख) १२०,००० टन का आवंटन बढ़ा कर २,१८,००० टन कर दिया गया है। विभिन्न राज्यों को किये गये आवंटन को दर्शाने वाला विवरण और प्रत्येक राज्य के छोटे पैमाने के ढलाई घरों की संख्या का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है [**पुस्तकालय में रखा गया** [**देखिये एल० टी० २०५१/६३**]

छोटे पैमाने के उद्योगों को निर्यात सहायता

†१२२१. **श्री उमानाथ** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने अल्प स्तर उद्योगपतियों ने छोटे पैमाने के उद्योग योजना को निर्यात सहायता के अन्तर्गत राजकीय व्यापार निगम की सहायता मांगी है ;

(ख) कितने लोगों को सहायता दी गई और किन उद्योगों के सम्बन्ध में; और

(ग) अब तक कितना खर्च किया गया और क्या परिणाम निकले ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) १५१४।

(ख) ३२ छोटे पैमाने की इकाइयां योजना में पूर्ण यान्त्रिक के लिए अब तक स्वीकार की गई हैं। ये एकक चमड़े के जूते, रसायन तथा औषध निर्माण वस्तुओं, लोहे के सामान, इस्पात फर्नीचर, स्वचालित पुर्जों, सैनिटरी फिटिंग, घरेलू उपकरणों, पैडलोंको, रेजर ब्लेडों, साइकिलों और साइकिल पुर्जों, बिजली का सामान, डीजल इंजनों और पम्पिंग सैटों जैसे उद्योग करते हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

इस के अतिरिक्त, ६६७ छोटे पैमाने के एककों को अपनी वस्तुओं का निर्यात करने में आंशिक सहायता दी जाती है ।

(ग) इस योजना के अन्तर्गत अब तक ८०९७.४४ रुपये खर्च किये गये हैं ।

राजकीय व्यापार निगम द्वारा, भाग लेने वाले एककों की ओर से किये गये प्रत्यक्ष प्रयत्नों के फलस्वरूप, २९ लाख रुपये की वस्तुओं की पेशकश विदेशी क्रेताओं को दी गई है, जिस में से २.१४ लाख रुपये की वस्तुओं के आदेश दिय जा चुके हैं। पांच अधिकारियों ने निर्यात सलाहकार के तौर पर काम करने का प्रशिक्षण प्राप्त किया है और ३० अफसरों को निर्यात विपणन तरीकों का प्रशिक्षण मिल रहा है । हाल ही में ५० छोटे उद्योगपतियों ने १३ सप्ताहों के एक एक सायंकालीन प्रशिक्षण क्रम में भाग लिया था ।

भारी मशीन निर्माण संयंत्रों की डिजाइन संस्थाएं

†१२२२. **श्री उमानाथ :** क्या इस्पात, खान तथा इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारी मशीन संयंत्रों की डिजाइन संस्थाओं के कार्य पर तत्स्थान जांच करने के लिये हमारे इंजीनियरों का एक प्रतिनिधिमंडल रूस और चैकोस्लोवाकिया को भेजने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ?

†**इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) :** (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

मछली पकड़ने की नावों क डीजल इंजन

†१२२३. **श्री अ० व० राघवन :** क्या इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इर्नाकुलम में मछली पकड़ने की नावों के डीजल इंजन बनाने के लिये एक फैक्टरी स्थापित करने का विचार है ?

(ख) क्या नार्वे की सरकार ने योजना के साथ सहयोग करने का वचन दिया है, और

(ग) यदि हां, तो क्या योजना अन्तिम रूप से तैयार की जा चुकी है ?

†**इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) :** (क) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम १९५१ के अन्तर्गत मैसर्स केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम, सीमित, त्रिवेन्द्रम से इर्नाकुलम जिला में एक औद्योगिक सम्पदा की स्थापना के लिये एक प्रार्थना की गई है, जिस में अन्य बातों के साथ साथ, डीजल इंजनों विशेष कर मछली पकड़ने की नावों के लिये उपयोगी, को बनाने का काम आरम्भ करने का प्रस्ताव किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) नार्वे की सरकार नार्वे के गैर-सरकारी पक्षों को औद्योगिक सम्पदा में भारतीय गैर-सरकारी पक्षों के साथ सहयोग करने में रुचि पैदा करने का विचार करती है।

(ग) अभी तक नहीं ।

इस्पात तथा भारी उद्योग

†१२२४. { श्रीमती सावित्री निगम :
श्री बी० चं० शर्मा :

क्या इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान विदेशी सहयोग से देश में अब तक कितने इस्पात तथा भारी उद्योगों की स्थापना की गई है तथा इसके लिये कितना विदेशी सहयोग प्राप्त हुआ ;

(ख) चालू वर्ष के दौरान अब तक स्वीकृत किन उद्योगों के लिये कितना विदेशी सहयोग प्राप्त हुआ; और

(ग) अब तक जिन देशों ने सहयोग प्रदान किया है तथा जो सहयोग देने के लिये सहमत हो गये हैं, उनके नाम क्या हैं ?

†इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) से (ग) सूचना एकत्रित की जा रही है तथा सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

केरल में ढले हुए लोहे के नल बनाने वाला कारखाना

†१२२५. श्री केप्पन : क्या इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल में ढले हुए लोहे के नल बनाने वाले एक कारखाने की स्थापना के लिये लाइसेंस दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस कारखाने की स्थापना में सहयोग देने वालों के नाम क्या हैं ?

†इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख). ढले हुए लोहे के नलों के निर्माण के लिये केरल में एक औद्योगिक उपक्रम की स्थापना करने सम्बन्धी मेसर्स केरल राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड का एक प्रस्ताव केन्द्र सरकार ने स्वीकार कर लिया है । सहयोग प्रदान करने का कोई प्रस्ताव अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

अन्तर्राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन

†१२२६. श्री रघुनाथ सिंह : क्या इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि के रूप में एक कोयला दल अन्तर्राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन में भाग लेने के लिये अक्तूबर, १९६३ में जापान गया था ?

†इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : जी, हां। जापान में हुए अन्तर्राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन में भाग लेने वाले दल में राष्ट्रीय कोयला विकास निगम लिमिटेड के सभापति, सिंगरेनी कोयला खान समवाय लिमिटेड, आन्ध्र प्रदेश के

---

†मूल अंग्रेजी में

महाप्रबन्धक तथा भूतपूर्व खान और ईंधन मंत्रालय में भारत सरकार के एक उप-सचिव थे। इन के अतिरिक्त, कोयला उद्योग के गैर-सरकारी क्षेत्र के ४ प्रतिनिधियों ने भी सम्मेलन में भाग लिया ।

"फाइबर ग्लास"

†१२२७. श्री हेडा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने "फाइबर ग्लास" की राष्ट्रीय आवश्यकताओं का अनुमान लगाया है ;

(ख) इन आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु क्या पग उठाये गये हैं ;

(ग) इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं तथा क्या कार्यक्रम बनाया गया है ; और

(घ) अब तक क्या सफलता मिली है ?

†उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :) (क) से (घ). एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

"फाइबर ग्लास" उद्योग के सम्बन्ध में कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं। तृतीय पंचवर्षीय योजना अवधि के अन्त तक "फाइबर ग्लास" की मांग लगभग १५०० टन प्रति वर्ष तक हो जाने का अनुमान है । इस समय, "फाइबर ग्लास" की विभिन्न किस्मों के निर्माण सम्बन्धी तीन योजनाओं के लिये कुल २५७५ टन प्रति वर्ष की क्षमता के लिये लाइसेंस दिया गया है । इन में से एक में जिसकी वार्षिक क्षमता २७५ टन है, १९६४–६५ में उत्पादन चालू हो जाने की आशा है ।

पटसन की वस्तुओं का उत्पादन

†१२२८. श्री कोल्ला वेंकैया : क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अगस्त और सितम्बर, १९६३ के दौरान पटसन की वस्तुओं का उत्पादन कम हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो जौलाई, अगस्त और सितम्बर, १९६३ में तथा १९६२ के इन्हीं महीनों में कितना उत्पादन हुआ ; और

(ग) इन दो महीनों में उत्पादन कम होने के क्या कारण हैं ?

†उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ग). जौलाई, १९६३ की अपेक्षा अगस्त और सितम्बर, में उत्पादन कुछ कम था । जौलाई, अगस्त और सितम्बर, १९६३ में क्रमशः १,१८,९०० टन, १,१४,८०० टन था तथा १,०८,७०० टन उत्पादन हुआ जब कि १९६२ के इन्हीं महीनों में उत्पादन क्रमशः १,१२,००० टन, १,१२,७०० टन तथा १,०८,००० टन था । अगस्त और सितम्बर १९६३ में उत्पादन कम होने का कारण मिलों द्वारा इन महीनों में कम दिन काम किया जाना था । यह कमी उत्पादन पर किसी प्रकार प्रतिबंध लगाने के कारण नहीं हुई । इन दो महीनों में छुट्टियां भी कुछ अधिक थीं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

ब्राज़ीली प्रतिनिधिमंडल

†१२२९. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि एक ब्राज़ीली व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने अक्तूबर, १९६३ में भारत का दौरा किया था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) जी, हां ।

(ख) प्रतिनिधिमंडल के साथ हुई चर्चा प्रारम्भिक स्वरूप की थी । ब्राज़ीली प्रतिनिधि-मंडल द्वारा दिये गये सुझावों पर सम्बन्धित विभागों द्वारा विचार किया जा रहा है । हमारे प्रस्तावों पर ब्राज़ील की प्रतिक्रियाएं अभी प्राप्त नहीं हुई हैं । आशा है कि इस प्रतिनि-मंडल की यात्रा से और अच्छे व्यापार सम्बन्ध स्थापित हो सकेंगे । अप्रैल—सितम्बर, १९६३ के दौरान हुए व्यापार सम्बन्धी आंकड़ों से पता चलता है कि गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में, इन महीनों में ब्राज़ील को किये गये हमारे निर्यात में १०० प्रतिशत वृद्धि हुई है ।

आसाम में लौह अयस्क

†१२३०. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्रीमती ज्योत्स्ना चन्दा :

क्या **इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के ग्वालपाड़ा जिले के बिलाशीपाड़ा क्षेत्र में लौह अयस्क पाया गया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में खोज करने का कोई प्रयत्न किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) :** (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) भारतीय भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग इस भू-भाग में मानचित्रण का कार्य करर हा है तथा जनवरी, १९६२ से अब तक ग्वालपाड़ा जिले में २,२३९ वर्ग किलो मीटर क्षेत्र में मानचित्रण किया जा चुका है । बिलाशीपाड़ा के समीप चंद्रदुर्ग पहाड़ी में मिले नये निक्षेप से ३० से ३५ प्रतिशत कोयला मेगनेटाइट वाला ४ करोड़ टन अयस्क प्राप्त होने का अनुमान है ।

उत्तर प्रदेश के लिये कोयला

†१२३१. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :**
श्री बालगोविन्द वर्मा :

क्या **इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ।

(क) १९६२–६३ तथा १९६३–६४ में अब तक उत्तर प्रदेश राज्य को विभिन्न किस्मों का कितना संभरित किया गया ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) उत्तर प्रदेश राज्य की वार्षिक कुल आवश्यकता कितनी है ?

†**इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) और (ख) राज्य सरकारों की जो मांगे स्वीकार नहीं की जातीं, उनके आंकड़े नहीं रखे जाते । १९६२–६३ से १९६३–६४ (सितम्बर, १९६३ तक) के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य को किए गये कोयले के आवंटित कोटे तथा उसे भेजे गए विभिन्न किस्मों के कोयले के आंकड़े नीचे दिये जाते हैं :—

(आंकड़े वैगनों से)

	१९६२–६३		१९६३–६४ (सितम्बर, १९६३ को समाप्त होने वाले ६ महीनों में)	
	कोटा	भेजी गई कोयले की की मात्रा	कोटा	भेजी गई कोयले की मात्राण
कोयला	६३,७२६	६२,५९१*	३७,२६८	४८,०१५*
हार्ड कोक	३,०४८		१,५९०	
साफ्ट कोक	९,६००	१०,८८४	४,८००	६,१०६
कुल	७६,३७४	७३,४७५	४३,६५८	५४,१२१**

*हार्ड कोक की भेजी गई मात्रा के पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते हैं ।

**परिवहन सम्बन्धी स्थिति में सुधार हो जाने के परिणामस्वरूप तदर्थ आवंटन किए जाने के कारण भेजे गए कोयले की मात्रा कोटे से अधिक है ।

विदेशों में सम्भरण मिशन

†१२३२. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **सम्भरण** मंत्री २३ अगस्त, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या २६७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मास्को और ड्यूसेलडोर्फ में दो नये संभरण मिशन चालू करने के बारे में इस बीच कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ?

†**सम्भरण मंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

†मूल अंग्रेजी में

पानी के मीटरों का उत्पादन

†१२३३. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **उद्योग मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में पानी के मीटरों के उत्पादन में भारी कमी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, नहीं। उत्पादन में कमी नहीं हुई है बल्कि पानी के मीटरों के उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है।

(ख) और (ग) : प्रश्न ही नहीं उठते।

शक्ति चालित हलों[1] का निर्माण

†१२३४. **श्री रामचन्द्र उलाका :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री धुलेश्वर मीना :
श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैसर्स इन्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन आफ उड़ीसा लिमिटेड, बंगलौर में जापान के सहयोग से शक्तिचालित हलों के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव पर विचार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका विवरण क्या है ?

†**इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) जी, हां।

(ख) योजना सिद्धांत रूप में स्वीकार की गयी है, बशर्ते विदेशी सहयोग की शर्तें, निर्धारित कार्यक्रम, पूंजीगत वस्तुओं की आवश्यकतायें आदि सरकार के अनुसार निश्चित हो जायें।

स्कूटरों और मोटर साइकिलों के मूल्य

†१२३५. **श्री वारियर** : क्या **इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्कूटरों, मोटर साइकिलों और तीन पहिये वाली सवारी गाड़ियों के पुर्जे के निर्यात पर सीमा शुल्क संम्बन्धी रियायत की दरों को समाप्त कर देने के फलस्वरूप इन सवारी गाड़ियों के मूल्य मेंवृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Pawer Tillers.

(ख) क्या इस सम्बन्ध में आल इंडिया आटोमोबाइल एंड एन्सिलरी एसोसियेशन से सरकार को कोई आभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार का दृष्टिकोण क्या है ?

†**इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) से (ग). मोटर साइकिलों/ स्कूटरों आदि के आयात किए जाने वाले पुर्जों पर सीमाशुल्क की रियायत की दरों को समाप्त करने के फलस्वरूप इनके निर्माताओं को सीमाशुल्क में हुई वास्तविक वृद्धि के बराबर मूल्यों में वृद्धि करने की अनुमति दी गई है और आल इंडिया आटोमोबाइल एण्ड एन्सीलरी इन्डस्ट्रीज एसोशियेशन को इस निर्णय के बारे में सूचित कर दिया गया है।

कोयले से तरल ईंधन

†१२३६. **श्री यशपालसिंह :**
श्री प्र० कु० घोष :

क्या **इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार कोयले से कृत्रिम तरल ईंधन के उत्पादन के लिये कारखाना स्थापित करने की व्यावहारिकता पर विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इससे क्या प्रयोजन सिद्ध होगा ; और

(ग) क्या इससे देश में तेल की मांग की कुछ पूर्ति होगी और यदि हां, तो कहां तक ?

†**इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) सरकार के विचाराधीन इस प्रकार का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

राज्य व्यापार निगम द्वारा भेजे गये प्रतिनिधि मंडल

†१२३७. **श्री ब० कु० दास :**
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६२–६३ में राज्य व्यापार निगम ने किन-किन देशों में मंडियों का अध्यन करने के लिये प्रदिनिधि मंडल भेजे थे ?

(ख) उनके अध्ययन के क्या परिणाम निकले ; और

(ग) उनकी सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री कानूनगो)** : (क) राज्य व्यापार निगम की सहायक संस्था, हस्तशिल्प तथा हथकरघा निर्यात निगम, ने अमेरिका, ब्रिटेन और हांगकांग में मंडियों के अध्ययन के लिये एक अधिकारी भेजा था ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) मंडियों के अध्ययन के परिणामस्वरूप अधिकारी ने हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों के संवर्धन के लिये निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :—

(१) "ब्लीडिंग मद्रास" के निर्यात के लिये मूल्य की अधिकतम सीमा निर्धारित करना ;

(२) लंदन, न्यूयार्क, लास एन्जिल्स और डल्लास में डिपो खोलना ;

(३) टसर-सिल्क के उत्पादन का स्तरीकरण करना और निर्यात से पूर्व अनिवार्य निरीक्षण; और

(४) इटावा पलंगपोषों (इटावा बेड स्प्रेड्स) की किस्म का स्तरीकरण और उनका उचित मूल्य निर्धारण करना ।

(ग) सरकार द्वारा सिफारिश संख्या (१), (३) और (४) क्रियान्वित की गई है । सरकार ने न्यूयार्क में एच० एण्ड० एच० ई० सी० का नमूना कार्यालय खोलने की स्वीकृति दे दी है ।

छोटे चाय उत्पादकों को ऋण

†१२३८. **श्री हेम राज** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री १६ अगस्त, १९६३ के अतारांकित प्रश्न संख्या २७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को राज्य सरकारों से उनके राज्यों में छोटे चाय उत्पादकों को ऋण देने सम्बन्धी योजनायें प्राप्त हुई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार या चाय बोर्ड द्वारा क्या निर्णय किया गया है ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

अधिवक्ता अधिनियम के अन्तर्गत वकीलों का नाम दर्ज करना

†१२३९. **श्री हेम राज** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष १९६१ से पहले विधि वृत्ति करने वाले ऐसे वकीलों की संख्या क्या है जिन्होंने अधिवक्ता अधिनियम के अन्तर्गत वर्ष १९६२ और जून १९६३ के अन्त तक विभिन्न राज्यों में अधिवक्ता के लिये अपने नाम दर्ज करवाये हैं ?

†**विधि मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र)** : भारत सरकार के पास सूचना उपलब्ध नहीं है । यह राज्यों की वकील परिषदों तथा उच्च-न्यायालयों से सूचना एकत्रित की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

स्पीती तथा लाहौल में खनिज निक्षेप

†१२४०. { **श्री दलजीत सिंह** :
श्री हेम राज :

क्या **खान इस्पात, तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में स्पीती तथा लाहौल में खनिज निक्षेपों का कोई सर्वेक्षण किया गया है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) क्या हाल ही में वहां तांबे या पीतल के निक्षेप पाये गये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो किस मात्रा में ?

†**इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) जी हां।

(ख) कुछ स्थानों पर तांबा पाया गया है।

(ग) विस्तृत खोज होने तक मात्रा का कोई प्राक्कलन तैयार नहीं किया जा सकता।

नंगल बांध में मशीनी औजार कारखाना

†१२४१. **श्री दलजीत सिंह** : : क्या **इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी सहायता से एक मशीनी औजार कारखाना स्थापित करने के लिये विशेषज्ञों का एक दल नंगल बांध गया था ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई निर्णय किया है ?

†**इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) सरकार को इस प्रयोजन के लिये विशषज्ञों के दल के नंगल बांध के दौरे की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

मद्रास विधान परिषद् का स्नातक निर्वाचन क्षेत्र

†१२४२. **श्री अ० ब० राधवन्** : क्या **विधि** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मद्रास विधान परिषद् के स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची में अपने नाम सम्मिलित करवाने के लिये सभी अर्हता प्राप्त व्यक्तियों को नये सिरे से अभ्यावेदन भेजना होता है चाहे उनका नाम सूची में पहले हो या न हो ;

(ख) क्या विधान सभा या संसद के सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचन सूचियों में सम्मिलित व्यक्तियों के सम्बन्ध में यही प्रक्रिया अपनाई गई थी ; और

(ग) संविधान के वे कौन से उपबन्ध हैं जिनके अधीन एक निर्वाचक को, जिसका नाम पहले से ही निर्वाचक सूची में है, पुनः अभ्यावेदन भेजना पड़ता है ?

†**विधि मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री विभुधेन्द्र मिश्र)** : (क) जी हां।

(ख) जी नहीं।

(ग) यह निर्वाचक पंजीकरण नियम, १९६० के नियम ३१ के उप-नियम (३) में समाविष्ट उपबन्धों के अनुसार है जो स्नातकों तथा अध्यापकों के निर्वाचन क्षेत्र जैसे शिक्षित तथा कुछ सीमित निर्वाचन मंडल को ही लागू होता है। तथापि निर्वाचन आयोग ने राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को और उनके द्वारा निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को हिदायतें जारी की हैं कि स्नातकों के निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक सूची में अपना नाम

†मूल अंग्रेजी में

शामिल करवाने के लिये अपनी अर्हता के साक्ष्य के रूप में कोई अभ्यर्थी स्नातकों के निर्वाचन क्षेत्र की पिछले वर्ष की निर्वाचक सूची में अपने नाम की प्रविष्टि, या किसी प्रमाणित दस्तावेज में प्रविष्टि पर जैसे कि किसी विश्वविद्यालय के पंजीबद्ध स्नातकों की सूची, अधिवक्ताओं की सूची, चिकित्सकों का रजिस्टर, अधिकृत लेखापालों का रजिस्टर इत्यादि पर निर्भर कर सकता है।

रूरकेला इस्पात संयन्त्र

†१२४३. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम जर्मनी की दो फर्मों ने रूरकेला इस्पात संयंत्र के लिये १२६ करोड़ रुपये देना स्वीकार कर लिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

लखपत क्षेत्र का सर्वेक्षण

†१२४४. **श्री मि० सू० मूर्ति** : क्या इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात में कच्छ के लखपत क्षेत्र में लिग्नाइट तथा अन्य खनिज निक्षेपों का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस क्षेत्र में उपलब्ध खनिजों का ब्योरा क्या है ?

†**इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्)** : (क) जी हां

(ख) भारतीय भू-परिमाप संस्था ने उस क्षेत्र में कोयले, लिग्नाइट, बाक्साइट, जिप्सम चूने तथा मिट्टियों के काम आने वाले निक्षेपों का पता लगाया है जिनका ब्योरा नीचे दिया गया है :—

कोयला	धुनेरी	७१,१०० मीट्रिक टन
लिग्नाइट	उमरसर	१०० से ११० लाख मीट्रिक टन
बाक्साइट	लेफरी–बरांदा	२१ लाख २० हजार मीट्रिक टन
जिप्सम	अर्डसर	४९६,००० मीट्रिक टन
	पलस्वां	४१९,००० मीट्रिक टन
	उमरसर	१०८७,००० मीट्रिक टन
	करणपुर	१०१,६०० मीट्रिक टन

†मूल अंग्रेजी में

चूना	लखपत–घुनेरी	सीमेंट जिसमें ४९.३३% केल्शियम आक्साइड है
मिट्टियां	घुनेरी	२३,९०० मीट्रिक टन
	लखपत	१७२,७०० मीट्रिक टन
	बबिया पहाड़ी	५,१५५ मीट्रिक टन
	फुलरा	२४,५०० मीट्रिक टन

भिलाई इस्पात कारखाना

१२४५. श्री कछवाय : क्या इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भिलाई इस्पात संयंत्र (मध्य प्रदेश) के ब्लास्ट फर्नेस में मशीनों की बहुत भयंकर आवाज आती है ;

(ख) क्या यह सच है कि इस भयंकर आवाज़ के कारण श्रमिकों को कैंसर का रोग होने की आशंका है ;

(ग) यदि हां, तो क्या अभी तक कोई श्रमिक कैंसर का रोगी हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है ?

इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) : (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न हीं नहीं उठते।

नेवेली लिग्नाइट परियोजना

†**१२४६. श्री उमानाथ :** क्या इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेवली लिग्नाइट परियोजना की पूंजी लागत के काफी बढ़ जाने की संभावना है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि परियोजना के पूरा होने में विलम्ब होने की संभावना है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम्) :** (क) जी हां। ९४.७० करोड़ रुपये के पहले के प्राक्कलन के विरुद्ध अब परियोजना की अनुमानित लागत ११७.७२ करोड़ रुपये है।

(ख) जी हां। परियोजना की संघटक योजनाओं के पूरा होने की मूल तिथियां भाग (ग) में उल्लिखित कारणों से बदल गईं।

(ग) पूंजी लागत में वृद्धि होने के कारण।

पहले के प्राक्कलन में आवास, संस्थापन तथा परियोजना के कर्मचारियों के लिये कल्याण सुविधाओं का व्यय सम्मिलित नहीं था जो कि आवश्यक है। पूंजी लागत में वृद्धि आयातित

वस्तुओं पर सीमा शुल्क तथा भाड़े की बढ़ी हुई दरों, भारत में तथा विदेशों में भवन निर्माण सामग्री तथा श्रम की लागत में वृद्धि, आपातकालीन जोखिम (कारखाने) बीमा अधिनियम, १९६३ के अधीन विदेशी मुद्रा तथा बीमा प्रभारों में अधिमूल्यन के कारण भी हुई है।

पूर्ति की तिथियों के स्थगन के कारण :

१९५६ में तैयार की गई मूल अनुसूची के अनुसार २५०,००० किलोवाट वाले तापीय बिजली घर के ५०,००० किलोवाट वाले प्रथम एकक को जनवरी, १९६१ में चालू किया जाना था तथा पूरे के पूरे बिजली घर को दिसम्बर, १९६१ तक। उर्वरक तथा ब्रिकेट कार्बनीकरण संयंत्रों के भी दिसम्बर, १९६१ तक उत्पादन आरम्भ कर देने की आशा थी। समय अनुसूची में यहां-तहां कुछ विलम्ब ऐसे कारणों से हुआ है जो परियोजना प्राधिकारियों के नियंत्रण के बाहर थे। प्रत्येक संघटक योजना के बारे में ये कारण संक्षेप में इस प्रकार हैं :—

(क) **तापीय बिजली घर** : मूल अनुसूची इस पूर्वधारण पर आधारित थी कि आवश्यक क्रयादेश १९५७ में दे दिये जायेंगे। परन्तु यह योजना रूस सरकार के साथ हुए ११२५ लाख रूबल के ऋण समझौते से सम्बद्ध करनी पड़ी थी और ठेके मई १९५९ में ही दिए जा सके थे।

(ख) **उर्वरक योजना** : मूल योजना जिप्सम पर आधारित अमोनियम सल्फेट पैदा करने की थी। परन्तु जैसा कि अग्रेतर जांच से पता चला कि इस उर्वरक के उत्पादन में कतिपय व्यवहारिक कठिनाइयां थीं और देश में उर्वरकों की खपत के प्रारूप को देखते हुये मूल योजना को बदलना पड़ा था तथा यूरिया का उत्पादन करने का निर्णय किया गया। इस सम्बन्ध में ठेके केवल अक्तूबर १९५९ में ही दिये जा सके थे। इसके अतिरिक्त स्थानीय निर्माण के लिये देशी इस्पात के उपलब्ध न होने के कारण कारखाना बनाये जाने के काम में भी कुछ विलम्ब हो गया था।

(ग) **ब्रिकेटिंग तथा कार्बनीकरण योजना** : इस सम्बंध में प्रारम्भिक परीक्षणों के लिये नमने बाहर भेजने पड़े थे और उसके बाद लिग्नाइट की प्रतिक्रिया के बारे में अग्रेतर अध्ययन किया गया था। तत्पश्चात विशिष्टि विवरण तैयार किया गया, टेंडर मंगवाये गये और बातचीत के बाद ठेका मार्च १९६१ में ही दिया जा सका।

इस बीच काम तेज़ हो गया है। बिजली घर के ५०,००० किलोवाट वाले पांच एककों में से चार चालू कर दिए गए हैं और पांचवां मार्च, १९६४ में चालू किया जाना है। ब्रिकेटिंग तथा कार्बनीकरण योजना के दिसम्बर, १९६५ तक तथा उर्वरक योजना के फरवरी, १९६६ तक उत्पादन आरम्भ कर देने की संभावना है।

---

†मूल अंग्रेजी में

रानीगंज में कोयला धोने वाले कारखाने

†१२४७. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रानीगंज तथा झरिया कोयला खानों में कोयला धोने वाले कारखाने स्थापित करने में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) दरम्याने दर्जे के तथा व्यर्थ कोयले के निबटान के बारे में सरकार के क्या प्रस्ताव हैं ?

†**इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) तीसरी योजना के दौरान हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा रानीगंज तथा झरिया कोयला खानों में कोयला धोने वाले ३ कारखाने चालू किये जा चुके हैं, अर्थात् दुग्धा—१, भोजूडीह—१ तथा भोजूडीह—२। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड द्वारा इस क्षेत्र में जो दो अन्य कारखाने बनाये जा रहे हैं, अर्थात् पथेरडीह और दुग्धा—२, उनके क्रमशः अप्रैल, १९६४ तथा जून, १९६५ में चालू हो जाने की आशा है।

(ख) दरम्याने दर्जे के कोयले का अधिकतर प्रयोग तापीय बिजलीघरों में किया जाएगा। कुछेक मामलों में कोयला धोने वाले विभिन्न कारखानों से निकलने वाले दरम्याने कोयले को तापीय बिजली घरों में भेजने की व्यवस्था कर दी गई है। आशा की जाती है कि तीसरी योजना में दरम्याने कोयले का कुल उत्पादन लगभग ५७ लाख ६० हज़ार मीट्रिक टन होगा जिसमें से ४७ लाख ७० हजार मीट्रिक टनों की इस प्रकार व्यवस्था कर दी गई है। शेष बचे दरम्याने कोयले की समस्या पर ध्यान दिया जा रहा है। रद्दी कोयले का बड़ा सीमित सा उपभोग होता है, उदाहरणार्थ नौभरण के लिये, और उसका निबटान इस बात पर निर्भर करेगा कि इस प्रयोजन के लिये उसका विकास कितना है।

लोहा तथा इस्पात नियन्त्रक, कलकत्ता का कार्यालय

†१२४८. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री लोहा तथा इस्पात नियंत्रक,कलकत्ता के कार्यालय के कर्मचारियों के स्थायीकरण के बारे में २६ मार्च, १९६२ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३१९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९४४ से काम कर रहे अस्थायी कर्मचारियों को इस बीच स्थायी बना दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) उन्हें शीघ्रता से स्थायी बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं ?

†**इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) १९४४ अथवा उससे पहले नियुक्त किये गये सभी नियमित अस्थायी कर्मचारियों को इस बीच लोहा तथा इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता के कार्यालय में स्थायी पदों पर स्थायी बना दिया गया है। स्थायी बनाने के लिये विचार किया गया है ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

---

†मूल अंग्रेजी में

फ्रांसीसी पत्रकार की कार

†१२४९ **श्री भागवत झा आजाद** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री ३ मई, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ११५७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फ्रांसीसी पत्रकार की कार राज्य व्यापार निगम को बेच दी गई है;

(ख) क्या कार का मालिक सदा के लिये भारत से चला गया है; और

(ग) इस समय कार किस के कब्जे में है ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख). जी हां ।

(ग) भारतीय राज्य व्यापार निगम लिमिटेड ।

विक्टोरिया मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर

†१२५०. **श्री धवन :**
श्री बिशन चन्द्र सेठ :
श्री भी० प्र० यादव :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ सरकार ने नई विक्टोरिया कम्पनी लिमिटेड, कानपुर के कार्यकरण की जांच का आदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी जांच करवाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या जांच समिति द्वारा सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो समिति की सिफारिश पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) मिल का असन्तोषजनक ढंग से काम करना जिससे कि वह किसी भी समय बन्द हो सकती है और उत्पादन में कमी हो सकती है ।

(ग) अभी नहीं ।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

चाय बागानों को राज सहायता देना

१२५१. **श्री हेम राज** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने पंजाब के चार बागानों को अच्छी किस्म के झाड़ों तथा संतुलित उर्वरक सम्मिश्रणों का संभरण करने के हेतु केन्द्रीय सरकार और चाय बोर्ड को राजसहायता देने के लिये कहा है; और

(ख) यदि हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

तृतीय श्रेणी के कोयले की ढुलाई

†१२५२. **श्री हेडा** : क्या **इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अब तक मधुकोष कठोर कोक[1] के निर्माण के लिये प्रयोग किये जाने वाले तृतीय श्रेणी के कोयले की ढुलाई की अनुमति न देने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन श्रेणियों के कोयले के उत्पादन तथा भंडारों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है ?

†**इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) और (ख). झरिया कोयला खानों में लगभग नौ खानें ३क या ३ख श्रेणी के कोयले से मधुकोष कठोर कोक बनाती थीं और क्योंकि ऐसे कोयले से बनाया हुआ मधुकोष कठोर कोक निम्न-स्तर का था, इस में ३० प्रतिशत से अधिक राख होती थी, कोयला नियंत्रक ने इन श्रेणियों के कोयले से मधुकोष कठोर कोक का उत्पादन बन्द कर देने की हिदायतें जारी कर दी हैं क्योंकि :—

(१) किसी भी कठोर कोक में राख की अनुकूलतम प्रतिशतता ३० प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिये;

(२) ३० प्रतिशत से अधिक राख वाला कोक ढलाई घरों में प्रयोग के लिये अनुपयुक्त समझा जाता है ।

(ग) क्योंकि अन्तर्ग्रस्त कच्चे कोयले की मात्रा बहुत ही कम है, वह केवल लगभग ८००० मीट्रिक टन है, इन कोयला खानों द्वारा निम्न स्तर के मधुकोष कठोर कोक के निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाने वाले आदेशों का तृतीय श्रेणी के कोयले के सम्पूर्ण उत्पादन अथवा भंडार पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा । तथापि, इस बात की जांच की जा रही है कि क्या इतनी अधिक राख वाले कोक का कहीं समुचित उपयोग हो सकता है तथा क्या इस में तथा उच्च कोटि के मधुकोष कोक में स्पष्टतः कोई विभेद किया जा सकता है और यदि हां, तो क्या इसके निर्माण की अनुमति दी जा सकती है ।

पत्थर के कोयले का आयात

†१२५३. **श्री हेडा** : क्या **इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार आस्ट्रेलिया से पत्थर के कोयले का आयात करने की सम्भावनाओं का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो भारत में प्रति टन अनुमानित लागत क्या है और कितनी मात्रा के लिये बातचीत हो रही है ?

†**इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) केन्द्रीय ईंधन अनुसंधान संस्था आस्ट्रेलिया के कोयले के नमूनों का परीक्षण यह जानने के लिये कर

---

†मूल अंग्रेजी में

रही है कि भारतीय कोयले के साथ मिला कर उस को किस प्रकार प्रयोग में लाया जा सकता है। सरकार उस कोयले को मंगवाने के प्रश्न पर भी विचार करेगी जब उन परीक्षणों का परिणाम मालूम हो जायेगा।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कार निर्माणों के लिये विदेशी मुद्रा

†१२५४. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले डेढ़ वर्षों में कार निर्माताओं को कितनी विदेशी मुद्रा का नियतन किया गया; और

(ख) सरकार ने उनकी विदेशी मुद्रा की आवश्यकताओं को घटाने के लिये क्या प्रयत्न किया है ?

†**इस्पात खान तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) ६३३.१७ लाख रुपये।

(ख) निर्माताओं को पूंजी आकरण मंगवाने की अनुमति दे दी गई है ताकि वे अपनी देशी सामग्री को बढ़ा सकें और उसके द्वारा विदेशी मुद्रा की आवश्यकता को कम कर सकें। प्रमुख सहायक एककों से भी, जो स्थापित किये गये हैं, अपेक्षा की जाती है कि वे आयात किये गये पुर्जों पर निर्भरता को कम करेंगे।

बिहार में कोयला खानों में उत्पादन

†१२५५. **डा० उ० मिश्र :**
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में राष्ट्री कोयला विकास निगम की सौन्दा, भरकुंडा गिड्डी और अन्य कोयला खानों के उत्पादन में कमी हुई है;

(ख) क्या यह सच है कि उत्पादन की यह कमी तीसरी योजना के अन्त तक पूरी नहीं हो सकती; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) जी हां।

(ख) और (ग). कुछ खानों में कमी का कारण अस्थायी है, अर्थात् भारी वर्षा और निकासी का अभाव। राष्ट्रीय कोयला विकास निगम यह अनुभव करती है कि वह उन खानों में तीसरी योजना के अन्त तक लक्षित उत्पादन पूरा कर सकेगा यदि उसकी मांग बनी रही।

---

†मूल अंग्रेजी में

बिहार की कोयला खानों के लिये मंगवाया गया उपकरण

१२५६. **डा० उ० मिश्र :**
श्री मुहम्मद इलियास :

क्या **इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के द्वारा बिहार में उनकी कोयला खानों के मशीनीकरण के लिये विदेश में मंगवाया गया उपकरण बड़ी मात्रा में बेकार पड़ा है और वह उपयोग में लाये जाने के योग्य स्थिति में नहीं है;

(ख) उपकरण का आयात करने पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई; और

(ग) उपकरण का प्रयोग न करने के क्या कारण हैं ?

†**इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) और (ग). राष्ट्रीय कोयला विकास निगम के द्वारा बिहार में उनकी खुली खानों के लिये मंगवाई गई मशीनरी और सारा संयंत्र ठीक तरह चलाया गया है। दूसरी योजना की भूमिगत खानों के लिये मंगवाया कुछ उपकरण चलाया नहीं गया, क्योंकि करनपूरा में दूसरी योजना की कुछ परियोजनाओं की भूतत्वीय स्थिति के कारण उन को उन परियोजनाओं में प्रयोग में नहीं लाया जा सका। परिणामतः वह उपकरण मध्य प्रदेश में तीसरी योजना की परियोजनाओं के लिये रक्षित रखा गया। अब तक प्रयोग में न लाई गई कोई भी मशीनरी ऐसी नहीं जो उपयोग में लाये जाने के योग्य नहीं है।

(ख) भूमिगत एवं खुले मुंह वाली बिहार की कोयला खानों के उपकरण के आयात पर ११.३१ करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा खर्च ई है।

रूरकेला तथा दुर्गापुर इस्पात सन्यन्त्रों के लिये लौह अयस्क का सम्भरण

†१२५७. **श्री विश्राम प्रसाद** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय पूर्व बाराजामदा के खान मालिकों और सम्भरणकर्ताओं के रूरकेला और दुर्गापुर के इस्पात सन्यन्त्रों के लिये लौह अयस्क का व्यापार करने से मना कर दिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या बाराजामदा खान मालिकों ने सामान्य व्यापार पुनः शुरू कर दिया है ; और

(घ) यदि हां, तो कब से ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी नहीं।

(ख) से (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

---

†मूल अंग्रेजी में

बाक्साइट

१२५८. **श्री उटिया** : क्या इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में अमरकंटक में बाक्साइट के प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होने की दृष्टि से सरकार की इस सम्बन्ध में कोई योजना है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश में हंगरी के तकनीकी और वित्तीय सहयोग से सरकारी क्षेत्र में एक एल्यूमिना/एल्यूमिनियम कारखाना स्थापित करने की योजना विचाराधीन है ।

सेलेनियम मेटल पाउडर का आयात

१२५९. **श्री राम सेवक यादव :**
श्री मनीराम बागड़ी :
श्री किशन पटनायक :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल १९६२--मार्च १९६३ और और अप्रैल १९६३—अक्तूबर १९६३ की अवधि में विभिन्न वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा किये गये सेलेनियम मेटल पाउडर और कोबाल्ट आक्साइड के आयात में कितनी विदेशी मुद्रा व्यय हुई ; और

(ख) पहले जब पुराने आयातकर्ताओं को आयात करने की अनुमति थी तो वास्तव में कितनी विदेशी मुद्रा व्यय होती थी ?

उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) सेलेनियम मेटल पाउडर और कोबाल्ट आक्साइड को आयात व्यापार नियन्त्रण अनुसूची के अन्तर्गत अलग अलग श्रेणियों में नहीं दिखाया जाता इसलिए केवल इन वस्तुओं के सम्बन्ध में लाइसेंस सम्बन्धी आंकड़े देना सम्भव नहीं है । लाइसेंस देने के उद्देश्य से सेलेनियम तथा सेलेनियम डाई-आक्साइड का आयात व्यापार नियन्त्रण अनुसूची में सम्मिलित रूप से क्रमांक २९(क) / भाग –५ में दिखाया जाता है जबकि कोबाल्ट आक्साइड, केडमियक सल्फाइड, यूरेनियम आक्साइड इत्यादि रसायनों को इस अनुसूची के क्रमांक २९ (ख)/ भाग–५ में दिखाया जाता है । इस क्रमांकों की वस्तुओं के लिए वास्तविक उपभोक्ताओं को अप्रैल १९६२ से मार्च १९६३ और अप्रैल १९६३ से मार्च १९६४ (२८-९-६३) तक जो लाइसेंस जारी किए गए उनका कुल मूल्य इस प्रकार है :—

लाइसेंस अवधि	(मूल्य हजार रु० में) २९(क)	२९(ख)
अप्रैल १९६२—मार्च १९६३	३७८	१०४
अप्रैल १९६३-मार्च, १९६४ (२८-९-६३ तक) . .	११	—

†मूल अंग्रेजी में

(ख) आयात व्यापार नियन्त्रण अनुसूची के क्रमांक २९(क) / भाग-५ और २९(ख)/ भाग-५ की वस्तुओं के लिए अप्रैल १९६१ से मार्च १९६२ तक और अप्रैल १९६३ से मार्च १९६४ (२८-९-६३) तक की अवधियों में पुराने आयातकर्ताओं को दिए गए लाइसेंसों तथा कुल लाइसेंसों का विवरण नीचे लिखे अनुसार है :—

लाइसेंस अवधि	मूल्य हजार रु० में			
	पुराने आयातकर्ता		कुल	
	२९(क)	२९(ख)	२९(क)	२९(ख)
अप्रैल १९६१—मार्च १९६२	१३८	—	४६४	१४४
अप्रैल १९६२—मार्च १९६३	३३	—	५६८	१०४
अप्रैल १९६३—मार्च १९६४	—	—	११	—

रद्दी लौह धातु का निर्यात

†१२६०. **श्री फिरोडिया** : क्या **इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रद्दी लौह धातु का निर्यात मान्यता प्राप्त निर्यातकों के द्वारा करने दिया जाएगा ;

(ख) यदि हां, तो कितनी मात्रा में तथा किन देशों को निर्यात किया जायेगा; और

(ग) इस निर्यात की अनुमति देने के कारण क्या हैं जबकि देशी उद्योग उचित दामों पर तथा पर्याप्त मात्रा में रद्दी लोहा प्राप्त नहीं कर पाते ?

†**इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) से (ग) केवल उन्हीं श्रेणियों को रद्दी लोहे का निर्यात करने दिया जाता है, जिसका देश में उपयोग नहीं होता अथवा जो अपनी आवश्यकता से अधिक होता है । भारी पिघलाई वाले रद्दी लोहे का निर्यात बन्द है । तथापि प्रति छः महीने में निर्यात सम्बन्धी सीमा निर्धारित की जाती है । अप्रैल-सितम्बर १९६३ की अवधि के लिये यह सीमा २००,००० टन है । अनुमेतम श्रेणी के रद्दी लोहे का निर्यात किसी भी देश को किया जा सकता है । तथापि, जापान भारत से रद्दी लोहा मंगवाने वाला प्रमुख देश हैं । चूंकि निर्यात वाले रद्दी लोहे की कीमत पर कोई नियन्त्रण नहीं, इसे उद्योगों को उचित दामों पर उपलब्ध करवाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

ऐक्टीवेटेड कार्बन का उत्पादन

†१२६१. **श्री इम्बीचिबावा** : क्या **उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या नारियल की छाल से ऐक्टीवेटेड कार्बन के उत्पादन की कोई योजना है और क्या मंझले दर्जे का कोई कारखाना खोलने का विचार है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : प्रश्न के पहले भाग का उत्तर है नहीं और दूसरे भाग का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

†मूल अंग्रेजी में

रबराइज्ड नारियल रेशा कारखाना

†१२६२. **श्री इम्बीचिबावा** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रबराइज्ड नारियल रेशा तैयार करने का एक कारखाना स्थापित करने की सम्भावना की छानबीन की है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) और (ख) रबराइज्ड नारियल रेशा और उससे चीजें तैयार करने वाले कुछ कारखाने खोलने के लिए सरकार ने लाइसेंस दिये हैं । मद्रास राज्य के तिरुनेलवेली जिले में एक कारखाना पहले से ही रबराइज्ड नारियल रेशे की चीजें तैयार कर रहा है।

उत्तर गुजरात काटन मिल

†१२६३. **श्री पु० रं० पटेल** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिद्धपुर (गुजरात) उत्तर गुजरात कॉटन मिलों के नवीनीकरण की आवश्यकता है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके नवीनीकरण के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) मिलों के प्रबन्धक वित्त देने वाली संस्थाओं से वित्तीय सहायता प्राप्त कर रहे हैं । ऐसी जानकारी मिली है ।

कांगड़ा टी प्लान्टर्स मार्केटिंग इन्डस्ट्रियल सोसायटी लिमिटेड

†१२६४. **श्री हेम राज** : क्या **अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने कांगड़ा टी प्लान्टर्स मार्केटिंग इण्डस्ट्रियल सोसाइटी लिमिटेड चालू करने के लिए ५ लाख रुपये का ऋण केन्द्रीय सरकार या चाय बोर्ड से मांगा है ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) चाय बोर्ड को इस सम्बन्ध में केवल ३ लाख रुपये के ऋण के लिए पंजाब सरकार से प्रार्थना प्राप्त हुई है ।

(ख) बोर्ड इस विषय पर विचार कर रहा है ।

बिहार में कोयला खानों का बन्द होना

†१२६५. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संकटकाल की घोषणा के बाद से बिहार राज्य में कितनी कोयला खानें बन्द पड़ीं ; और

(ख) उनके बन्द पड़ने के क्या कारण थे ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) संकटकाल की घोषणा के बाद से दो कोयला खानें अर्थात् जोगता और एकरा खास, बन्द कर दी गयी हैं।

(ख) दोनों ही मामलों में खानों में आग लग गयी और आग पर काबू पाने के लिए उनमें पानी भर देना पड़ा। इससे कोयला खानें बन्द पड़ गयीं।

सिंगारेनी कोयला क्षेत्र में खनन मशीनरी संयंत्र

†१२६६. **श्री सुधांशु दास :**
श्री सुबोध हंसदा :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सिंगारेनी कोयला क्षेत्र में एक दूसरा खनन मशीनरी संयंत्र स्थापित किया जाने वाला है ;

(ख) यदि हां, तो वहां किस प्रकार की मशीनरी तैयार की जायेगी ; और

(ग) उसका वार्षिक उत्पादन कितना होगा ?

†**इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) कारखाने की जगह अभी अन्तिम रूप से निश्चित नहीं की गयी है। जिन स्थानों के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है उनमें सिंगारेनी कोयला क्षेत्र एक जगह है।

(ख) और (ग) तैयार की जाने वाली खास खास चीजों और उत्पादन क्षमता सम्बन्धी ब्यौरे पोलेण्ड के विशेषज्ञों के परामर्श से तय किये जाने हैं।

बोकारो इस्पात कारखाना

†१२६८. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी** : क्या **इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बोकारो इस्पात कारखाने का निर्माण कार्य किन्हीं भारतीय फर्मों को सौंपने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह काम किसे सौंपा गया है और क्या निर्माण कार्यक्रम के लिए कोई समय सूची बनायी गयी है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : (क) से (ग) बोकारो का इंजीनियरिंग परामर्श कार्य मेसर्स एम० एन० दस्तूर एण्ड कम्पनी नामक एक भारतीय फर्म को सौंपने का सरकार का इरादा है। इसने इस कारखाने की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की है। प्रस्तावित परामर्श समझौते की शर्तों पर उस फर्म के साथ बातचीत चल रही है।

विस्तृत परियोजना रिपोर्ट में उल्लिखित निर्माण-सूची के अनुसार कारखाने का पहला दौर (सालाना १५ लाख मीट्रिक टन पिण्ड) १९६७-६८ में पूरा किया जाना है और दूसरा दौर (सालाना ४० लाख मीट्रिक टन पिण्ड) १९७०-७१ में पूरा किया जाना है। टेकनिकल कमेटी विस्तृत परियोजना रिपोर्ट की छानबीन कर रही है।

---

†मूल अंग्रेजी में

सूचनाओं

ध्यान दिलाने वाली/संबंधी प्रक्रिया के बारे में

†श्री कपूर सिंह (लुधियाना) पाकिस्तानी प्राधिकारियों द्वारा तथाकथित आज़ाद काश्मीर के नागरिकों को शस्त्रों से लैस करने के विषय पर हम ने कल एक ध्यान दिलाने वाले प्रस्ताव की सूचना दी थी। हमें बताया गया कि वह अभी विचाराधीन है। परन्तु, इस बीच में, इसी विषय के प्रस्ताव के लिये राज्य सभा में अनुमति दे दी गयी है। यह बात उचित नहीं है।

†अध्यक्ष महोदय : दोनों सभाओं की अपनी अपनी प्रक्रियायें हैं। दूसरे सदन की प्रक्रिया के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता।

†श्री कपूर सिंह : इस का हल क्या है?

†अध्यक्ष महोदय : लोक-सभा और राज्य सभा में फर्क है। लोक-सभा की तुलना में वहां के सदस्यों की संख्या आधी है, परन्तु यदि उस सभा के सत्र हमारे साथ साथ ही होते हैं तो उन के पास काफी समय है। वहां के सदस्यों को अधिक अवसर मिलेंगे जब कि हमें अपना काम निबटाने के लिये अधिक समय की आवश्यकता होती है। (**अन्तर्बाधा**) मैं आप को बता रहा हूं कि हमारे सामने कौन कौन सी कठिनाइयां हैं। दोनों सदनों में यह फर्क है। उस सदन की अपनी प्रक्रिया है जिस में मैं हस्तक्षेप नहीं कर सकता। जिस बात को वह उचित समझते हैं, वह उसे करेंगे। यदि इस सभा की प्रक्रिया के बारे में आप कुछ कहते हैं उस के बारे में चर्चा करने के लिये मैं तैयार हूं।

†श्री हो० ना० मुकर्जी (कलकत्ता--मध्य) : यह प्रक्रिया का प्रश्न नहीं है प्रश्न तो यह है कि जब मंत्री लोक-सभा में सूचना उपलब्ध नहीं कर सकते थे तब राज्य सभा में वही सूचना उपलब्ध करने योग्य वह किस प्रकार हो गये। मंत्रियों द्वारा इस सभा की अवहेलना की गयी है, और आप को गलत सूचना दी गयी है। इस में इस सभा के विशेषाधिकार का सवाल आता है जिस के प्रति वह मुख्यतया उत्तरदायी है।

†श्री रंगा (चित्तूर) : इस के लिये सचिवालय, माननीय सदस्य और आप, या तो सभी उत्तरदायी हैं या इन में से कोई एक।

†श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : गत ३, ४ मासों से हम देख रहे हैं कि मंत्री ध्यान दिलाने वाले प्रस्तावों की परवाह नहीं करते।

†अध्यक्ष महोदय : सूचना प्राप्त होते ही, यदि मेरी इच्छा अनुमति देने की हो तो, मैं उन्हें मंत्री की सूचनार्थ भेज देता हूं ताकि वह बता सकें कि वह सूचना दे सकते हैं अथवा नहीं। यदि उन के पास सूचना तुरन्त उपलब्ध न हो तो वह निश्चय ही इस के लिये कुछ समय चाहेंगे। उस सूरत में, मैं मामले को तुरन्त सभा के समक्ष नहीं लाता क्योंकि उन का वही उत्तर होगा कि सूचना एकत्र की जा रही है। मैं नहीं चाहता कि सभा का समय व्यर्थ जाये। इसलिये मैं सरकार को कह देता हूं कि सूचना एकत्र की जाय।

जो बात श्री बनर्जी ने कही है वह महत्वपूर्ण है। यदि वैसा हुआ है तो यह खेद की बात है। मैं इस बारे में जांच करूंगा।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) आप हमें बतायें कि वस्तुस्थिति क्या थी। क्या आप ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था या आप ने मंत्री महोदय को सूचना के लिये कहा परन्तु उन्होंने इस सभा की तुलना में उस सभा को तरजीह दी।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं मालूम करूंगा।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

एक बिना चौकीदार वाले रेल के फाटक पर एक लारी की हावड़ा-मद्रास एक्सप्रैस के साथ हुई टक्कर

†**श्री बड़े** (खारगोन) : मैं रेलवे मंत्री का ध्यान निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाता हूं और उन से अनुरोध करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

> "५ दिसम्बर, १९६३ को अम्मनब्रोलू और करवदि स्टेशनों के बीच एक बिना चौकीदार वाले रेल के फाटक पर एक लारी की हावड़ा–मद्रास एक्सप्रैस के साथ हुई कथित टक्कर जिस के फलस्वरूप चार व्यक्तियों की मृत्यु हो गई।"

रेलवे मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) : ५ दिसम्बर, १९६३ को ९ बजकर ५१ मिनट पर जब गाड़ी संख्या ३७ अप हावड़ा-मद्रास एक्सप्रैस दक्षिणी रेलवे के विजयवाड़ा–बिजगुन्ता बड़ी लाईन के भाग पर अम्मनब्रोलू और करवदि स्टेशनों के बीच चल रही थी तो यह एक बिना चौकीदार के रेल के फाटक पर एक मोटर लारी से टकरा गयी।

इस टक्कर के फलस्वरूप मोटर लारी का चालक तथा ४ अन्य मजदूरों की मृत्यु हो गयी। लारी के क्लीनर को मामूली चोटें आईं। गाड़ी के इंजन को कुछ क्षति हुई। निकट के एक स्टेशन, ओंगोल से, एक डाक्टर को सहायक इंजन में भेजा गया। घायल व्यक्ति को ओंगोल में लाया गया और सरकारी अस्पाल में दाखिल करा दिया। गाड़ी को तीन घंटे तक रोकने के पश्चात् सहायक इंजन के साथ आगे भेज दिया गया।

दक्षिणी रेलवे द्वारा प्रत्येक मृत व्यक्ति के नजदीकी रिश्तेदार को ५०० रुपये और घायल व्यक्ति के रिश्तेदार को २०० रुपये प्रसादतः अदा करने का प्रबन्ध किया जा रहा है।

एक अधिकारी को दुर्घटना के कारणों की जांच करने के लिये आदेश दिया गया है। सड़क से रेलवे लाईन साफ-साफ दिखाई देती है।

श्री बड़े : इस प्रकार के अनमैंड गेट्स पर एक्सीडेंट हो जाते हैं और लोगों को चोटें लगती हैं और वे मर भी जाते हैं, उनकी हत्या भी हो जाती है। क्या शासन ने सोचा है कि वहां की स्टेट गवर्नमेंट्स को या तो बाध्य किया जाए या फिर अपनी पालिसी रिवाइज़ करके खुद ही वहां लेवेल क्रासिंग्ज़ पर फाटक लगाये जाये? क्या आप अपनी पालिसी रिवाइज़ करने की सोच रहे हैं?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : बिना चौकीदार वाले रेल फाटकों के बारे में हमारी जो नीति है उसे कई बार सभा में बताया गया है। सड़क यातायात में काफी विकास हो जाने के कारण

---

†मूल अंग्रेजी में

कई छकड़े के मार्गों का प्रयोग लारियों और ट्रकों द्वारा किया जा रहा है। इसलिये, रेल फाटकों पर चौकीदार रखने सम्बन्धी व्यय अंशतः राज्य सरकारों को वहन करना चाहिए: इस प्रयोजनार्थ भूतपूर्व रेलवे मंत्री ने एक पत्र मुख्य मंत्रियों को लिखा था।

†**अध्यक्ष महोदय** : परन्तु माननीय सदस्य यह सुझाव दे रहे हैं कि जो दुर्घटनायें हो रही हैं उन को देखते हुए क्या सरकार का विचार, अपनी नीति में परिवर्तन कर के, सारा व्यय स्वयं वहन करने का नहीं है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : अब तक नीति में परिवर्तन नहीं हुआ है।

श्री कछवाय : यह इनक्वायरी यहां का जो रेलवे बोर्ड है, उसके कोई मैम्बर कर रहे हैं या रेलवे का कोई बड़ा सरकारी कर्मचारी कर रहा है ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि जो व्यक्ति मरे हैं, उनको तत्काल कितना मुआवजा दिया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : मुआवजे का जवाब तो मिनिस्टर साहब दे चुके हैं।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : एक अधिकारी द्वारा जांच का आदेश दिया गया है।

†**श्री पें० वेंकटा सुब्बया** (अदोनी) : जब तक राज्य सरकारों के साथ प्रबन्ध न हो जाय तब तक, इन दुर्घटनाओं को देखते हुए, क्या कोई तदर्थ प्रबन्ध करने का विचार है ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : एसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

†**श्री प्र० चं० बरूआ** : क्या इस फाटक पर काफी यातायात होने के कारण इस पर पहले ही चौकीदार रखना वांछनीय नहीं था ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : यदि ऐसा होता तो शायद चौकीदार भी रखा होता।

†**श्री राम सेवक यादव** (बाराबंकी): अध्यक्ष महोदय, इस सेशन में यह दूसरी घटना है। आदमियों की जानें जाया करती हैं इस तरह से और मंत्री महोदय जवाब दे दिया करते हैं कि राज्यों के चीफ मिनिस्टरों को लिखा गया है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या मंत्री महोदय लोगों की जानों की कीमत को ध्यान में रखते हुए लेवल क्रासिंग के नीचे से रास्ता गुजारने के वास्ते केन्द्रीय सरकार के खर्चे से व्यवस्था करेंगे।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : सड़क पर रेल के पुलों संबंधी हमारी नीति यह है कि यदि वह राष्ट्रीय राजपथ पर हो तो उस का व्यय अंशतः परिवहन मंत्रालय द्वारा वहन किया जाता है और यदि वह राज्य के प्राधिकार के अधीन हो तो वह अंशतः राज्य द्वारा वहन करना होता है। यह निश्चित सिद्धान्त है।

†**श्री स० मो० बनर्जी** : क्या यह सच है कि ऐसे रेल फाटकों पर चौकीदार रखने के लिये जो व्यय होता है उस को वहन करने से साफ इन्कार कर दिया है, और उस हालत में क्या सरकार कोई उपाय करेगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : यातायात कितना होता है इस बारे में अनुमान लगाया गया है । १९००० रेलवे फाटकों में से ११८७ फाटकों पर चौकीदार रखने के लिये हम ने राज्यों को कहा है ।

बहुत सी राज्य सरकारें कुल पूंजी लागत अथवा ५० प्रतिशत तक आवर्तक व्यय को वहन करने के लिये तैयार हो गई हैं। कुछ राज्य अभी सहमत नहीं हुए। परन्तु जहां राज्य सहमत हो गये हैं वहां कार्यवाही की गयी है ।

†**श्री दाजी** (इन्दौर) : रेलवे को काफी राजस्व प्राप्त होता है इसलिये जो राज्य व्यय वहन नहीं कर सकते उन के लिये क्या सरकार व्यय वहन करेगी ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : यात्री किराये से जो राशि प्राप्त होती है उस में लगभग १२½ करोड़ रुपया राज्यों को मिलता है, जिस में से वह इस प्रकार का व्यय कर सकती हैं । (लुधियाना)

†**श्री कपूर सिंह**: यह दुर्घटनायें राज्यों की लापरवाही के कारण होती हैं। सरकार कब तक वित्तीय परिणामों का बहाना बना कर अपने कर्त्तव्य की अवहेलना करेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : सदस्य यह जानना चाहते हैं कि इस स्थिति को सामने रखते हुए सरकार का विचार कोई विशेष कार्यवाही करने का है जिससे यह दुर्घटनायें न हों ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : सथासम्भव सब कुछ किया जा रहा है। (**अन्तर्बाधायें**)

†**श्री कपूर सिंह** : कुछ नहीं किया गया । (**अन्तर्बाधायें**)

श्री राम सेवक यादव : अलावा बयान के इस सदन में कुछ नहीं किया गया ।

†**श्री बड़े** खड़े हुए—

†**श्री राम सेवक यादव** खड़े हुए, —

†**अध्यक्ष महोदय** : अब आप बैठ जायें । चूंकि हर बार बिना चौकीदार वाले रेल फाटक पर दुर्घटना होती है, इस लिये सदस्यों का उत्तेजित होना स्वाभाविक है । यदि हर बार यही उत्तर दिया जाय कि राज्य अपने उपर उत्तरदायित्व नहीं लेते ; और यह कि केन्द्रीय सरकार कुछ नहीं कर सकती क्योंकि इस में व्यय वहन करने का प्रश्न है, और हर रोज़ मौतें होती रहें, तब तो उत्तेजित होना ठीक ही है ।

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : हम ने राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि बिना चौकीदार वाले फाटकों पर लम्प लगाये जायें और संकेत पट्टे लगाये जायें ताकि गाड़ियां चलाने वाले धीरे से वहां गाड़ियां चलायें । कुछ राज्य सहयोग दे रहे हैं परन्तु कुछ नहीं दे रहे । इस बारे में अग्रतर कार्यवाही की जा रही है।

†**श्री रंगा** : क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि अमरीका और कनाडा जैसे देशों में यह व्यवस्था है कि जब तक एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन तक गाड़ी नहीं पहुंचती तब तक घंटी बजती रहती है जिससे सड़क यातायात वाले सतर्क रहते हैं । (**अन्तर्बाधायें**)

---

†मूल अंग्रेजी में

†**अध्यक्ष महोदय** : उस पर बहुत व्यय होगा ।

†**श्री त्यागी** : इस बारे में पत्र-व्यवहार के अतिरिक्त कोई ठोस कार्यवाही की जानी चाहिए ।

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : जो लोग कालिंग अटेंशन के सिग्नेटरीज हैं, जिन्होंने कालिंग की नोटिस दी है, उन को तो सवाल पूछने का मौका मिलना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैंने आप को नहीं बुलाया ?

श्री यशपाल सिंह : जी नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा, मुझ से गलती हुई । अब आप सवाल पूछ लीजिये ।

श्री यशपाल सिंह : पिछले साल इसी सदन में यह कहा गया था कि १९,००० अनमैन्ड चौकियां हैं । अगर सरकार ने इसके लिये कुछ किया है तो इन १९,००० चौकियों में से कितने की कमी की गई है और यह काम कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**अध्यक्ष महोदय** : १९,००० रेलवे फाटकों में से कितने फाटकों पर चौकीदार हैं ?

†**श्री सें० वें० रामस्वामी** : मैं इसी समय आंकड़े नहीं बता सकता । यदि सूचना दी जाय तो मैं बता दूंगा ।(**अन्तर्बाधाएं**)

†**अध्यक्ष महोदय** : शान्ति, शान्ति ।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) नियम

†**इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री वि० सुब्राह्मण्यम)** : मैं खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) दिनांक ५ अक्तूबर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १५९५ में प्रकाशित खनिज रियायत (आठवां संशोधन) नियम, १९६३ ।

(दो) दिनांक २६ अक्तूबर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० १६८५ में प्रकाशित खनिज रियायत (नवां संशोधन) नियम, १९६३ ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २०३५/६३]

व्यापार चिन्ह पंजीयन का वार्षिक प्रतिवेदन

†**उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : मैं व्यापार तथा पण्य चिह्न अधिनियम, १९५८ की धारा १२६ के अन्तर्गत ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त हुए वर्ष के लिए व्यापार चिह्न पंजीयन कार्यालय की वार्षिक रिपोर्ट की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २०३६ / ६३]

---

†मूल अंग्रेजी में

वर्ष १९६२–६३ के लिये नमक विभाग का प्रतिवेदन

†**श्री कानूनगो** : मैं नमक विभाग की वर्ष १९६२–६३ के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं ।

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० २०३७ / ६३]

लोक लेखा समिति

सोलहवां प्रतिवेदन

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : मैं विनियोग लेखे (असैनिक), १९६१–६२ में बताये गये स्वीकृत अनुदानों तथा भारित विनियोगों से अधिक व्यय के बारे में लोक लेखा समिति का सोलहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

सभा का कार्य

†**योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत)** : चूंकि संसद्-कार्य मंत्री दिल्ली से बाहर गये हुए हैं, इसलिये, उनकी ओर से, मैं ९ दिसम्बर, १९६३ से आरम्भ होने वाले सप्ताह के लिये सरकारी कार्य की घोषणा करता हूं । वह इस प्रकार होगा :—

(१) तृतीय पंचवर्षीय योजना के मध्यकालीन मूल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन पर, जो २६-११-६३ को सभा पटल पर रखा गया था, अग्रेतर चर्चा ।

(२) विचार तथा पारित करना—

समवाय (संशोधन) विधेयक, १९६३, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ।

निवारक निरोध (जारी रखना) विधेयक, १९६३

बैंकिंग विधियां (विविध उपबन्ध) विधेयक, १९६३; और

भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६३ ।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : मैं अपने दो प्रस्तावों की ओर आप का ध्यान दिलाना चाहता हूं । एक प्रस्ताव हमारी सीमाओं पर पाकिस्तान की गतिविधियों संबंधी था; और दूसरा, भ्रष्टाचार के मामलों और भ्रष्टाचार की समस्या के समाधान संबंधी था । मैं चाहता हूं कि इन के बारे में क्या स्थिति है उस पर प्रकाश डाला जाय ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या उन्हें आगामी सप्ताह में लिया जा रहा है ।

†**श्री ब० रा० भगत** : आगामी सप्ताह में इन्हें नहीं लिया जा रहा ।

†**अध्यक्ष महोदय** : माननीय सदस्य समझते हैं कि यह मामले अविलम्बनीय हैं, इसलिये, उन्हें बताया जाना चाहिए कि यदि इन्हें आगामी सप्ताह में नहीं तो उससे

---

†*मन अंग्रेजी में*

[अध्यक्ष महोदय]

आगे कब लिया जायेगा। वह कार्य-सूची में इन मदों के सम्मिलित किये जाने के बारे में पूछते हैं और यह उन्हें बताया जाना चाहिए। ज्योंही संसद्-कार्य मंत्री आयें यह सूचना सदस्यों को उपलब्ध की जाय ।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : अध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी मैंने कहा था। एक तो जैसा श्री बनर्जी ने कहा, भ्रष्टाचार का मामला है, इसको लिया जाना चाहिए। और दूसरा पिछड़े वर्ग आयोग के प्रतिवेदन का मामला है, जो कि ६ साल से चला आ रहा है। उसके पीछे न जाने कितना प्रयास हुआ है। पिछली बार एक प्रस्ताव भी पास हो गया था लेकिन फिर वह समय के अभाव के कारण रह गया। अब की बार भी प्रस्ताव स्वीकार हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर आफ पार्लियामेंटरी एफेयर्स आज हाजिर नहीं हैं। मेम्बर साहब जो चीज़ चाहते हैं वह मुझे लिख कर दे दें मैं उसका जवाब ले लूंगा।

श्री राम सेवक यादव : यह भी सरकारी बिजनैस है, यह भ्रष्टाचार . . . .

अध्यक्ष महोदय : जो काम अगले वीक होगा सिर्फ उसका एलान किया गया है, और कोई दूसरा काम आप चाहते हैं तो, जैसा मैं ने कहा, आप मुझे लिख कर दे दीजिये, और मैं उसका जवाब ले लूंगा।

†**श्री हरि विष्णु कामत** (होशंगाबाद) : मैं आप का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि आप के निदेश के बावजूद भी गणपूर्ति विधेयक के बारे में कोई कार्यवाही नहीं की गयी। मुझे यकीन है कि सरकार इस के परिणामों को भुगतने के लिये तैयार होगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : आप ने तो चेतावनी पहले से दे रखी है।

सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण

†**श्री शिवचरण गुप्त** (दिल्ली—सदर) : यह खेद का विषय है कि श्री कछवाय, सदस्य, लोक-सभा, ने २७ नवम्बर, १९६३ को अचल सम्पत्ति अधिग्रहण तथा अर्जन (संशोधन) विधेयक, १९६३, पर हो रहे वाद-विवाद के दौरान मुझ पर कुछ आरोप लगाये। सार्वजनिक जीवन की शिष्टता को एक तरफ रख कर उन्होंने द्वेषपूर्ण, झूठे और निराधार आरोप लगाये। श्री कछवाय ने मेरे व्यक्तिगत जीवन की चर्चा करते हुए कहा कि मैं दूध बेचा करता था। परन्तु मुझे गर्व है कि मैं एक दूध बेचने वाला था और इस समय भी मेरा यही व्यवसाय है। कांग्रेस और दिल्ली की जनता ने मुझे सार्वजनिक जीवन में एक स्थान दिया।

उन्होंने एक आम आदमी के सार्वजनिक जीवन में स्थान प्राप्त करने के बारे में जिस तिरस्कारपूर्ण ढंग से निर्देश किया उस से उन का सामन्तशाही दृष्टिकोण विदित होता है। कांग्रेस दल और कांग्रसजनों को यह देख कर हर्ष होता है कि आम जनता

---

†मूल अंग्रेजी में

में से लोग सार्वजनिक जीवन में आयें, जिस से लोकतंत्रात्मक प्रणाली में जनता की निष्ठा बढ़ती है ।

यह बात निराधार है कि मैं ने भूमि के लेन देन से लाभ कमाये । उन्होंने इस बारे में प्रमाण प्रस्तुत करने की बात कही । मैं उन को चुनौती देता हूं कि या तो वह इस बारे में प्रमाण दें या इस के परिणाम बर्दाश्त करने के लिये तैयार हों । यह बात भी गलत है कि मेरे जरिये कोई भूमि बेची गयी । यह भी निराधार बात है कि किसी बस्ती का नाम मेरे नाम पर रखा गया है । यह खेद की बात है कि श्री कछवाय मेरे चरित्र पर लांछन लगाते हुए जनता के आचरण के स्तर को कम करें और सार्वजनिक जीवन में पतन लायें ।

मेरा अनुरोध है कि आप उन से इन कथनों को वापिस लेने के लिये कहें ।

अध्यर्यु महोदय : विद्ड्रा करने का तो सवाल पैदा नहीं होता ।

श्री कछवाय : उनका बयान हिन्दी में भी सुनाया जाए ।

अध्यक्ष महोदय : वह कहते हैं कि जो आपने चार्ज लागाए हैं वह गलत है । उन्होंने न तो जमीन ली, न कोई कालोनी उन के नाम से बनी है । वह गरीब जरूर थे, लेकिन कांग्रेस गरीबों को अपनाती है । अगर आप साबित कर सकते हैं तो साबित करें ।

†**श्री शिवचरण गुप्त** : मेरा अनुरोध है कि इन कथनों को सभा की कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसा नहीं हो सकता । अगर उन के कथन गलत थे तो आप ने बदले का वक्तव्य दे दिया है । यह दोनों रिकार्ड में रहेंगे ।

तीसरी पंचवर्षीययोजना के मध्यकालीन मूल्यांकन संबंधी प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

†**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा श्री ब० रा० भगत० द्वारा प्रस्तुत तीसरी पंचवर्षीय योजना के मध्यकालीन मूल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी । १५ घंटे में से १३ घंटे और २५ मिनट शेष हैं ।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी** (गोपालगंज) : बिहार में ८६ प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर हैं जब के सारे देश की औसत ६० प्रतिशत की है । केन्द्रीय उपक्रमों में बिहारवासियों के साथ भेदभाव का वर्ताव किया जाता है । उदाहरणार्थ, हैवी इंजिनियरिंग कारपोरेशन, रांची, में १६३८ कर्मचारियों में से केवल ४०६ बिहार के हैं । सिंदरी में ९९ इंजीनियरिंग पदों में से ६ पद बिहार वालों को दिये गये हैं । मद्रास, कलकत्ता आदि शहरों में केन्द्रीय उपक्रमों में एक भी बिहारवासी काम नहीं करता । यह भेदभाव की नीति निन्दनीय है ।

---

†मूल अंग्रजी में

[श्री द्वा० ना० तिवारी]

तीसरी योजना के आरम्भ से पश्चात् बिहार में रोजगार प्राप्त करने की स्थिति बहुत बिगड़ गयी है। अतः मेरा मंत्री से निवेदन है कि वह एक निदेश जारी करके इस प्रकार के भेदभाव को समाप्त करें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा में ऐसी बातों की चर्चा करने के बजाय, गुप्त रूप से मंत्री महोदय अथवा भर्ती करने वाले प्राधिकरण के पास ऐसी बातों को पहुंचाना चाहिये ।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी** : उन को बता बता कर तो हम तंग आ गए हैं ।

†**इस्पात, खान तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्री (श्री चि० सुब्रह्मण्यम)** : यह भेदभाव सम्बन्धी आरोप निराधार है । इंजीनियरिंग पदों के लिये अखिल भारतीय आधार पर भर्ती की जाती है और यदि पर्याप्त संख्या में बिहारी उपलब्ध हों तो भेदभाव का सवाल ही नहीं उठता केवल इसलिये कि कोई उपक्रम बिहार में स्थित है हम वहां बिहार वासियों को ही अधिक संख्या में भर्ती नहीं कर सकते ।

†**श्री द्वा० ना० तिवारी** : मैं इस कथन के बारे में चुनौती देता हूं, क्योंकि बिहार में बहुत से इंजीनियर बेकार बैठे हैं । उन को केवल इस लिये नहीं लिया जाता क्योंकि उपक्रम का उच्चतम अधिकारी स्वयं बिहारी नहीं होता ।

यह खेद का विषय है कि वर्ष १९५० से अब तक हम कृषि उत्पादन की कमी को पूरा नहीं कर सके ।

हमारी योजना सफल नहीं रही क्योंकि इसे कार्यान्वित करने की मशीनरी ठीक प्रकार काम नहीं कर रही है। ऊपर और नीचे दोनों लैबलों पर भ्रष्टाचार पाया जाता है । रेलवे, निर्माण विभाग, सम्भरण कार्यालयों आदि में ९० प्रतिशत लोग भ्रष्ट हैं । इसलिये प्रशासन के ढांचे में सुधार लाना आवश्यक है । सेवानिवृत्ति व्यक्तियों को दोबारा भर्ती नहीं किया जाना चाहिये ।

करों का काफी बोझ मध्यम आय वर्ग के लोगों को ही सहन करना पड़ता है । इस लिये उन पर अधिक बोझ नहीं डाला जाना चाहिये ।

योजना-बद्ध विकास का सामाजिक उद्देश्य यह है कि पिछड़े क्षेत्रों और लोगों को विकसित क्षेत्रों के समान स्तर पर लाया जाय। पिछड़े क्षेत्रों की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिये ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता-दक्षिण पश्चिम) : जब से यह प्रतिवेदन जनता और सभा के समक्ष आया है, इस पर विभिन्न प्रकार के विचार व्यक्त किए गये । प्रधान मंत्री ने स्वयं योजना की असफलता के लिये कार्यान्वित करने वाली मशीनरी को उत्तरदायी ठहराया है ।

श्री ब० रा० भगत ने कल उस विषय पर जो कुछ कहा उस से निश्चित आत्मतुष्टि की गन्ध आती है ।

इस योजना द्वारा समाजवादी नहीं वरन् पूंजीवादी समाज की स्थापना करने का प्रयत्न किया जा रहा है। सरकार हस्तक्षप करने से हिचकिचाती है। श्री मसानी ने कहा कि सरकारी क्षेत्र प्रबल हो रहा है परन्तु मैं समझता हूं कि गैर सरकारी क्षेत्र की तुलना में सरकारी क्षेत्र बहुत दुर्बल हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं प्रधान मंत्री के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि इस प्रतिवेदन में जो मूल्यांकन किया गया है उसमें स्पष्ट रूप से तथ्यों की चर्चा की गयी है। कुछ तथ्यों का वर्णन इस कदर स्पष्ट है और अरुचिकर है कि केवल मजबूरी की दशा में उन्हें स्वीकार करना पड़ता है।

प्रतिवेदन के प्रारम्भिक पृष्ठों को पढ़ा जाय तो पता लगेगा कि वहां धोखा देने वाले आंकड़े प्रस्तुत किये गये हैं। केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन ने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर में वास्तव में १९६०–६१ और १९६१–६२ के बीच कमी हुई थी। किन्तु यहां दो वर्षों के आंकड़े एकत्र करके इस बात को छिपाने का प्रयत्न किया गया है और कहा गया है कि १९६१–६३ के बीच यह वृद्धि २.५ प्रतिशत वार्षिक की दर से हुई है।

यह गणना की गई है कि १९७६ में हर परिवार की मासिक आय १०० रुपये हो जायगी अर्थात ७ प्रतिशत वृद्धि होगी। इससे पता लगता है कि यह समस्या कितनी बड़ी है।

इस प्रतिवेदन में उत्पादन और वृद्धि आदि के सम्बन्ध में तो बहुत कुछ कहा गया है किन्तु वितरण का उल्लेख ही नहीं किया गया। मूल्यांकन तो बहुमुखी होना चाहिये।

१९४८–४९ में प्रत्यक्ष कर २.८ प्रतिशत थे जो १९६१–६२ में बदले नहीं गए किन्तु अप्रत्यक्ष कर ४.१ से बढ़ कर ७.८ प्रतिशत कर दिये गये। इस का आय के वितरण पर प्रभाव पड़ता है। रिजर्व बैंक के सितम्बर के सर्वेक्षण के अनुसार आय का २८ प्रतिशत, जनसंख्या के १० प्रतिशत भाग के पास चला जाता है और २० प्रतिशत जन संख्या के ४२ प्रतिशत भाग के पास। अतः यह प्रतिवेदन एक पक्षीय है।

गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र की यह शिकायत है कि पूंजी निवेश के लिये अनुकूल वातावरण पैदा नहीं किया जा रहा किन्तु वास्तविक स्थिति यह है कि ५०वी शताब्दी में मुनाफे में ५५ प्रतिशत वृद्धि हुई और वह सब निदेशकों और प्रबन्धकों ने ही हथिया लिया। यह लाभ की दर इंगलैंड से भी अधिक है।

जो लोग विदेशी पूंजी को आकर्षित करना चाहते हैं वे शिकायत करते हैं कि विदेशी पूंजी के लिये कोई आकर्षण नहीं रहने दिया गया। भारतीय पूंजी निवेश केन्द्र के निदेशक का कहना है कि विदेशी पूंजीपति उन उद्योगों में पैसा लगाना चाहते हैं जिन में काम अधिक है और कि भारत में यूरोप की तुलना में भी अधिक लाभ की प्राप्ति होती है। इससे योजना के विकास को क्या लाभ हो सकता है। विदेशी पूंजी का लाभकारी उद्योग में लगना स्वाभाविक है किन्तु क्या इसका यह अभिप्राय है कि उस उद्योग को ही योजना में प्राथमिकता दी जाये।

यदि कुछ वर्ष तक विदेशी मुद्रा का आना और बाहर जाना संतुलित रहे तो भुगतान संतुलन की स्थिति हमारे विपक्ष में रहेगी। पश्चिमी जर्मनी के साथ हमारे व्यापार की स्थिति यही है कि हमें प्रतिवर्ष २०–३० करोड़ रुपये का घाटा रहता है। पूंजी निवेश के लिये वातावरण को लीजिए। लीवर ब्रदर्स की निवेशित पूंजी ५.५७ करोड़ और रक्षित पूंजी ३.८७ करोड़ है, डनलप रबड़ की निवेशित पूंजी ५.२ करोड़ रुपया है और रक्षित पूंजी ४.७ करोड़ रुपया है। तेल कम्पनियों का गत तीन वर्षों में ८३ करोड़ रुपया प्रत्यर्पित किया गया है। ऐसी स्थिति में क्या विदेशी पूंजी के लिये अनुकूल वातावरण नहीं है ?

गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र के कार्यों का उल्लेख आया है। यह कहा गया है कि सीमेंट की मांग उत्पादन क्षमता से बढ़ गयी है। किन्तु इस बात का कोई उत्तर नहीं कि सीमेंट

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

का उत्पादन क्षमता से कम क्यों होता है । वास्तव में वे लोग यदि अपना माल निश्चित मूल्य पर न बेच सकें तो वे पूंजीपति नहीं रह सकते । इसके लिए सरकारी उद्योग क्षेत्र भी अपराधी है और उसमें मुख्य बाधा प्रशासन है । योजना और प्रशासन दोनों में अराजकता है । वैज्ञानिकों की शिकायत है कि विदेशों से करार करते समय उनसे परामर्श नहीं किया जाता कि परियोजनाओं के लिए अपेक्षित वस्तुएं यहां तैयार हो सकती है अथवा नहीं । इस प्रकार अंधाधुंध खर्च किया जा रहा है ।

हम मिश्रित अर्थ-व्यवस्था के पचड़े में पड़े हैं । क्या इस मिश्रित अर्थ-व्यवस्था का यह अभिप्राय है कि सदा सदा के लिए सरकारी और गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र को संतुलित रखा जाएगा । कुछ लोग प्रयत्न कर रहे हैं कि गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र अधिक प्रभावी हो । वित्त मंत्री ने एक दिन कहा था कि सरकारी और गैर सरकारी उद्योग क्षेत्र की बात क्यों की जाती है वास्तव में एक ही राष्ट्रीय क्षेत्र है । किन्तु हो क्या रहा है ? अधिक राशि कुछ ही हाथों में संचित हो रही है । यदि सरकार इसे समझ लेगी और आर्थिक शक्ति के केन्द्रीयकरण को रोकने के लिए प्रयत्न करेगी तभी योजना सफल होगी ।

१९६०–६१ में सरकार द्वारा जारी किये गये सब लाइसेंसों में से दस प्रतिशत मुख्य २५ व्यापारियों के हाथ में है । १९५१ में १० औद्योगिक दलों के पास ८७६ कम्पनियां थीं और १९५८ में उन्हीं के पास ९२९ कम्पनियां थीं : ऐसी स्थिति में श्री मसानी और उनके मित्र कहते हैं कि पूंजी निवेश के अनुकूल वातावरण नहीं है ।

अब मैं कृषि और भूमि सुधार के प्रश्न को लेता हूं । कृषि के क्षेत्र में छोटे किसानों को उपयुक्त अवधि निर्धारित कर के भूमि पट्टे पर देनी चाहिये । भूमि की अधिकतम सीमा जहां कहीं निर्धारित की गई है, लोगों ने उससे बचाव के ढंग निकाल लिए हैं । उत्तर प्रदेश कांग्रेस समिति ने भूमि सीमा की जो परिभाषा दी है उसे मैं स्वीकार करने के लिए तैयार हूं । उनका कहना है कि भूमि सीमा वह होनी चाहिये जिसमें बैलों की एक जोड़ी से काश्त की जा सके और वह ७ एकड़ से अधिक भूमि में नहीं की जा सकती । कुछ ऐसी ही सीमा निर्धारित की जानी चाहिये और किसान के बीज में सिंचाई, विपणन आदि की सुविधाएं मिलनी चाहिये । ऐसा कार्यक्रम कभी नहीं अपनाया जाता ? वास्तव में जमींदार, व्यापारी और सट्टेबाज ऐसे कायक्रम में बाधा पैदा कर र हैं ।

किसान का सहयोग प्राप्त करने में भी कोई सफलता नहीं मिली जिसके बिना भूमि सुधार हो ही नहीं सकता ।

कृषि उत्पादन इतना पिछड़ा हुआ है कि विशेषज्ञ कहते हैं कि आत्मनिर्भर २५ वर्ष लग जायगे । कोई महत्वपूर्ण कार्यक्रम करना चाहिये जिससे उत्पादन में वृद्धि हो सके । मिश्रित अर्थ-व्यवस्था की पद्धति को कृषि में भी तो अपनाना चाहिये । सूरतगढ़ के मशीनी फार्म में अधिकतम उपज प्राप्त होती । इस प्रकार के फार्म अधिक संख्या में स्थापित किये जा सकते हैं और मित्र राष्ों से उनके लिए मशीनें आदि प्राप्त की जा सकती हैं ।

वास्तव में स्थिति यह है कि दो प्रकार की योजनाएं काम कर रही है । एक तो सरकारी योजना है और दूसरी गैर सरकारी । अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के अधिवेशन में एक सदस्य ने कहा था कि एक समानान्तर शासन भारत में मौजूद है और ३००० करोड़ रुपया ऐसा है जिसका

कहीं लेखा जोखा नहीं होता । निस्संदेह वह समानान्तर शासन समानान्तर योजना को भी कार्यान्वित कर रहा है और सरकारी योजना में बाधा उपस्थित कर रहा है ।

हमारे आस पास के देश समाजवादी नहीं किन्तु पिछड़े हुए हैं अतः वे भी आर्थिक विकास के लिए आर्थिक केन्द्रीयकरण को रोकने के लिए प्रयत्नशील है । संयुक्त अरब गणराज्य के प्रधान श्री नासिर ने प्रैस सम्मेलन में इस बारे में जो कुछ कहा है उसे योजना आयोग के सदस्यों को पढ़ना चाहिये । सरकार को समानान्तर योजना का मुकाबला करना है । यदि देश की प्रगति के लिए योजना में परिवर्तन किया जाए तो हम उसकी कार्यान्विति के लिए पूरा सहयोग देने के लिए तैयार हैं ।

†**श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी** (केन्द्रपाड़ा) : तीसरी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में अनेक असफलताओं का उल्लेख किया गया है । सरकार सदा यह कहती रही है कि वह निकास कार्य में इतनी व्यस्त थी कि वह देश की अखण्डता की रक्षा नहीं कर सकी । आर्थिक विकास की विफलता भी इतनी घोर है कि यह सरकार उसके बहाने तराश रही है । अब वे कहते हैं कि योजना आयोग "नौकरशाही का केन्द्र है" । यह बात तो प्राक्कलन समिति ने भी कही थी किन्तु किसी ने इधर ध्यान नहीं दिया ।

फिर प्रधान मंत्री कहते हैं कि योजना की नीति में कोई गल्ती नहीं वास्तव में उसकी कार्यान्विति की परिपाटी ऐसी रूढ़ हो चुकी है कि उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है । वे १७ वर्ष से प्रधान मंत्री हैं किन्तु पहले इस समस्या को नहीं समझ पाये । श्री मसानी की आलोचना भी गलत है क्योंकि यदि योजना रूस की पद्धति पर होती तब भी इसे सफल तो होना चाहिये था क्योंकि तानाशाही आधार पर भी सफलता की संभावना थी । यह समाजवादी या साम्यवादी योजना नहीं है ।

सरकार तथ्यों को छिपा रही है । यदि इस मूल्यांकन के साथ ही महलानोबिस का प्रतिवेदन भी प्रस्तुत किया जाता तो सरकार बता सकती थी कि धन के कुछ हाथों में एकत्रित होने का क्या कारण है । आर्थिक विषमता के कारण वास्तव में निर्बल बर्ग को इतनी अधिक क्षति पहुंची है कि इससे समाजवादी समाज की स्थापना नहीं हो सकती ।

हमारे इतिहास में यह बड़े संकट की स्थिति उपस्थित हुई है और हमें इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिये । योजना को समाप्त करने का नारा तो गलत है । यह रोग का उपचार नहीं वास्तव त्रुटि योजना आयोग में है । योजना आयोग तो बस एक निराशावादी दल मात्र है क्योंकि योजना की त्रुटिपूर्ण और अवास्तविक है ।

मैं योजना आयोग को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि उन्होंने कम से कम इतनी आर्थिक प्रगति की जो जन संख्या में वृद्धि के बराबर रही । अब अवनति प्रायः सभी क्षेत्रों में जैसे अवास, शिक्षा स्वास्थ्य आदि में प्रारम्भ हो चुकी है । यह स्थिति १९६२–६३ में प्रारम्भ हुई थी जब कि देश के संसाधन पर्याप्त थे । कराधान से १९०० करोड़ रुपया प्राप्त हुआ था और विदेशों से भी पर्याप्त सहायता मिली थी । किन्तु फिर भी लक्ष्यों की उपलब्धि में असफलता का मुंह देखना पड़ा है ।

---

†पूल अंग्रेजी में

[श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी]

सकटकाल में लोग अतिरिक्त कर का भार संभालने के लिए तैयार हो गये थे और सरकार को अधिकार भी अधिक मिल गये थे किन्तु फिर भी वे विफल रहे जब कि ऐसी संकट की परिस्थितियों में अन्य देशों में बड़ी तेजी से विकास हुआ है ।

इस प्रतिवेदन में कहा गया है आपातकाल की घोषणा के तुरन्त बाद राष्ट्रीय विकास परिषद् ने एक बैठक की थी और विकास सम्बंधी प्राथमिकता निर्धारित की थी । मैं जानना चाहता हूं कि वे प्राथमिकताएं क्या थीं और योजना में क्या कटौती की गई थी ?

प्रतिरक्षा प्रयोजनों के लिये ११७ विस्तार योजनाओं का त्याग कर दिया गया । मैं जानना चाहता हूं कि ये अतिरिक्त संसाधन कहां चले गये । क्या प्रतिरक्षा जत्पादन में वद्धि के लिये इन्हें जुटाया गया है ?

यह कहा गया है कि प्रतिरक्षा उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है । परन्तु यह अतिरिक्त साधनों के कारण नहीं हुई है । यह वृद्धि कर्मचारियों द्वारा देशभक्ति दिखाये जाने के कारण हुई है । उनके सहयोग से अप्रयुक्त क्षमता का कुछ हद तक प्रयोग किया गया । आयोजन आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता है । प्रतिरक्षा उत्पादन के बारे में भी राजनीतिक बातों को महत्व दिया जाता है । उदाहरण के लिये मिग कारखाना उड़ीसा में कोरापुट में स्थापित किया जाना था परन्तु नये प्रतिरक्षा मंत्री के आने के पश्चात् इसमें परिवर्तन किया गया । मिग विमान का ढांचा कहीं पर निर्माण किया जायेगा, मशीन और स्थान पर निर्मित की जायेगी तथा किसी और अन्य स्थान पर इनको एकत्रित किया जायेगा और इस दिशा में अभी कोई प्रगति नहीं की गई है । केवल इस प्रयोजन के लिये भूमि ही अर्जित की गई है ।

उत्पादन में कमी गलत ढंग से योजना को कार्यान्वित करने के कारण नहीं हुई है परन्तु ऐसा त्रुटिपूर्ण आयोजन के कारण हुआ है । योजना आयोग ने कभी भी वास्तविकताओं के आधार पर योजनायें नहीं बनाई हैं । उनकी योजनाओं का मांग तथा सम्भरण से कोई सम्बन्ध नहीं है । यह कहा जाता है कि कोयले के अभाव तथा परिवहन की कठिनाइयों के कारण सरकारी उपक्रमों द्वारा उत्पादन लक्ष्य पूरे नहीं किये जा सके । परन्तु जब परिवहन की कठिनाइयां दूर कर दी गई हैं तब भी अच्छे कोयले का उत्पादन लक्ष्य से कम रहा है और घटिया किस्म के कोयले का बहुत अधिक उत्पादन हुआ है । यह केवल गलत आयोजन तथा उचित अनुमान न लगाये जाने के कारण हुआ है ।

नये यूनिटों को औद्योगिक लाइसेंस नहीं दिये जा रहे हैं । इसका कारण यह है कि ५० प्रतिशत कच्चे माल का आयात करना पड़ेगा और उसके स्थान पर उतना ही निर्यात करना पड़ेगा । यदि वे यूनिट ऐसे माल का उत्पादन करते हैं जो बाहर भेजा जा सके तभी उनको नये लाइसेंस दिये जायेंगे । यह कार्य एक आयात प्रतिस्थापन समिति द्वारा किया जा रहा था जिसे २ वर्ष पहले समाप्त कर दिया गया था तथा सरकार ने उसके कार्यों को अपने हाथ में ले लिया था । मैं जानना चाहता हूं कि उनमें क्या प्रगति हुई है ।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

जहां तक औद्योगिक उत्पादन का सम्बन्ध है गैर-सरकारी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में हम पिछड़ गये हैं क्योंकि वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता का पूरा उपयोग नहीं किया गया

है। यह देखने के लिये कि यूनिट अपनी पूरी क्षमता का स्तेमाल करे, सरकार ने अप ी शक्तियों का प्रयोग नहीं किया। अतः यह स्पष्ट है कि वर्तमान शासन-तन्त्र कोई सुधार करने में पूर्णतया असमर्थ है।

योजना मंत्री ने कहा है कि खराब मौसम तथा अपर्याप्त प्रशासनिक सहयोजन के कारण कृषि उत्पादन कम हुआ है। यदि आयोजक मौसम की खराबियों का पूर्वा ुमान नहीं कर सकते तो आयोजन करना ही मानी है। कृषि कार्यक्रम के असफल होने का कारण यह है कि भूमि सुधार कार्यक्रम में त्रूटियां हैं। सब की खिचड़ी बना दी गई है। किसानों की अनिश्चितता की स्थिति दूर नहीं हुई है। कुछ राज्य सरकारें तो योजना आयोग के निर्णयों के अनुसार विधान भी नहीं बना पाई हैं। इसका कारण यह है कि राज्य सरकारों तथा शासक दल पर जमींदार लोग छाये हुए हैं। उनकी ओर से तना दबाव पड़ता है कि योजना आयोग की स्वीकृत नीतियां भी कार्यान्वित नहीं की जाती हैं। कृषि के आधुनिक तरीकों के पीछे बुनियादी बातों की उपेक्षा की गई है। बहुत सोच-विचार के पश्चात एक कृषि बोर्ड बनाने का निर्णय किया गया है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्रालय में भी क बोर्ड कार्य कर रहा है। उसने निर्यात बढ़ाने में कोई योगदान नहीं दिया है। निर्यातों में जो थोड़ी बहुत बढ़ोतरी हुई है वह अन्तर्राष ीय स्थिति के हमारे अनुकूल होने के कारण हुई है। यदि कृषि बोर्ड ने भी वैसे ही कार्य करना है तो इसकी स्थापना से कोई लाभ नहीं होने वाला है। योजना आयोग कृषि उत्पादन के लिये योजनायें बनाने के लिये सक्षम नहीं है। यदि हम वास्तव में कृषि उत्पादन बढ़ाना चाहते हैं तो एक कृषि आयोग बनाया जाना चाहिये जो इन तमाम बातों की जांच करके कृषि उत्पादन में तत्काल वृद्धि के उपाय सुझाये। वह सुधार सम्बन्धी सुझाव भी दे तथा दीर्घकालीन उपाय भी बनाये।

यह खेद की बात है कि इस प्रतिवेदन में कमी के कारण नहीं दिये गये हैं और न ही इसमें इस कमी को दूर करने के उपायों का उल्लेख है। योजना आयोग एक स्वतंत्र या स्वायत्तशासी निकाय नहीं है। इसमें जो पदाधिकारी और अन्य व्यक्ति रखे गये हैं वे प्रधान मंत्री तथा उनकी सरकार को नाराज नहीं कर सकते क्योंकि वे शासन-तंत्र का अभिन्न अंग हैं। अतः योजना आयोग ऐसा मूल्यांकन या उपाय नहीं सुझा सकता जो सरकार को अरुचिकर हो।

प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि योजना आयोग में जड़ता आ गई है। मेरे विचार में सरकार के तीनों भागों—आयोजन करने वालों, नीति बनाने वालों तथा क्रियान्विति करने वालों—में जड़ता आ गई है। इन सबको योजना को सफल बनाने के लिये इस जड़ता को त्यागना चाहिये।

जनता का धैर्य समाप्त होता जा रहा है। निराशा अन्तिम सीमा तक पहुंच चुकी है। जनता का सहयोग वि ोध में न बदला जाये। सरकार की इस घोर असफलता के बड़े खतरनाक राजनीतिक प्रभाव हो सकते हैं। हमारी साम्यवाद से होड़ है। हम लोकतन्त्रात्मक रास्ते से देश में सामाजिक तथा आर्थिक समानता लाना चाहते हैं। अतः अब समय आ गया है कि सरकार तथा शासक दल द्वारा अपनी स्थिति पर पुनर्विचार किया जाये। सर्वप्रथम उद्देश्यों की स्पष्ट रूप से व्याख्या की जाये और इसके बाद इन उद्देश्यों को दृष्टि में रखते हुए, योजना की रूपरेखा, सकी क्रियान्विति सम्बन्धी ढांचे और यहां तक कि समूचे शासन तंत्र में आमूल परिवर्तन करने के बारे में विचार किया जाये। परन्तु सरकार ऐसा करने में पूर्णतया असफल रही है और इस स्थिति में, सहयोग देना संभव नहीं है।

†**श्रीमती रेणुका राय** (मालदा) : मूल्यांकन दस्तावेज में दिया हुआ है कि गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में पर्याप्त प्रगति नहीं हो सकी क्योंकि पुर्जों तथा कच्चे माल के अपर्याप्त संभरण के कारण उनकी अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग नहीं किया जा सका। ऐसी स्थिति उत्पन्न नहीं होने दी जानी चाहिये थी। मुझे आशा है कि अगले ढाई सालों में स्थिति में सुधार करने के लिये ठोस उपाय किये जायेंगे।

विद्युत् की कमी को पूरा करने तथा परिवहन सुविधाएं उपलब्ध करने में जिन कठिनाइयों का अनुभव किया गया है उनके बारे में पहले से ही उचित सोच-विचार कर लिया जाना चाहिये था।

परियोजनाओं के सही प्राक्कलन तैयार किए जाने चाहियें। भविष्य में यह नहीं कहा जाना चाहिये कि प्राक्कलनों के सही न होने के कारण प्रगति धीमी रही है।

सबसे महत्वपूर्ण चीज जिसका हम आपातकाल में फायदा नहीं उठा सके लोगों का उत्साह है। इसके लिये कोई श्रम संगठन बनाया जाना चाहिये था। परन्तु इसके अभाव में लोगों का जोश ठंडा पड़ गया। कृषि क्षेत्र में तो उनकी सेवाओं का उपयोग किया जा सकता था। अब समय आ गया है कि उनकी सेवाओं का उपयोग किया जाना चाहिये। कृषि उत्पादन के मामले में हमें प्रकृति की कृपा पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिये अपितु इस निर्भरता को दूर करने के लिये कोई वैज्ञानिक तरीके अपनाये जाने चाहियें।

मूल्यांकन के अनुसार कृषि उत्पादन में ३५ लाख टन की कमी होने का अनुमान है। जहां तक इस कमी में प्रकृति का हाथ होने का प्रश्न है इसके चक्र होते हैं जिनका पहले से अनुमान लगाया जा सकता है कि अगले एक या दो या तीन वर्षों में इनका प्रभाव कैसा रहेगा। मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों नहीं किया गया।

शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। केवल आंकड़ों में वृद्धि से ही अच्छी शिक्षा अभिप्रेत नहीं है। स्कूलों में शिक्षा का न्यूनतम स्तर निर्धारित किया जाना चाहिये।

परिवार नियोजन उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि कृषि उत्पादन। पहले ग्रामीण लोगों ने उर्वरकों के प्रति अरुचि दिखाई थी। परन्तु अब इसकी इतनी मांग है कि हम उसे पूरा नहीं कर सकते। ऐसे ही परिवार नियोजन के प्रति उनका विरो कम होता जा रहा है और एक दिन ऐसी हालत न हो जाये कि हम इस संबंध में उनकी मांगों को पूरा करने में अपने आपको असमर्थ पायें। सीलिये मैंने कुछ साल पहले कहा था कि परिवार नियोजन के प्रयोजनों के लिये काफी उपकरणों का निर्माण किया जाना चाहिये।

विकासोन्मुख देशों में मूल्यों के बढ़ने की संभावना होती है। परन्तु हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि अन्न तथा कपड़े के दाम ऐसे बने रहें कि निर्धन लोग उन्हें खरीद सकें। हमें उपभोक्ता वस्तुओं, जैसे मोटा कपड़ा, तथा सीमेंट और उर्वरकों के उत्पादन पर अधिक जोर देना चाहिये। सीमेंट तथा उर्वरकों की कमी है जोकि गैर-सरकारी क्षेत्र में बनाई जाती हैं। अतः हमें गैर-सरकारी क्षेत्र के प्रति कठोर दृष्टिकोण अपनाना चाहिये।

योजना आयोग में इतने केन्द्रीय मंत्री नहीं होने चाहियें। सभा से इसका सम्पर्क बनाये रखने के लिये एक मंत्री का आयोग मे होना पर्याप्त है। योजना आयोग का यह कार्य नहीं है कि वह राज्यों के बीच के झगड़े सुलझाये। योजना आयोग का कर्तव्य है कि वह यह देखे कि योजनाओं को किस प्रकार कार्यान्वित किया जा रहा है।

†मूल अंग्रेजी में

प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

जब तक प्रशासनिक ढांचे में समाजवादी राज्य की आवश्यकताओं को दृष्टि में रख कर परिवर्तन नहीं किये जाते योजनाओं की कार्यान्विति की बातें करना व्यर्थ है। प्रक्रिया सम्बन्धी परिवर्तन ठीक हैं परन्तु आवश्यकता समूचे दृष्टिकोण को बदलने की है। योजना की कार्यान्विति का काम उन्हीं व्यक्तियों को सौंपा जाना चाहिये जिन्हें योजना के उद्देश्यों में विश्वास है। लालफीताशाही तथा नौकरशाही मनोवृत्ति का अन्त किया जाना चाहिये। योजना की कार्यान्विति से सम्बन्धित ढांचे में सुधार किये जाने चाहियें। इसके ढीलेपन के कारण ही यह स्थिति उत्पन्न हुई है। केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों पर अपना उत्तरदायित्व नहीं डालना चाहिये। योजना आयोग को योजना की प्रगति के मूल्यांकन पर अधिक जोर देना चाहिये।

लोकतंत्र के आधार पर आयोजन करना बड़ा कठिन कार्य है। इसमें कुछ समय अवश्य लगता है। परन्तु तृतीय योजना प्रारम्भ करने से पहले १० वर्ष का समय बीत चुका है। तीसरी योजना में ये दिक्कतें पेश नहीं आनी चाहियें। प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तनों से मेरा अभिप्राय है कि यह केवल वैतनिक प्रशासकों तक ही सीमित नहीं रहना चाहिये अपितु नीति-निर्माताओं को भी इसके क्षेत्र के अन्तर्गत लाना चाहिये। यदि हमारा दृष्टिकोण यही है तथा हम योजना को कार्यान्वित करने के लिये तत्पर हैं तो हमें प्रक्रिया आदि को अधिक महत्व नहीं देना चाहिये।

लोगों का सहयोग प्राप्त करने के उद्देश्य से स्थापित संघों को सरकार द्वारा बड़ी राशियां दी जाती हैं जबकि उनको जनता से कोई मान्यता प्राप्त नहीं है और वे जड़ें भी नहीं पकड़ पाई हैं। जनता का सहयोग प्राप्त करने का यह उचित तरीका नहीं है। इस बारे में हमें अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिये।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : जिनकी प्रजातंत्र में रुचि है वे इस मूल्यांकन की सराहना करेंगे क्योंकि इस दस्तावेज में वास्तविक स्थिति का चित्रण किया गया है।

योजना आयोग को नया रूप दिया जाना चाहिये। इसे योजना सम्बन्धी नीतियों की कार्यान्विति की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये और अपनी सिद्धान्तवादी नीति का त्याग कर व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये। इस में ऐसे व्यक्तियों को स्थान दिया जाये जो समस्याओं को नये ढंग से सुलझा सकें और जिनका समाजवाद तथा लोकतन्त्र में विश्वास हो। सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को इसमें कोई स्थान नहीं मिलना चाहिये क्योंकि उनके विचार पुराने होते हैं तथा वे नौकरशाही मनोवृत्ति का शिकार हैं।

हमारा आयोजन असफल रहा है क्योंकि योजना आयोग केवल बड़े शहरों के बारे में सोच-विचार करता रहा है। चूंकि यह विशाल योजना बनाने की मनोवृत्ति का शिकार अतः यह छोटे व्यक्ति, छोटे ग्रामीण, छोटे किसान के बारे में नहीं सोच सकता। छोटे व्यक्तियों, छोटे ग्रामीणों, छोट कस्बों तथा छोटे शहरों की आवश्यकताओं की अवहेलना किये जाने के कारण ही यह अपने कार्य को पूरा करने में असमर्थ रहा है। आयोजन गांवों के स्तर से शुरू किया जाना चाहिये।

प्रथम बात जो मैं योजना आयोग के बारे में कहना चाहता हूं वह यह है कि उसे छोटे-छोटे किसानों के हितों का ध्यान रखना चाहिए। किसानों की कठिनाइयों

†मूल अंग्रेजी में

[श्री दी० चं० शर्मा]

का ध्यान रखा ही जाना चाहिए । उनका लक्ष्य क्या है ? क्या उन्हें समय पर उर्वरक तथा अन्य अपेक्षित वस्तुएं समय पर उपलब्ध होती हैं । यदि हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो योजना का क्या लाभ है । हमें छोटे छोटे लोगों और कस्बों की आवश्यकताओं को देखना चाहिए और उनके लिए कुछ करना चाहिए ।

हमें इस बात का पता है कि लघु उद्योगों के क्षेत्र में कुछ न कुछ किया गया है । मेरे अपने चुनाव क्षेत्र में एक देहाती औद्योगिक सम्पदा का निर्माण हुआ और वह बहुत अच्छा काम कर रही है । परन्तु यह खेद की बात है कि औद्योगिक सम्पदायें जिनसे छोटे उद्योगों को प्रोत्साहन प्राप्त हो सकता था, प्रायः निष्फल हो गयी हैं । बहुत सी दुकानों का लोग प्रयोग ही नहीं कर रहे, पता नहीं इसके क्या कारण हैं । क्या हमारे योजना आयोग ने इस ओर ध्यान दिया है ? क्या उसे पता है कि ऐसा हो रहा है? जब योजना को प्रारम्भ किया गया था तो कहा गया था कि यह जनता की योजना है, अब मैं पूछना चाहता हूं कि हमारी सरकार जनता का सहयोग प्राप्त करने के लिए क्या कर रही है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री दी० चं० शर्मा अपना भाषण सोमवार को जारी रख सकेंगे ।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

उनतीसवां प्रतिवेदन

†**श्री हेम राज** (कांगड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के उनतीसवां प्रतिवेदन से, जो ४ दिसम्बर को १९६३ को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के उनतीसवां प्रतिवेदन से, जो ४ दिसम्बर, १९६३ को सभा में प्रस्तुत किया गया था, सहमत है ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

संविधान (संशोधन) विधेयक, १९६३

(अनच्छेद ७४, ७५ आदि का संशोधन)

†**श्री शिवमूर्ति स्वामी** (भोपाल) : श्रीमान् जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाय।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री शिवमूर्ति स्वामी : मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं ।

संविधान (संशोधन) विधेयक, १९६३—जारी

(अनुच्छेद ३४३ का संशोधन)

†**उपाध्यक्ष महोदय** : अब हम श्री भट्टाचार्य द्वारा २२ नवम्बर, १९६३ को प्रस्तुत भारत के संविधान में संशोधन करने के प्रस्ताव पर विचार करेंगे ।

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : आब्रह्मन् ब्राह्मणो ब्रह्मवर्चसी जायताम्
आराष्ट्रे राजण्यो शूर ईषव्यो
अतिव्याधी महारथो जायताम्
दोग्ध्री धनुर्वोढ़ा अनड्वान्
आशुः सप्तिः पुरंधी योषाः
जिष्णु रथेष्ठा सभेयो युवा अस्य
यजमानस्य वीरो जायताम्
निकामे निकामे नः परजन्यो वर्षतु
फलवत्यो नः औषधम पच्यन्ताम्
योगक्षेमः नः कल्पताम् ।

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, श्री भट्टाचार्य, ने यह बिल यहां पर रख कर एक बहुत ही सुन्दर सुझाव दिया है। मैं इस सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि सृष्टि की उत्पत्ति को लगभग पौने तो अरब वर्ष हो चुके हैं और महाभारत तक संस्कृत न केवल भारतवर्ष की राजभाषा रही, अपितु अन्य देशों में भी इस का प्रचार और प्रसार रहा ।

[**डा० सरोजिनी महिषी** पीठासीन हुईं]

भारतवर्ष में महाभारत के पश्चात् भी आर्य लोग देश के विभिन्न स्थानों की यात्रा पर जाते थे और यदि कन्याकुमारी से लेकर इधर रामेश्वरम् तक और उधर सेतुबंध से लेकर अमरनाथ तक यदि एक भाषा नहीं थी, तो वे इस यात्रा पर किस प्रकार से व्यवहार करते थे ? इसलिए जिन माननीय सदस्यों का यह विचार है कि संस्कृत भाषा कभी जन-भाषा नहीं रही, मैं उन पर आश्चर्य करता हूं। उन्होंने संस्कृत साहित्य पढ़ा नहीं—और इस में उन का अपराध भी नहीं है ।

अभी बहुत थोड़े दिनों की बात है कि महाराजा भोज यात्रा पर निकले हुए थे, तो कोई ब्राह्मण लकड़ियों का भार ले कर आता हुआ दिखाई दिया। राजा भोज ने

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री रामेश्वरानन्द]

सोचा कि हमारे राज्य का यह कितना पढ़ा-लिखा व्यक्ति है, जो लकड़ी उठा रहा है। उन्होंने पूछा, "किम् भारं बाधति विप्र ?"—'हे ब्राह्मण, क्या तुम को भार का कष्ट हो रहा है ?" ब्राह्मण ने उत्तर दिया, "भारं न बाधते राजन् यथा बाधति वाधते"—"मुझे इस बोझ से उतना कष्ट नहीं है राजन्, जितना कि आप के "वाधते" के स्थान पर "वाधति" का प्रयोग करने पर हो रहा है ।"

यह मैं आज के समय की बात कह रहा हूं, जो कि बहुत ही थोड़े दिन पहले का समय है । आप संस्कृत साहित्य को पढ़ें । कौन ऐसी राजनीतिक उलझन है, जिस को संस्कृत साहित्य में सुलझाया नहीं गया है, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति से लेकर महाभारत तक आर्यों का सार्वभौम चक्रवर्ती राज्य रहा और उनकी भाषा संस्कृत थी। मुझे उन लोगों पर दया आती है, जो कहते हैं कि साहब, संस्कृत कभी जन-भाषा नहीं रही । उन्होंने केवल मुग़लकाल तक का इतिहास पढ़ा है । उससे आगे के संसार का उनको पता ही नहीं है । जो लोग ऐसी बातें कहते हैं, मैं उनके सम्बन्ध में कोई कठोर शब्द नहीं कहना चाहता हूं । मैं तो कहूंगा कि वे पुनः विचार करें।

अभी मैंने आप के सामने जो वेदमंत्र उपस्थित किया है, उस एक ही वेद-मंत्र में सारी आवश्यकताओं का वर्णन किया गया है । उस में पहले परमेश्वर को स्वीकार किया गया है और फिर प्रार्थना की गई है कि हमारे राज्य में ये ये वस्तुयें हों। उसमें कहा गया : हमारे राज्य में ब्राह्मण ब्रह्मवर्चसी हों, क्षत्रिय शूरवीर हों, एक एक योद्धा महारथी हो, दस दस हज़ार के साथ युद्ध करने वाला हो, हमारे देश की गायें दूध देने वाली हों, बैल भारवाहक हों, घोड़े बड़े शीघ्रगामी हों, स्त्रियां बड़े बड़े नगरों का और सब प्रकार के व्यवहार का संचालन करने वाली हों, यजमान के घर में सभा में बैठने योग्य, सभ्य, शूरवीर सुपुत्र हों, कभी ऐसा न हो कि हमारा राज्य वर्षा से नष्ट हो जाये, या वर्षा ही न हो, हमारे राज्य में दुर्भिक्ष न हो, खाने के पदार्थ हमारे योग्य हों, स्वर्ण आदि पदार्थ भी निर्वाह के योग्य हों, उन की न्यूनता न रहे, समय पर औषधियां और वनस्पतियां फल लायें ।

मैं कहना चाहूंगा कि यदि प्रारम्भ में संस्कृत को सहभाषा नहीं, राजभाषा मान लिया गया होता, तो यह जो दक्षिण और उत्तर भारत के लोगों का विवाद खड़ा किया जाता है कि साहब, हिन्दी को दक्षिण के लोगों या बंगाल के लोगों पर लादा जा रहा है, यह विवाद उपस्थित ही न होता, क्योंकि हम सब एक भाषा और एक सभ्यता के मानने वाले हैं और हम सब एक दूसरे के निकट आ सकते थे । अब भी यदि इस को राजभाषा स्वीकार किया जाये, तो यह विवाद दूर हो सकता है ।

हमारी प्रान्तीय भाषाओं में सहस्रों शब्द संस्कृत के हैं । मराठी में "बंधूनी" शब्द का प्रयोग किया जाता है । यह बहुवचन है और नपुंसक लिंग बनाया हुआ है, किन्तु संस्कृत का शब्द है । गुजराती में भी आप संस्कृत के सहस्रों शब्द पायेंगे । बंगला में तो संस्कृत के शब्दों की संख्या ही नहीं है । यदि किसी संस्कृत के विद्वान के सामने कोई बंगला भाषा बोलता है, तो बहुधा वह उसके भाव को समझ लेता है । यही स्थिति पंजाबी की है । पंजाबी में भी सहस्रों शब्द ऐसे हैं, जो संस्कृत के हैं । उदाहरण के लिए "प्यो" शब्द, जिसका अर्थ पिता है, संस्कृत से निकला हुआ शब्द है । केवल भारत की प्रान्तीय भाषाओं में ही नहीं, बल्कि मैं यहां तक कहता हूं कि अंग्रेज़ी भाषा

में भी संस्कृत के बहुत से शब्द हैं। आप जो "मदर" बोलते हैं, वह संस्कृत के "मातृ" शब्द से निकला हुआ है। आप जो "फादर" बोलते हैं, वह संस्कृत के "पितृ" शब्द से निकला हुआ है। आप "ब्रदर" बोलते हैं, जो कि संस्कृत के "भ्रातृ" शब्द से निकला हुआ है। आप "सिस्टर" बोलते हैं, जोकि संस्कृत के "स्वसृ" शब्द से निकला आ है। इसी तरह आप "डाटर" बोलते हैं, जोकि संस्कृत के "दुहितृ" शब्द से निकला हुआ है। ये जितने शब्द हैं, ये सब संस्कृत के शब्दों से बिगड़ कर बने हैं और अब संसार को आदत पड़ गई है अशुद्ध शब्दों का प्रयोग करने की। यदि संस्कृत राजभाषा बने, तब कोई किसी प्रकार का विवाद खड़ा नहीं होता। "अविवाहित" के लिए अंग्रेजी में आप "बैचेलर" कहते हैं, जो कि संस्कृत के शब्द "ब्रह्मचारी" से निकला हुआ शब्द है। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं सब शब्दों को यहां पर प्रस्तुत कर सकूं।

हमारी प्रान्तीय भाषाओं की जो लिपि है वह तो निकली ही संस्कृत से है। हिन्दी का एक एक अक्षर मैं आप से पूछता हूं कि कहां से निकला है ? संस्कृत के जो ६० या ६३ अक्षर हैं, वही अक्षर तो हिन्दी में हैं। आप कहां से इनको लाये हैं। अ, आ, इ, ई आदि जो अक्षर हैं जिन का प्रयोग हिन्दी में होता है, ये सब संस्कृत के अक्षर नहीं हैं तो किस के अक्षर हैं। हिन्दी की लिपि संस्कृत की लिपि का विशुद्ध रूप है। आप यह देखें कि पंजाबी की लिपि जिस को गुरुमुखी लिपि कहते हैं, उसके जो शब्द हैं, वे भी यहां से ही लिये गये हैं। जैसे हम आकार कहते हैं, वे आड़ा कहते हैं, हम उकार कहते हैं, वे ऊड़ा कहते हैं, हम इकार कहते हैं, वे ईड़ी कहते हैं। एक एक अक्षर, संस्कृत के अक्षर से निकला है। लोग इन शब्दों का रोज़मर्रा प्रयोग करते हैं।

मैं उन लोगों से सहमत नहीं हूं जो यह मानते हैं कि भाषाएं यहीं से बनी हैं। मैं मानता हूं कि सब से पहले सृष्टि के आरम्भ में भगवान ने वेद दिया और वेद में २६वें अध्याय का जो पहला मंत्र है और जिस में कुछ उपदेश दिया गया है, उसको मैं आपको सुनाता हूं :

यथोमाम् वाचम् कल्याणिम आवदानि जनेभ्यः ।
ब्रह्मा राजन्याभ्याम् शुद्राय चर्याय च स्वाय च ।।

भगवान कहते हैं, मनुष्य मैं तुम को सब से पहले यह वेद की भाषा दे रहा हूं। इस भाषा को जैसे मैं तुम को दे रहा हूं इसी तरह से प्रत्येक स्त्री पुरुष तक तुम इसको पहुंचाओ।

मैं इस बात को मानता हूं कि भाषाएं बनती नहीं हैं, बिगड़ती हैं। असमर्थता के कारण प्रान्तीय और विदेशी भाषायें बनी हैं। जैसे भगवान ने सृष्टि के आरम्भ में एक सूरज का निर्माण किया, चन्द्रमा का निर्माण किया, हवा पानी का निर्माण किया, हमारे और आपके शरीर का निर्माण किया, इसी प्रकार से भगवान ने एक भाषा आरम्भ में सृष्टि को दी और वह संस्कृत भाषा थी . . .

सभापति महोदय : अब आप खत्म करें।

श्री रामेश्वरानन्द : मैं प्रार्थना करूंगा कि दो चार मिनट और मुझे दे दिए जायें।

सभापति महोदय : समय बहुत कम है और बोलने वालों की संख्या बहुत अधिक है। आप दो मिनट और ले लें और खत्म कर दें।

श्री रामेश्वरानन्द : धन्यवाद।

मैं कह रहा था कि संस्कृत भाषा ऐसी भाषा है कि यदि वह आगे आए, तो सब जितनी समस्यायें हैं, उनका समाधान हो सकता है। राष्ट्रभाषा के रूप में संस्कृत भाषा भगवान ने सृष्टि के आरम्भ

[श्री रामेश्वरानन्द]

में दी और वह बहुत देर तक चलती रही। किस तरह से यह भाषा बिगड़ी? जिस तरह से एक बालक तुतला कर बोलता है, जिस तरह से बालक रोटी नहीं कहता, लोती कहता है और आप भी लोती बोलने लगते हैं, तो भाषायें बिगड़ने लग जाती हैं। इस तरह से कालान्तर में जा कर भाषाओं का ह्रास हुआ और भाषा का भाषान्तर हो गया। यह कोई आरम्भिक चीज नहीं है। मैं उन लोगों के साथ सहमत नहीं हो सकता जो कहते हैं कि भाषायें यों ही विकसित हो जाती हैं। इस तरह से किसी भाषा का विकास नहीं होता है। इससे तो भाषाओं का ह्रास ही होता है। जिस तरह से सृष्टिचक्र, यह संसार ह्रास की तरफ जा रहा है, सूर्य, चन्द्रमा, पृथ्वी, आदि ह्रास की तरफ जा रहे हैं, इसी प्रकार से भाषायें ह्रास की तरफ जा रही हैं। यदि भगवान ने आरम्भ में कोई भाषा नहीं दी तो मैं आप से पूछना चाहता हूं कि लोगों को बोलना कैसे आया? आज भी आप एक बात को अनुभव कर सकते हैं। एक बालक को या दस बीस बालकों को एकांत में आप रख दें और एकांत में रख कर उनको भोजन आदि देते रहें, युक्ति से उनके साथ आप बात न करें, तो क्या उनको बोलना आएगा। सृष्टि के आरम्भ में यदि कोई भी भाषा नहीं थी आप के विचार से तो मैं पूछना चाहता हूं कि उनको भाषा आई कैसे? इसलिये आरम्भ-सृष्टि में भाषा थी और संस्कृत भाषा थी और लिपि भी थी। अगर उनको यह न पढ़ाई जाती तो जो लोग कहते हैं कि हजार दो हजार वर्ष पहले इसको बना लिया गया है व्यापार के लिये तो मैं पूछना चाहता हूं कि कैसे अनपढ़ लोग लिपि बना सकते हैं। जब आरम्भ में लोग लिखे पढ़े नहीं थे, लिपि कोई नहीं थी, भाषा कोई नहीं थी तो उन्होंने लिपि और भाषा का निर्माण कैसे किया?

इसलिये मैं मांग करूंगा कि यदि यह स्वीकार कर लिया जाये और संस्कृत को भी राष्ट्र भाषा माना जाय हिन्दी के साथ तो यह जो लोगों को बेकार का बहम है कि कैसे आएगी, यह भी निराधार साबित हो सकता है। जब सात समुद्र पार की हम ए, बी, सी पढ़ सकते हैं, गले के नीचे न उतरने वाली अरबी और फारसी पढ़ी जा सकती है तो अपने ही देश की भाषा और अपने ही देश की लिपि को सीखने में कोई समय नहीं लगेगा।

†**श्री ही ना० मुकर्जी** (कलकत्ता केन्द्रीय) : यद्यपि मैं संस्कृत को राजभाषा के रूप में प्रयोग किये जाने को व्यवहारिक नहीं समझता तथापि मेरा विचार है कि इस प्रस्ताव का सदन द्वारा समर्थन किया जाना चाहिये। आज देश में भाषा समस्या के बारे में एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, उसे देखते हुए संस्कृत सब भाषाओं का एक अच्छा विकल्प सिद्ध हो सकती है। अतः मेरा निवेदन है कि इस विधेयक को लोकमत जानने के लिये परिचालित करने के प्रस्ताव का भी समर्थन किया जाना चाहिये।

इसमें कोई सन्देह नहीं कि देश अपने सांस्कृतिक जीवन के लिये संस्कृत की गरिमा के लिये बहुत कृतज्ञ है। संस्कृत एकता स्थापित करने का भी एक साधन रही है। अतः यह बात नहीं कही जा सकती कि संस्कृत कभी भी आम जनता की भाषा नहीं रही। हमारे देश में भी राज्य का चिन्ह "सत्यमेव जयते नानतम्" तथा यहां सदन में "धर्मचक्र प्रर्वनाय"। भी संस्कृत में ही हैं।

प्रस्तावक महोदय ने केवल इतना ही कहा है कि संस्कृत को वैकल्पिक राजाभाषा के तौर पर रखने के प्रश्न पर लोकमत जाना जाय। मेरा निवेदन यह है कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करने में कोई हानि नहीं। जैसा कि कहा गया है, संस्कृत को राजदूतों को मान्यता देने, विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोहों इत्यादि प्रकार के अवसरों पर प्रयोग में लाया जाना चाहिए। यह देखा जाना चाहिये कि संविधान में संशोधन किये बिना ऐसा सम्भव हो सकता है। इस बारे में सरकार को स्पष्टीकरण

†मूल अंग्रेजी में

करना चाहिये। विधेयक को परिचालित करने का एक लाभ यह होगा कि दक्षिण वाले लोगों के विचार भी इस बारे में जाने जा सकते हैं। मेरा तो यह भी आग्रह है इसकी प्रविधिकता में न जाते हुए काल्पनिक दृष्टिकोण रखते हुए सरकार को यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिये।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : श्रीमन् जी, इस विधेयक का समय बढ़ा दिया जाये।

श्री पें० वेंकटासुब्बया (अडोनी) : मैं श्री शर्मा का समर्थन करता हूं।

†**सभापति महोदय** : मैं इस प्रश्न को मतदान के लिये प्रस्तुत करता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि विधेयक के लिये निर्धारित किये समय को बढ़ा दिया जाय।"

†**श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी** : मैं मत विभाजन के लिए अनुरोध करता हूं :

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में ८१ : विपक्ष में १९।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : सभापति जी, मैं प्रस्ताव करता हूं कि आज सदन एक घंटे के लिये ज्यादा बढ़ा दिया जाय।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : मैं इसका विरोध करता हूं।

सभापति महोदय : मैं समय बढ़ाने के बारे में आपके विचार अध्यक्ष महोदय के समक्ष रख दूंगा।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : अध्यक्ष महोदय मेरा एक निवेदन है कि मेरे विधेयक को जो कार्य सूची के अनुसार क्रम संख्या ३ पर है और जो मंत्रियों की आस्तियों को प्रकट करने के सम्बन्ध में है, पुरस्थापित करने की अनुमति दे दी जाए। शलाका के अनुसार मेरा विधेयक काफी पहले आ जाना चाहिये था परन्तु कार्य सूची में कुछ गलती होने के कारण इसे अब तक नहीं लिया गया मुझे आशा थी कि आज इसे ले लिया जायेगा। परन्तु सभा ने अब पहले विधेयक का समय एक घंटा बढ़ा देने का प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया है। यदि मेरे विधेयक को आज नहीं लिया गया तो यह बहुत पीछे रह जायेगा और नियम के अनुसार इस पर दोबारा शलाका डालनी पड़ेगी।

†**अध्यक्ष महोदय** : समय-सीमा समिति द्वारा निर्धारित की गई है और फिर सभा द्वारा अनुमोदित की गई है। हम इस के विरुद्ध नहीं जा सकते। अतः माननीय सदस्य को विधेयक को प्रस्तुत करने का समय नहीं मिल सकता।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** : जैसा कि श्री कामत ने ढाई बजे बताया था, यह एक ऐसा मामला है जिसमें बहुसंख्यक दल अपने बहुमत का दुरुपयोग करता है और चूंकि यह विधेयक मंत्रियों की आस्तियों के सम्बन्ध में है, इसलिये वे इसे प्रस्तुत नहीं करने देते।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री ही० ना० मुकर्जी]

चूंकि यह विधेयक विशेष प्रकार का है इस लिये मैं अनुभव करता हूं कि केवल प्रक्रिया सम्बन्धी कारणों के आधार पर इस विधेयक को प्रस्तुत होने से नहीं रोका जाना चाहिये । इस लिये मेरा नम्र निवेदन है कि श्री कामत को अपना प्रस्ताव पेश करने के लिये ५.०० बजे के पश्चात् कुछ मिनट दे दिये जायें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस बात से सहमत हूं कि सभा को ऐसा भाव नहीं दिखाना चाहिये कि यह विधेयक मंत्रियों की आस्तियों पर चर्चा करता है इसलिये वर्तमान विधेयक का समय बढ़ा दिया जाए। परन्तु लगभग सभी सदस्यों ने कहा है कि, वर्तमान विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है इसलिये इसका समय बढ़ा दिया जायें। इस प्रस्ताव के पीछे उन का क्या अभिप्राय है इस बात का पता मैं कैसे लगा सकता हूं ।

श्री राम सेवक यादव (बाराबंकी) : मैं भट्टाचार्य जी ने जो विधेयक प्रस्तुत किया है कि हिन्दी के साथ साथ संस्कृत को भी राष्ट्रभाषा बनाया जाए, इसका विरोध करता हूं।

जब भाषा का प्रश्न उठे तो सदन को यह देखना है कि जनतंत्र के लिए कौन सी ऐसी भाषा हो सकती है जो ज्यादा लाभदायक हो । जनतंत्र बिना जन भाषा के निष्प्राण है और समाजवाद निर्जीव । यह जो समाजवाद और जनतंत्र का संदेशा हमें गांव गांव फैलाना है, उसको हम जनता के द्वारा और जनता की भाषा में ही फैला सकते हैं न कि ऐसी एक भाषा के माध्यम से कि जिस को लोग न समझते हों। मैं और मेरा दल जब अंग्रेज़ी का विरोध करते हैं तो इसलिए नहीं कि हम अंग्रेज़ी भाषा की खिलाफत करते हैं, उसके विरोधी हैं या हमको विरोध करने की आदत पड़ गई है । उसके पीछे एक तर्क है और वह यह है कि अंग्रेज़ी इस देश की जनता की भाषा नहीं है, केवल दो प्रतिशत लोगों की भाषा है । ज्ञान और जानकारी जनभाषा के ज़रिये ही फैलाई जा सकती है, अंग्रेजी के माध्यम से या किसी ऐसी भाषा के माध्यम से नहीं जोकि थोड़े से लोगों की भाषा हो । इसी चीज़ को दृष्टि में रखते हुए मैं, इस अंग्रेज़ी का भी विरोधी हूं और संस्कृत भाषा का भी ।

भाषा विचार अभिव्यक्ति का माध्यम हुआ करती है । अगर हम अपने विचारों को उसके द्वारा जनता तक नहीं पहुंचा सके, तो फिर उसका उद्देश्य ही मर जाता है । संस्कृत को जब हम इस कसौटी पर उतारते हैं तो देखते हैं कि इसका भी वही दर्जा है जो कि अंग्रेज़ी का है । शायद हम यह तो कह सकते हैं कि अंग्रेज़ी जानने वाले अधिक हैं और संस्कृत जानने वाले उससे भी कम । संस्कृत को हिन्दी के साथ साथ राज भाषा और राष्ट्र भाषा बनाने का जो प्रयास किया जा रहा है, यह उसी तरह का प्रयास है जैसे लोगों अंग्रेज़ी को राष्ट्र भाषा बनाये रखना चाहते हैं । जो लोग यह चाहते हैं कि अंग्रेज़ी राष्ट्र भाषा बनी रहे, उनका मंशा उसके पीछे यह है कि जनता अपने अधिकारों को प्राप्त न कर सके और अधिकारों और कर्त्तव्यों से वंचित रहे, उन से दूर रहे । यही उद्देश्य इस विधेयक के ज़रिये भी झलकता दिखाई देता है ।

यह हमारे देश का दुर्भाग्य रहा है कि शुरू से ही भाषा को ले कर कुछ इस तरह के प्रयास बराबर चलते रहे हैं कि जनता को अधिकारों से अलग रखो । एक समय था जब इस देश की जन भाषा पाली और प्राकृत थी । अगर स्वामी जी यहां होते तो मैं उनको बताता कि संस्कृत कभी जन भाषा नहीं रही है । जब स्वामी जी जन भाषा की बात करते हैं तो वे भूल जाते हैं कि अब इस देश में पाली और प्राकृत जनभाषायें थीं, तब राजकाज संस्कृत भाषा में

†मूल अंग्रेज़ी में

चला करता था ताकि मुट्ठी भर लोग जो संस्कृत के विद्वान हैं, वे ही राजनीति पर, समाज पर व्यापार पर छाये रहें और साधारण जनता को अधिकारों से वंचित रखा जाए ।

फिर दुर्भाग्य का दूसरा क्रम आता है जब मुसलमानों की हकमत देश पर आती है जब हिन्दी, हिन्दुस्तानी, उर्दू जो कुछ भी कह लें, लोग बोलते थे लेकिन राजकाज अरबी और फारसी में चलता था ताकि कुछ खानदानी लोग, कुछ चुने हुए लोग सरकारी नौकरियों पर छाये रहें और राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में बनाये रखें और बाकी जनता यह समझती रहे कि वह अरबी फारसी भाषायें जानती नहीं हैं, इसलिए वह राजकाज चलाने की अहल नहीं है, लायक नहीं है । तब भी इन लोगों का मंशा यह रहा कि जनता के मन मर जायें और वह कभी उस ओर देखने का प्रयास न करे । जनता

इसके बाद जब अंग्रेज़ आये तो उन्होंने अंग्रेज़ी जनता पर लाद दी और बाध्य करके चालीस पच्चास लाख लोगों को अंग्रेज़ी पढ़ा दी । ये तो बड़े लोग बन गये, प्रमुख लोग बन गये और बाकी जनता को अधिकारों से उन्होंने वंचित रखा, ज्ञान से रहित रखा । गांधी जी के पुण्य प्रताप से जब हम आजाद हुए तो आशा बंधी थी कि राष्ट्र भाषा हिन्दी में राजकाज चलेगा और जनतत्र का संदेशा, ज्ञान की झलक गांव गांव और घर घर पहुंच जायगी । उस जनता तक पहुंच जायेगी जो पढ़ी भी नहीं है और जिस को पढ़ाने का बराबर प्रयास चल रहा है अंग्रेज़ी कायम रखने के बराबर प्रयास चल रहे हैं । हमारे भट्टाचार्य जी ने इस को ला कर अपना दूसरा कौशल दिखाया है, अंग्रेज़ी का भेष बदल कर कि राष्ट्र भाषा संस्कृत बना दी जाएं हिन्दी के साथ साथ यानी जो उद्देश्य वह अंग्रेज़ी द्वारा पूरा करने के इच्छुक थे, उसी को वह संस्कृत के द्वारा पूरा करने के इच्छुक हैं । अंग्रेज़ी के पक्ष में वह उतनी तकड़ी दलीलें नहीं दे सकते थे जितनी तकड़ी संस्कृत के पक्ष में दलीलें या तर्क दिये जा सकते हैं और यह कहा जा सकता है कि यह इसी देश की भाषा है । लेकिन उद्देश्य दोनों का समान रूप से एक ही है और एक ही उद्देश्य को ये दोनों पूरी करेंगी यानी अंग्रेज़ी रहती है तो हमारे भट्टाचार्य जी जैसे लोगों का बर्चस्व कायम रहेगा और अगर संस्कृत आ जाती है तो भी उन जैसे लोगों का वर्चस्व बना रहेगा । साधारण जनता के हाथ में कोई अधिकार आने वाले नहीं हैं ।

इस तरह का जो प्रयास किया जा रहा है, इसको मैं जनतंत्र के विपरीत मानता हूं, यह जनतत्र को मारने वाला प्रयास है, इससे जनतंत्र सफल नहीं होगा, जनतंत्र बढ़ेगा नहीं । दक्षिण और उत्तर की बात भी की जाती है । दक्षिण में जानबूझ कर हिन्दी या हिन्दुस्तानी के खिलाफ शोर मचवाया गया है । अगर यह सरकार, जो कि कांग्रेस के हाथ में है, कांग्रेस दल के हाथ में है, चाहती तो इस तरह का विवाद न उठता जैसे संविधान को जलाने की बात है । द्रविड़ मुनेत्र कड़घम को कितनी मुहब्बत संविधान से हो गई है कि वह इसकी प्रतियां दूकानों से खरीद तो रहा है जलाने के लिए और देखना है कि कितनी खरीद कर वह जलाता है । अगर कांग्रेस सरकार केन्द्र में सही दिशा में कदम उठाती और राष्ट्र भाषा बोली जाने वाली भाषा को बनाती, जन भाषाओं को प्रान्तीय भाषायें बना देती, तमिल को मद्रास में राजकाज की भाषा बना देती तो अंग्रेज़ी के समर्थन में बोलने वालों का तथा संस्कृत भाषा के समर्थन में बोलने वालों का मुंह बन्द होता । जैसी वकालत माननीय सदस्य अंग्रेज़ी या संस्कृत के लिए करते हैं, वैसी वकालत यदि वे तमिल, तेलेगू, मराठी, गुजराती बंगला इत्यादि के लिए करते तो बहुत खशी होती । इनमें से कोई

[श्री राम सेवक यादव]

राष्ट्र भाषा बने, यह भी अगर वे कहते तो भी यह खुशी की बात होती। भट्टाचार्य जी बंगला को भी सहभाषा बनाने की बात कहते तो भी प्रसन्नता की यह बात होती . . .

श्री च० का० भट्टाचार्य : मैंने पहले तो बंगला वाला मामला शुरू नहीं किया . . .

श्री राम सेवक यादव : आप समझ नहीं रहे हैं जो मैं कह रहा हूं । मुझे खशी होती बंगला में कहते अगर आप । अगर आप बगला के बारे में कहते तो भी बंगाल में रहने वाले गरीब लोगों के हाथ में, गांव में रहने वालों लोगों के हाथ में सत्ता जाती । इसलिए वह तो बड़ी होशियारी से और बड़ी कोशिश से चल रहे हैं जिसे जिनता के अधिकार मजबूत न हों, उसके हाथ मजबूत न हों ।

समाजवाद की बहुत बात की जाती है, जनतंत्र की बहुत बात की जाती है । समता में विश्वास रखने की बहुत बात की जाती है। यदि यह सच्चे दिल से की जाती है तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिये, ऐसा प्रयास नहीं किया जाना चाहिये जिससे इस देश की जनता पर जो हावी रहे हैं, जो मुट्ठी भर लोग समाज में आगे रहे हैं, वही हावी रहें, वही आगे रहें ।

इन शब्दों के साथ मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री द्वा० ना० तिवारी (गोपालगंज) : इसमें कोई शक नहीं जैसे श्री हिरेन मुकर्जी ने कहा कि संस्कृत में अच्छा भण्डार है और संस्कृत से हमारी सारी भारतीय भाषाओं की उत्पत्ति हुई है और कभी कभी सेरीमोनियल ओकेशंज पर उसका व्यवहार किया जाए तो कोई बुरा नहीं है । उन्होंने यह भी बताया कि आपके सिर के ऊपर भी संस्कृत में एक वाक्य लिखा हुआ है । यह सब सही है । मैं इसको मानता हूं । हम भी संस्कृत जानते हैं थोड़ी बहुत बोल भी सकते हैं । लेकिन प्रेक्टिस न होने की वजह से अधिक नहीं बोल सकते हैं । लेकिन मैं समझता हूं कि हिन्दुस्तान में सस्कृत कभी भी राष्ट्र भाषा या राज भाषा नहीं रही है और न होने की सम्भावना है . . .

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : रही ज़रूर थी ।

श्री द्वा० ना० तिवारी : रही नहीं, पाली और प्राकृत भाषायें रही है । मैं यह भी नहीं मानता हूं जैसे स्वामी जी ने कहा कि कोई भी भाषा मनुष्य की सष्टि के पहले ही से उत्पन्न हुई है । मनष्य जब पैदा होता है उसके बाद ही कोई भाषा बनती है, कितनी पवित्र भाषा ही क्यों न हो ।

आज बड़े महत्व की बात यह है कि हमारे भट्टाचार्य जी जिस रूप में इस बिल को लाये हैं, उस रूप में इसको स्वीकार कराने के लिए लोगों की भावनाओं को कुछ कुरेदना होगा । असली बात जो है वह लोगों की नजर से छिपी रहेगी । असली मन्तव्य तो यह है कि हिन्दी की प्रगति में, जो कि राज भा ा होने जा रही है, कुछ बाधा पैदा हो और वह जल्दी से राज भाषा न हो सके ।

इसी सदन में आपने देखा होगा कि हिन्दी और अंग्रेज़ी की बहस जब भी हुई है तो किन सदस्यों ने कहा क्या । अगर हिन्दी को राज भाषा नहीं बनने देना है तो उस वक्त क्यों कोई उज्र नहीं किया गया जब इस पर बहस हो रही थी और कानून यहां पेश हुआ था । आज बहुत सोच विचार के बाद एक ऐसा रास्ता निकाला जा रहा है जिसमें कि हिन्दी राज भाषा के पद पर प्रतिष्ठित न हो सके, और लोगों की भावनाओं को कुरेद कर पुराने ज़माने की

बातों को सामने रख कर देश में एक ऐसा वातावरण तैयार किया जा रहा है जिसमें कि असली बात से लोगों की दृष्टि हट जाय। यह बिल्कुल स्पष्ट बात है कि यह विधेयक बहुत ही खतरनाक है और मैं समझता हूं कि इस बहस के बाद भी यह पास होने वाला नहीं है। इसलिये इस वाद विवाद पर जो भी व्यय होगा वह व्यर्थ जायेगा और मैं चाहता हूं कि राष्ट्र के धन को इस तरह पर जाया न किया जाय।

मैं समझता हूं कि लोग जो हिन्दी को राज भाषा नहीं बनने देना चाहते हैं वे कई तर्क रक्खेंगे। उन तर्कों में से एक यह भी है जिस की चर्चा श्री यादव कर रहे थे। जो कुछ वे कह रहे थे उसको श्री भट्टाचार्य समझे नहीं। वे तो यह कह रहे थे कि यदि श्री भट्टाचार्य यह विधेयक लाते कि हिन्दी और अंग्रेजी के साथ किसी तीसरी भाषा को भी जोड़ दिया जाय, जो कि देशी भाषाओं में से हो तो वह बात कुछ हद तक विचार करने की होती। लेकिन वे एक ऐसी भाषा को राज भाषा बनाने की बात कह रहे हैं जिस को देश के रहने वाले लोगों में से २५ प्रतिशत से भी कम जानते हैं, जिस का ज्ञान अधिकतर लोगों को नहीं है। अगर वे राज्य की सारी कार्रवाई उस भाषा में करवाने की सोच रहे हैं तो उस स्थिति में सारी बातें जनता तक कैसे पहुंचेंगी। यहां ठीक ही कहा गया कि जो आर्थिक क्रान्ति आप दश में लाना चाहते हैं उसकी तमाम बातों को आप जनता के इस भाषा के द्वारा नहीं पहुंचा सकते। मैं मानता हूं कि संस्कृत एक बहुत उत्कृष्ट भाषा है अच्छी भाषा है। उसको पढ़ना चाहिये और उसके ज्ञान में वृद्धि करनी चाहिये। यह सब है और हमारा कर्तव्य भी है कि ऐसा करें। इसमें हमें गौरव भी होगा। लेकिन गौरव को ले कर जो असली काम हमारे सामने उसको हमें नहीं भूलना है। हम को यह दृष्टिकोण सामने रखना है कि हिन्दुस्तान का लिंग भाषा, बातचीत की भाषा, सारे देश में क्या हो सकती है। यह नहीं होना चाहिये कि जो सरकारी अफसर काम करते हैं या जो सदस्य पार्लियामेंट और असेम्बलियों के हों उनकी भाषा सरकारी भाषा हो। भाषा ऐसी होनी चाहिये जिससे हर प्रान्त की जनता अपना रोजमर्रा का काम चला सके। आज के वातावरण में संस्कृत को यह पद कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। फिर हम अंग्रेजी पढ़ेंगे, अपनी भाषा तो है ही, कोई साउथ की भाषा पढ़ेंगे, इतना सारा बोझ हम नहीं उठा सकेंगे।

इसलिये मैं श्री भट्टाचार्य से अपील करूंगा कि और इस सदन से अपील करूंगा कि जिस रूप में यह विधेयक है उस में इसे पास नहीं होना चाहिये।

†**श्री हनुमन्तैया** (बंगलौर नगर) : हाल ही में डा० काटजू ने कहा कि संस्कृत को राष्ट्र भाषा बनाना भारत की एकता के लिये सहायक सिद्ध होगा। मैं इस विचार से सहमत हूं। प्रत्येक वस्तु की भांति भाषा भी समय और स्थान के साथ बदलती है। ४००—५०० वर्ष के समय में भाषा नया रूप धारण कर लेती है। हमारे अधिकांश साहित्यिक ग्रन्थ संस्कृत में हैं। वर्तमान भाषा पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। परिवर्तन के लिये समय चाहिये। ऐसा कहा जाता है कि हिन्दी की कम से कम २५ किस्में हैं। हमारे धर्म और साहित्य के सर्वोत्तम कार्य इसी भाषा में हैं। हमें इस मूल्यवान विरासत को केवल इसलिये नहीं छोड़ देना चाहिये कि क्योंकि संस्कृत वर्तमान भाषा नहीं है।

संस्कृत भाषा के उपयोग के मामले में दूसरी कमी यह है कि हजारों साल पहले इसके विद्वानों ने छोटी जातियों को इसके अध्ययन से वंचित रखा। इसलिये बहुत से लोग समानता के नियम के आधार पर इस भाषा का विरोध करते हैं। मैंने महाकाव्यों पर कन्नड़ भाषा में अनेक पुस्तकें लिखीं, परन्तु उनकी कड़ी आलोचना की गई। मैंने ऐसा सांस्कृतिक

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री हनुमन्तैया]

और साहित्यक विकास को प्रोत्साहन देने के लिये किया था। परन्तु लोग गलत समझ बैठे कि मैं पुराने विचार और जातपात की बातों को लाना चाहता हूं। इसलिये यदि हम संस्कृत भाषा को राजभाषा बनाते हैं तो हो सकता है कि इसकी वैसी ही आलोचना हो।

१९वीं शताब्दी में ग्रेट ब्रिटेन ने सर्वोच्च गौरव प्राप्त किया था। इसका कारण यह था कि प्रत्येक बड़े व्यक्ति ने जिसका साहित्य और राजनीति में जिक्र आता है लैटिन और ग्रीक भाषाओं का अध्ययन किया था। इससे उनकी नींव मजबूत हो गई। इसी प्रकार यदि हम यह चाहते हैं कि हमारे युवक देश के लिये कुछ अच्छा कार्य करना चाहें तो उनकी शिक्षा अच्छी होनी चाहिये। और ऐसा केवल संस्कृत के अध्ययन से ही हो सकता है।

संसार में कोई ऐसी भाषा नहीं है जो महाकाव्य और नाटक के क्षेत्र में संस्कृत की ऊंचाई तक पहुंच सकी हो। यूरोप के महाकाव्य हीमर का इन्याड और ओडिसी हमारे रामायण और महाभारत की तुलना में कुछ भी नहीं हैं। साहित्य और धर्म के क्षेत्र में संस्कृत ने जो ऊंचाई प्राप्त की है वह संसार में किसी भी भाषा ने अब तक नहीं की है। अतः मैं सभा से निवेदन करूंगा कि इसको सूची में शामिल कर लिया जाये। हमारे पूर्वजों का ऋण चुकाने के लिये हमें इसे राजभाषा बनाना ही चाहिये।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (विजनौर): थोड़ा समय और बढ़ा दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : अगर कोई मोशन मूव करे और हाउस एडाप्ट कर ले तो हो सकता है।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इसके लिए कम से कम एक घंटा और समय बढ़ा दिया जाए।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या सभा ऐसा चाहती है?

†**कुछ माननीय सदस्य** : जी हां, जी हां।

†**अध्यक्ष महोदय** : तो समय एक घंटा और बढ़ा दिया जायेगा।

†**डा० मा० श्री० अणे** (नागपुर): श्री च० का० भट्टाचार्य अपने प्रस्ताव द्वारा संस्कृत को हिन्दी के साथ साथ सहराजभाषा बनाना चाहते हैं। मेरे माननीय मित्र श्री हनुमन्तैया ने बहुत ही अच्छा भाषण दिया। उनके कहने का सारांश यह था कि संस्कृत को राज-भाषा के रूप में हिन्दी के समान सम्मान दिया जाये। अतः यदि इस विधेयक को पारित कर दिया जाता है तो इसका हिन्दी पर कोई उलटा प्रभाव नहीं पड़ेगा। अन्य भाषाओं की स्थिति इस विधेयक के पारित होने के पश्चात भी पूर्ववत ही रहेगी। मैं संस्कृत को सहराजभाषा बनाने के पक्ष में हूं।

अब मैं इसका कारण बताऊंगा। यदि हम हिन्दी और अन्य प्रादेशिक भाषाओं का विकास करना चाहते हैं तो यह केवल तब ही सम्भव हो सकता है जब संस्कृत को उचित स्थान दिया जाये, क्योंकि संस्कृत ही इन सब भाषाओं का स्रोत है। दूसरे यदि कोई ऐसी

---

†मूल अंग्रेजी में

भाषा है जिसका भारत की अधिकांश भाषाओं के साथ घनिश्ठ सम्पर्क रहा है तो वह केवल संस्कृत है। अतः यदि सभी प्रादेशिक भाषाओं को राजभाषा नहीं बनाया जा सकता तो केवल संस्कृत ही एक ऐसी भाषा है जो यह कार्य कर सकती है। क्योंकि संस्कृत से अनेक भाषाओं का जन्म हुआ है। भारत के लोगों के दिलों में सामान्यतः इसके लिये सम्मान है।

हमारी सभ्यता पर संस्कृत की छाप लगी हुई है, इसके अध्ययन के लिये उचित व्यवस्था नहीं है। यदि हम उसे राजभाषा के रूप में संविधान में शामिल कर लेते हैं तो एक स्थिति आयेगी जब इसका विकास हो सकेगा।

†**श्री हरि विष्णु कामत** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक पर वाद विवाद स्थगित कर दिया जाये। चूंकि सभा ने इस विधेयक के लिये एक घंटे का समय और बढ़ा दिया है इसलिये इस पर आज चर्चा समाप्त नहीं हो सकेगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि मेरे विधेयक को न रोका जाये और प्रक्रिया के नियमों के नियम १०९ के अन्तर्गत इस विधेयक पर चर्चा स्थगित कर दी जाये। अत. मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"इस विधेयक पर अग्रेतर चर्चा समाप्त कर ी जाये"

†**श्री राने** (बुलडाना) : श्रीमन् ऐसा प्रतीत होता है कि श्री कामत और माननीय विरोधी सदस्यों का विचार है कि समय बढ़ाने के प्रस्ताव में सरकार का हाथ है। परन्तु मैं विश्वास दिलाता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने दो दिन हुए संसद कार्य मंत्री के सचिव को बताया था कि श्री कामत का विधेयक आयेगा और इसके बारे में उन्हें गृह-कार्य मंत्रालय के सचिव को हिदायतें दे देनी चाहिये ताकि वे तैयार रहें।

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हजरनवीस)** : यदि श्री कामत का विधेयक आ जाता है तो हम उस पर अवश्य चर्चा करेंगे। हम सभा की सभी बातों का पालन करने के लिये तैयार हैं।

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे इसे सभा के मतदान के लिये रखना पड़ेगा।

श्री नवल प्रभाकर (दिल्ली—करौल बाग) : श्री भट्टाचार्य जी के बाद मेरा विधेयक आने वाला है। मैं अनुभव करता हूं कि जो मेरा विधेयक है वह मानवता और समाज के लिए एक कल्याणकारी विधेयक है और मैं चाहता हूं कि उस पर अच्छी तरह से विचार हो। समझ में नहीं आता है कि श्री कामत इतने क्यों उतावले हो रहे हैं। उनके पहले मेरा बिल है, उसके ऊपर भी तो बहस होगी।

श्री हरि विष्णु कामत : होने दीजिये।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं इसे सभा के सामने रखता हूं। प्रश्न यह है कि :

"विधेयक पर अग्रेतर चर्चा स्थगित कर दी जाये"

लोक सभा में मत विभाजन हुआ।

पक्ष में १० : विपक्ष में ३९

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रंगा (चित्तूर)** : मैं इस पक्ष में हूं कि संस्कृत को भी भाषाओं वाली सूची में शामिल कर लिया जाये और यदि हम देश में कुछ सम्पर्क भाषाएं रखना चाहते हैं तो उनमें संस्कृत भाषा भी होनी चाहिए। मुझे खेद है कि मैं हिन्दी और संस्कृत न पढ़ सका। यदि हमारे देश में भी आक्सफोर्ड जैसी व्यवस्था होती तो मैं अवश्य ही ये दोनों भाषाएं सीख जाता। आक्सफोर्ड में हमें ज़बरदस्ती फ्रैन्च और जरमन भाषा पढ़नी पड़ी। यह हमारे लिये बड़ा कठिन कार्य था परन्तु फिर भी हमें सीखनी पड़ी। यदि विदेशों में ऐसी व्यवस्था हो सकती है तो हमारे देश में ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं हो सकती? संस्कृत के साथ साथ तमिल भाषा का भी विकास होना चाहिये क्योंकि यह भी एक प्राचीन भाषा है। तामिल एक स्वतंत्र भाषा है। कन्नड़, तैलगू और मलयालम भाषाओं ने संस्कृत व्याकरण को अपनाया है। इन भाषाओं का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के लिये संस्कृत के बहुत से शब्दों को जानना आवश्यक है। मेरे बहुत से उत्तरी भारत के मित्रों को यह जान कर आश्चर्य होगा कि हमारा संस्कृत शब्दों का प्रयोग और उच्चारण उनसे अच्छा है। यदि हम अपनी भाषाओं का विकास करना चाहते हैं तो हमें संस्कृत के विकास और संरक्षण की ओर ध्यान देना चाहिये।

इसके लिये हमें संस्कृत के अध्ययन को सरल बनाना पड़ेगा। यद्यपि दक्षिण भारत में अनेक संस्कृत के विश्वविद्यालय हैं फिर भी लोग अधिक संख्या में संस्कृत का अध्ययन नहीं कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि वे लोग संस्कृत का भविष्य अच्छा नहीं देखते। यदि सरकार हमारी बात मान लेती है तो बड़ी संख्या में लोगों को संस्कृत को अध्ययन करने का अवसर मिलेगा। और इस प्रकार हम अपनी सभ्यता और संस्कृति की रक्षा कर सकेंगे। अतः मैं इस प्रस्ताव के पक्ष में हूं।

†**श्री अ० त्रि० शर्मा** (छतरपुर): 'संस्कृत' का अर्थ है पवित्र। संस्कृत जैसी पवित्र भाषा और कोई नहीं है। वैदिक काल से हम इस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं और साधारण लोग इसका प्रतिदिन प्रयोग करते हैं। भारत में आज भी ऐसे परिवार हैं जहां इसी भाषा का प्रयोग होता है। हमारी सरकार भी संस्कृत का प्रयोग कर रही है हिन्दी में जो पारिभाषिक शब्दों का निर्माण किया गया है वे भी ९९ प्रतिशत संस्कृत के हैं। अतः यह कहना गलत है कि यह मृतक भाषा है। यह तो आदि काल से आज तक चली आ रही है। यह देव भाषा है। ४००० ई० से पूर्व से यह चल रही है। ६० वैयाकरणों ने इस भाषा को बनाया और संवारा है। पाणिनी ने इसके अन्दर से सभी भाषाई अनियमितताओं को दूर किया।

संस्कृत के साथ साथ प्राकृत और पाली भी प्रचलित हुई। दोनों भाषाओं में ग्रंथ लिखे गये। अशोक के शिलालेख पाली में थे। ज्योतिष शास्त्र पर पुस्तकें लिखी गयीं। इस भाषा की चार अवस्थायें रही हैं। प्रथम यह वैदिक संस्कृत थी, जो वैदिक काल में प्रचलित थी, फिर उसके बाद की दूसरी संस्कृत है। तीसरी अवस्था प्राकृत की है और चौथी अवस्था में आधुनिक भाषाओं का विकास हुआ है। आज की भाषाओं का आरम्भ ईसा से ८ शताब्दी पहिले हुआ था। आज की सभी प्रचलित भाषाएं प्राकृत से निकली हैं।

यह कहना भी गलत बात है कि यह भाषा कठिन भाषा है, अतः इस कारण से इसे राजभाषा नहीं बनाया जा सकता। पांचवीं शताब्दी ईसा से पूर्व से संस्कृत राजभाषा

---

†मूल अंग्रेजी में

रही है और अब भी इसे राजभाषा का पद प्राप्त हो सकता है। इसे बड़ी सरलता से सीखा जा सकता है। मेरे विचार में यह सबसे उत्तम भाषा है। यह केवल भारत में ही प्रचलित नहीं, अन्य देशों में भी प्रचलित है। मेरे विचार में इस बात को सर्वत्र पसन्द किया जायेगा यदि इसे राजभाषा बना दिया गया। इन शब्दों से मैं इस प्रस्ताव का हार्दिक समर्थन करता हूं।

†**श्री मुत्तु गौंडर** (तिरूपत्तूर) : मैं इस प्रस्ताव के विरुद्ध बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। विरोध में बोलने वालों में मैं अकेला हूं। और हमारा ही दल इसका विरोध कर रहा है। आज इस सदन में तथा इस सदन से बाहर यह ख्याल हो रहा है कि द्रावड़ मुन्नेतर कषगम हिन्दी के विरुद्ध है। हम हिन्दी अथवा किसी अन्य भाषा के विरुद्ध नहीं हैं। हम संस्कृत के भी विरोधी नहीं। इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि संस्कृत एक समृद्ध भाषा है। इसका साहित्य हजारों साल पुराना है। तामिल और संस्कृत में पुराना संघर्ष चलता आया है। और यदि जरूरत हुई तो यह संघर्ष अब भी चलेगा।

हमें एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि संस्कृत का एक इतिहास है, उसकी परम्परा है और उसका एक धर्म है। यह समूची वर्ण व्यवस्था का मूल कारण है। इस भाषा ने करोड़ों लोगों को अछूत बनाया है। यह आर्यों की धर्म भाषा थी। हमारी भाषा तमिल संस्कृत से भी बहुत पहिले थी। हमारी तमिल परम्परा के अन्तर्गत केवल एक ही देव हैं, और वह हैं शिवा, जो कि सब पर कृपा करता है। इसमें कोई जाति भेद नहीं है।

संस्कृत के आते ही वर्णाश्रम आ गया। अतः हमारे पूर्वजों को इसके विरुद्ध करना पड़ा। यह धर्म की भाषा बन गयी। संस्कृत ने तमिल साहित्य को काफी हानि पहुंचाई है। आज जब ४० वर्षों के परिश्रम के बाद सभी जातियों के हिन्दू एक-साथ आ रहे हैं तो पुनः इस भाषा को जीवित किया जा रहा है। यदि अब संस्कृत चालू हुई तो पुनः वे पुरानी बीमारियां उभर आयेंगी। मैं किसी की धर्म भावना पर चोट नहीं करना चाहता, परन्तु यह सच है कि यह जाति पांति के भेद के कारण ही हम अपने आप को हिन्दू कहने में गौरव अनुभव नहीं करते। मेरे विचार में संस्कृत दूर ही रहे तो हम अपने आपको सुरक्षित समझते हैं। अतः मेरा कहना है कि संस्कृत जनता द्वारा बोली जाने वाली भाषा नहीं है, इसे राजभाषा नहीं बनाया जाना चाहिए। मुझे संस्कृत से प्रेम है और मैं इसका आदर भी करता हूं, परन्तु इसके राजभाषा बनाये जाने का विरोधी हूं। अतः मैं इस प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री रघुनाथ सिंह (वाराणसी) : अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र ने जो शायद तमिल जाति के हैं, बहुत सुन्दर शब्दों में इस बिल का विरोध किया है। लेकिन शायद उनको अपने इतिहास का पता नहीं है। ज्ञान नहीं है। एक समय था कि श्री विजय साम्राज्य का मजापीठ साम्राज्य तमिल लोगों ने कम्बोडिया, थाईलैंड, वीयतनाम, मलाया में कायम किया था। बारहवीं शताब्दी में इन्हीं तमिल लोगों ने इन देशों की राज भाषा संस्कृत रखी थी . . .

†**श्री वासुदेवन नायर** : अंग्रेजी में बोलिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रघुनाथ सिंह : इन्हीं तमिल लोगों ने बारहवीं शताब्दी तक साउथ ईस्ट एशिया में संस्कृत को राज भाषा बनाया। दूर की बात आप छोड़ दीजिये। आंध्रा देश में आइये। आंध्र देश वालों ने मून साम्राज्य बर्मा में कायम किया था जो कि पेगू से ले कर मांडले तक था। उसकी भी राजभाषा संस्कृत थी।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

मैं जानना चाहता हूं कि जिन विद्वानों का यह मत है कि संस्कृत कभी पठित भाषा नहीं थी वे किस तरह से इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं, बोलचाल की भाषा नहीं थी, वे किस तरह से इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं। हिन्दुस्तान के बाहर संस्कृत राज भाषा थी और बारहवीं शताब्दी तक राज भाषा रही। इतिहास इसका साक्षी है।

मलेशिया को आप लीजिये जहां आंध्र और तमिल दोनों जातियों के लोग रहते थे। मलाया का अन्तिम राजा परमेश्वर था। उसको हुए आज से १३० वर्ष से अधिक नहीं हुए। परमेश्वर ने जब इस्लाम धर्म को ग्रहण किया तो उन्होंने अरबी स्क्रिप्ट का ग्रहण किया लेकिन दो शताब्दी के पूर्व मलाया की राज भाषा क्या थी, क्या वह संस्कृत नहीं थी? वह संस्कृत थी।

आप काश्मीर को लीजिये। वहां पर ९० सैंकड़ा लोग मुसलमान हैं। हमारे यहां जो डीड्ज़ आफ राइट्स होते हैं, वे अंग्रेजी भाषा में छोटी छोटी पुस्तकें होती हैं। लेकिन काश्मीर की भाषा मुगल समय तक लोक प्रकाश की भाषा थी। लोक प्रकाश क्या था? यह वह ग्रन्थ था जो कि करीब करीब पांचवीं बी० सी० से लेकर सोलहवीं शताब्दी तक चला, इसकी भाषा संस्कृत थी। यही भाषा वहां चलती थी। जेनुल आवदीन के समय में कुछ थोड़े से शब्द लोक प्रकाश में अरबी और फारसी के जरूर आये जबकि वहां इस्लामी राज्य कायम हुआ। लेकिन लोक प्रकाश की भाषा संस्कृत रही। सोलहवीं शताब्दी तक लोक प्रकाश की भाषा जो थी उसमें ९० प्रतिशत संस्कृत के शब्द थे।

पूर्व की बात आप छोड़ दें। पश्चिम की तरफ आप जायें। पश्चिम में केवल दो भाषायें थीं, वैदिक भाषा और सेमेटिक जिसको शामी भाषा कहते हैं। शामी भाषा की दो ब्रांचिज़ हुईं, अरबी और ईरानी। वैदिक भाषा की भी दो ब्रांचिज़ हुईं, गाथा की भाषा जोकि पारसियों की भाषा थी और दूसरी वैदिक भाषा। जो आर्य लोग हिन्दुस्तान में रहते थे उनकी भाषा वैदिक भाषा हुई और जो आर्य ईरान में और मध्य एशिया के पास रहते थे उनकी भाषा गाथा हुई। जब तक गाथा के व्याकरण का अध्ययन आप ठीक से नहीं कर सकेंगे, आप वेद को नहीं समझ सकते हैं। उस समय भी आप हिन्दुस्तान के बाहर देखिए। जब वैदिक भाषा और वैदिक भाषा के बाद जब बौद्ध धर्म का हिन्दुस्तान में विकास हुआ, पाली भाषा का प्रचार हुआ। कालान्तर में पैशांची भाषा हुई या असुर भाषा हुई, तो ये सब भाषायें भी संस्कृत की अपभ्रंश भाषाएं हुईं। पैशाची भाषा कहां बोली जाती थी। शिवी राष्ट्र में बोली जाती थी, गांधार राष्ट्र में जो कि अफगानिस्तान का पूर्वी हिस्सा था, वहां बोली जाती

थी। कथा सरित सागर क्या है? किस भाषा में लिखी हुई है? पैशाची भाषा में लिखी हुई है।

हमारे दोस्त ने पाली का जिक्र किया। बौद्ध धर्म ने पाली भाषा में ग्रन्थ लिखे। लेकिन आप देखें कि बौद्ध धर्म तब तक हिन्दुस्तान में व्याप्त नहीं हो सका जब तक कि बौद्ध ग्रन्थों का अनुवाद संस्कृत में नहीं हुआ। अश्व घोष ने जब बौद्ध चरित्र का अनुवाद संस्कृत में किया, पाली ग्रन्थों का अनुवाद संस्कृत में किया तो बौद्ध धर्म सारे हिन्दुस्तान में फैला और हिन्दुस्तान के बाहर साउथ ईस्ट एशिया में फैला। उससे पहले यह बिहार और उत्तर प्रदेश तक ही सीमित था। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि संस्कृत वह भाषा थी जो सारे हिन्दुस्तान में ही नहीं कैस्पियन सागर से लेकर बोर्नियो तक अर्थात् वरुण द्वीप जिसे आप कहते हैं, वहां तक की राज भाषा संस्कृत थी, पुरानी वैदिक भाषा थी। जो लोग आज कहते हैं कि तमिल संस्कृत से अलग है वे अपने इतिहास को भूलते हैं, अपने गौरव को भूलते हैं। वे भूलते हैं कि जिन तमिल लोगों ने बोर्नियो में, सुमात्रा में, जावा में अपनी संस्कृति फैलाई थी वे वहां संस्कृत को ले गये थे। उत्तरी हिन्दुस्तान के लोग बोर्नियो में संस्कृत ले कर नहीं गये। आज आप किस मुंह से कहते हैं कि तमिल से संस्कृत का सम्बन्ध नहीं है।

इसलिये मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और कहना चाहता हूं, अगर हो सके तो संस्कृत को राज भाषा अवश्य बनाना चाहिये।

†**श्री कपूर सिंह** : मैं एक बात को शुद्ध करना चाहता हूं। अश्व घोष ने पाली से अनुवाद नहीं किया किया था उसने मूल रूप से संस्कृत में लिखा।

श्री रघुनाथ सिंह : मिलिंद प्रश्न का ट्रांस्लेशन पाली से संस्कृत में हुआ था।

श्री प्रकाशवीर शास्त्री (बिजनौर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्री भट्टाचार्य जी ने संस्कृत के सम्बन्ध में जो विधेयक उपस्थित किया है मैं उस भावना का हृदय से अभिनन्दन करता हूं।

इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में दो तीन शंकायें इस सदन में उठ खड़ी हुई हैं। कुछ मित्रों ने यह कहा कि संस्कृत जब राजभाषा रही तब उसने देश में जातियों को एक दूसरे से घृणा करना सिखाया। कुछ लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि संस्कृत के कारण ही हमारे देश में वर्णाश्रम धर्म और उससे आपस में एक दूसरे को छोटा बड़ा समझने की प्रवृत्ति का उदय हुआ। हमारे एक दो मित्रों का कहना यह भी था कि संस्कृत कभी जन भाषा नहीं रही, संस्कृत सीमित क्षेत्र के लोगों की भाषा रही है। मैं पहली बात से ही अपना कथन आरम्भ करता हूं। जिन लोगों का यह कहना है कि संस्कृत के कारण छोटे बड़े का और जाति भेद का उदय हुआ उन्हें सका सबसे अच्छा परिचय वेद से मिल सकता है। वेद भारत वर्ष का ही सब से प्राचीन ग्रंथ नहीं है बल्कि दुनिया के सब पुस्तकालयों में सबसे प्राचीन ग्रंथ यदि कोई माना जता है, जिसे पश्चिमी और पूर्वी दोनों विद्वानों ने एक मत से स्वीकार किया है वह ऋगवेद है। ऋगवेद में एक प्रकार का मंत्र आया है जिसके शब्द मैं आप को पढ़ कर सुनाता हूं :

"यथेमां वार्च कल्याणी मा वदानि जनेभ्या:
ब्रह्मराजन्याभ्यां शुद्राय चर्याय स्वाय चारणाय।"

इसका अर्थ यह है कि यह पवित्र वेद की वाणी या यह ज्ञान का भंडार किसी एक जाति विशेष की सम्पत्ति नहीं है, यह जिस प्रकार से ब्राह्मणों की सम्पत्ति है उसी प्रकार से शद्रों की भी सम्पत्ति है। यह आर्यों के लिये भी उसी प्रकार से ग्राह्य है जिस प्रकार से अनार्यों के लिये है। आर्य तथा अनार्य का

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्रकाशवीर शास्त्री]

यदि हमारे देश में कोई भेद कभी हुआ तो सामाजिक व्यवहार के कारण ही । जिन्होंने समाज की प्रथाओं का, शासन के नियमों का यथावत् पालन किया, समाज में उनको सभ्य समझा गया, उन्हें आर्य कहा गया । जिन्होंने सामाजिक प्रथाओं का उल्लंघन किया और उन प्रथाओं का यथावत् पालन नहीं किया, उन्हें अनार्य कहा गया । यह कोई जाति विशेष नहीं थी बल्कि समाज की व्यवस्थायें थीं जिनके आधार पर स प्रकार की संज्ञायें दी गईं । संस्कृत ने कभी इस देश में जाति भेद उत्पन्न नहीं किया । संस्कृत का ज्ञान तो सबके लिये समानरूप से रहा ।

दूसरी बात यह कि संस्कृत कभी जन भाषा नहीं रही । इसके लिये भी मैं दो उदाहरण देना चाहता हूं । संस्कृत जन भाषा रही इसका एक सबसे बड़ा प्रमाण तो भोज प्रबन्ध में आया है एक स्थान पर जब एक व्यक्ति अपने सिर पर लकड़ी का बोझ ले कर नदी पार कर रहा था तो सामने से राजा भोज आए । राजा भोज ने ब्राह्मण को पसीने से नहाया हुआ देख कर पूछा :

"भा ं कि बाधति विप्रं"

हे ब्राह्मण; तू जो अपने सिर पर समिधाओं की गठरी ले कर जा रहा है तो क्या तुझे बोझ अधिक लग रहा है कि पसीने से नहाया आ है । उस ब्राह्मण ने उत्तर दिया :

"भारं न बाधते राजन, यथा बाधति बाधते ।"

मेरे सिर पर लकड़ी के काष्ठ का बोझ उतना दु:ख नहीं दे रहा है, बोझ तो बाधति शब्द का ज्यादा है जिसका व्याकरण से तुमने अशुद्ध प्रयोग किया है । उस बाधति का जितना बोझ मुझे लग रहा है उतना दु:ख मुझे लकड़ी की गठरी से नहीं है । हमारे देश में लकड़ी इकट्ठा करने वाला भी संस्कृत का कितना बड़ा विद्वान होता था उस का ज्ञान उस समय के प्राचीन ग्रंथों के देखने से प्रतीत होता है ।

इस का एक और छोटा सा दृष्टांत यहां देना चाहता हूं । शंकराचार्य के समय में एक बहुत बड़े विद्वान हुए जिनका नाम मंडन मिश्र था । कोई व्यक्ति उनसे मिलना चाहता था । जब उसने मंडन मिश्र के गांव में जाकर पूछा उनका निवास स्थान कहां है, तो एक व्यक्ति ने उत्तर दिया कि अगर मंडन मिश्र के निवास स्थान को जानना हो तो उसका चिन्ह है कि जिस व्यक्ति के दरवाजे पर पिंजरों में रखे हुए तोता और मैना वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हों या संस्कृत के श्लोक बोल रहे हों, समझ लेना कि वही मंडन मिश्र का घर है । उसने अपनी भाषा में कहा :

"स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं की रागना यत्र गिरो गिरन्ति ।
द्वारस्थ नीडान्तः सन्निरुद्धा अबोहि तन्मडनमिश्र वासः ।।"

जिस व्यक्ति के दरवाजे पर पिंरे में रखे हुए तोता और मैना ेद स्वतः प्रमाण हैं या परतः माण हैं, इस विषय पर चर्चा कर रहे हों, समझ लेना कि वह मंडन मिश्र का निवास स्थान है । न प्रमाणों के होते हुए यदि कोई व्यक्ति यह कहे कि संस्कृत कभी जन भाषा नहीं रही तो वह भारतीय इतिहास से अपने परिचित न होने का प्रमाण देता है । संस्कृत इस देश की जन भाषा रही है । संस्कृत ने इस देश में कभी कोई भेद रेखा उत्पन्न नहीं की । संस्कृत का ज्ञान सबके लिये समान रूप से रहा है, न केवल संस्कृत का साधारण ज्ञान बल्कि वे ों का जो ज्ञान है वह भी समानरूप से सबके लिये ग्राह्य रहा है ।

संस्कृत का साहित्य का भंडार भी इतना पूर्ण है जिसका ि काना नहीं । संस्कृत में लीलावती का गणितशास्त्र, संस्कृत में अपने पाणि ी का व्याकरणशास्त्र, संस्कृत में कौटिल्य का अर्थशास्त्र है जो कि राजनीति का एक अद्भुत ग्रंथ माना जाता है, जिस का हिटलर ने अपने देश की भाषा में सब से पहले अनुवाद कराया था, संस्कृत में पंचतन्त्र ग्रंथ है जिस में किस्से कहानियों के रूप में राजनीति के

सिद्धांतों को सरल किया गया है। संस्कृत में ही भारद्वाज का विमानशास्त्र है। या ी संसार का कोई ज्ञान, कोई विद्या इस प्रकार की नहीं है जो संस्कृत में न हो। इस दृष्टि से संस्कृत पूर्ण भाषा है।

जो लोग कहते हैं कि हमारे देश में पाली चली, प्राकृत चली। यह तो उसी तरह से है जैसे आज हिन्दी के सम्बन्ध में है। जिस भाषा का प्रयोग मैं कर रहा हूं। जिस प्रान्त का मैं निवासी हूं उसी प्रांत में दूरी से, स्थान भेद से हिन्ी भाषा में भी अन्तर हो जाता है, जिन्हें हम बोलियाँ कह कर पुकारते हैं। इसी तरह कभी संस्कृत में जिसे हम आर्यपुत्र कहते हैं प्राकृत में उसको अज्जपुत्र कह दिया गया। यानी शब्द तो मूल वही है परन्तु स्थान भेद से या फिर मति भेद से भी, जिसका परिचय अभी थोड़ी देर पहले यहां भी मिला, बहुत से लोगों ने शब्दों को बिगाड़ना आरम्भ कर दिया कि हमतो संस्कृत शब्दों का उच्चारण नहीं करेंगे, हम जान बूझ कर उपभ्रंश भाषा का उपयोग करेंगे। लेकिन उनके कारण संस्कृत भाषा को किस प्रकार से अपराधी या दोषी ठहराया जा सकता है।

अन्त में मैं अपने वक्तव्य को समाप्ति की ओर ले जाते ए केवल मात्र यह निवेदन करना चाहता कि इस देश का यह सौभाग्य रहा कि अब तक स देश में जो भी गवर्नर जनरल या राष्ट्रपति ए, चाहे वे चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य हों चाहे डा० राजेन्द्र प्रसाद हों, चाहे हमारे वर्तमान राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन हों, सभी संस्कृत के विद्वान्, संस्कृत के प्रेमी और संस्कृत के अच्छे ज्ञाता रहे हैं। हमारा यह भी सौभाग्य है कि र्मचक्र प्रवर्तनाय जिस कुर्सी पर लिखा हुआ है, अब तक उस पर जो लोग भी आ कर बैठे वे सब संस्कृत के अच्छे विद्वान् थे, चाहे वे गणेश वासुदेव मावलंकर हो चाहे अनन्तशयनम आयंगार हों, चाहे हमारे वर्तमान अध्यक्ष श्री हुक्मसिंह हों। संस्कृत के विद्वान् सभी रहे हैं। इस देश में अब तक जितने गृह मंत्री रहे, नन्दा जी के बारे में मेरी पूरी जानकारी नहीं है, लेकिन सरदार वल्लभभाई पटेल, गोविन्द वल्लभ पन्त, डा० कैलाशनाथ काटजू, श्री लाल बहादुर शास्त्री, यह सब संस्कृत के प्रेमी रहे और संस्कृत के ज्ञाता रहे। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी संस्कृत को जितना लोकप्रिय बनना चाहिये था या संस्कृत का जिस प्रकार से सब प्रांतो में एक आवश्यक भाषा के रूप में अध्ययन होना चाहिये था, उतना नहीं हुआ और संस्कृत के सम्बन्ध में हम उचित निर्णय नहीं ले सके। मुझे विश्वास है कि श्री भट्टाचार्य के इस विधेयक से संस्कृत को कुछ बल जरूर मिलेगा देश को एक बार फिर से सोचने के लिये स विधेयक ने अवसर दिया है।

इन शब्दों के साथ में इस विधेयक की भावना का हृदय से स्वागत करता हूं।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : मैं विधेयक के पक्ष और विपक्ष में बोलने वाले माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रदर्शन करता हूं। उन लोगों को तो श्री रघुनाथ सिंह ने करारा उत्तर दे दिया है जो यह कहते हैं कि संस्कृत फूट डलवाने वाली भाषा है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण कल जारी रख सकेंगे।

इसके पश्चात लोक सभा सोमवार ९ दिसम्बर, १९६३ / अग्रहायण १८, १८८५ (शक) के लिए स्थगित हुई।

---

†मूल अंग्रेजी में]

दैनिक संक्षेपिका

शुक्रवार, ६ दिसम्बर, १९६३
१५ अग्रहायण, १८८५ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर	१७४९–७४
	तारांकित प्रश्न संख्या	
४१४	ट्रैक्टरों का निर्माण	१७४९–५२
४१५	'टिस्को'	१७५२–५३
४१६	नकली रेशम और नाइलोन के कपड़े	१७५४–५५
४१८	कपड़ा मशीन उद्योग	१७५५–५६
४१९	नमक का उत्पादन तथा निर्यात	१७५६–५९
४२०	रबड़ के वृक्षों का पुनः रोपण	१७५९–६१
४२१	कोयले का उत्पादन	१७६१–६२
४२३	केले के चूर्ण का संयंत्र	१७६२–६४
४२४	हंगरी को चाय का निर्यात	१७६४–६५
४२५	कोयला खनन में प्रशिक्षण	१७६५–६६
४२६	विशाखापटनम में इस्पात कारखाना	१७६६–६८
४२७	नेपाल को व्यापार-पार-गमन सुविधायें	१७६८–७२
४२८	हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड	१७७२–७४
	प्रश्नों के लिखित उत्तर	१७७४–१८९५
	तारांकित प्रश्न संख्या	
४२९	औद्योगिक उत्पादन में कमी	१७७४–७५
४३१	ओरियन्ट पेपर मिल्स, मध्य प्रदेश	१७७५
४३२	कोयले की श्रेणियां निर्धारित करना	१७७५–७६
४३३	स्टाम्प शुल्क	१७७६
४३४	साइट्रिक एसिड का मूल्य	१७७६

विषय

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)

तारांकित
प्रश्न संख्या

४३५	खादी की बिक्री पर छूट . . .	१७७७
४३६	संसद में हिन्दी-अंग्रेज़ी में विधेयक	१७७७
४३७	सीमेंट की कमी . . .	१७७८
४३८	सरकारी क्षेत्र की इस्पात परियोजनायें	१७७८
४३९	सूती कपड़े की उत्पादन लागत	१७७८–७९
४४०	यूगोस्लाविया को चाय का निर्यात .	१७७९
४४१	सीमेंट की कमी	१७७९
४४२	दक्षिण-पूर्व एशिया का भारतीय व्यापार शिष्टमंडल द्वारा दौरा	१७७९–८०
४४३	पिंजौर में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स फैक्टरी	१७८०

अतारांकित
प्रश्न संख्या

११९४	हिन्दुस्तान इंसेक्टी साइड्स लिमिटेड, केरल .	१७८०–८१
११९५	नाहन फाउड्री लिमिटेड	१७८१
११९६	प्रागा टूल्स कारपोरेशन	१७८१–८२
११९७	महाराष्ट्र में कताई कारखाने . .	१७८२
११९८	पटसन का मूल्य . .	१७८२–८३
११९९	कपास के मूल्य . .	१७८३–८४
१२००	पालना खानें	१७८४
१२०१	गोआ में कच्चे लोहे की छोटी खानें . .	१७८४–८५
१२०२	गारो पहाड़ियों में छिद्रण कार्य .	१७८५
१२०३	साम्भर झील में नमक का उत्पादन . . .	१७८५–८६
१२०४	सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में लाभांश योजना .	१७८६
१२०५	राजस्थान में नये सीमेन्ट कारखाने . .	१७८६
१२०६	मोटर तथा मोटर साइकिल के पुर्जों का आयात . .	१७८७
१२०७	इस्पात के उत्पादन में रद्दी माल . .	१७८७–८८
१२०८	सीतापुर जिले (उत्तर प्रदेश) में इस्पात कारखाना .	१७८८
१२०९	मशीन निर्माण उद्योग . . .	१७८८–८९
१२१०	उत्तर प्रदेश में औद्योगिक बस्तियां . .	१७९०

विषय

पष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(जारी)

अतारांकित प्रश्न संख्या		
१२११	आसाम के सीमेन्ट कारखानों के लिये मशीनें	१७९०
१२१२	राज्य व्यापार निगम द्वारा वस्तुओं का व्यापार	१७९०–९१
१२१३	राज्य व्यापार निगम द्वारा दालों का निर्यात	१७९१
१२१४	झांसी (उत्तर प्रदेश) में औद्योगिक बस्तियां	१७९१
१२१५	केरल में रबड़ की खेती	१७९२
१२१६	फाउन्टेनपेन की स्याही तैयार करना	१७९२
१२१७	टिन प्लेटों का उत्पादन	१७९२–९३
१२१८	मैंगनीज़ और लौह अयस्क खानें	१६९३
१२१९	बेलारी (मैसूर राज्य) में इस्पात उद्योग	१७९३–९४
१२२०	कच्चा लोहा	१७९४
१२२१	छोटे पैमाने के उद्योगों को निर्यात सहायता	१७९४–९५
१२२२	भारी मशीन निर्माण संयंत्रों की डिजाइन संस्थायें	१७९५
१२२३	मछली पकड़ने की नावों के डीज़ल इंजन	१७९५–९६
१२२४	इस्पात तथा भारी उद्योग	१७९६
१२२५	केरल में ढले हुए लोहे के नल बनाने वाला कारखाना	१७९६
१२२६	अन्तर्राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन	१७९६–९७
१२२७	'फाइबर ग्लास'	१७९७
१२२८	पटसन की वस्तुओं का उत्पादन	१७९७
१२२९	ब्राजीली प्रतिनिधिमंडल	१७९८
१२३०	आसाम में लौह अयस्क	१७९८
१२३१	उत्तर प्रदेश के लिये कोयला	१७९८–९९
१२३२	विदेशों में सम्भरण मिशन	१७९९
१२३३	पानी के मीटरों का उत्पादन	१८००
१२३४	शक्तिचालित हलों का निर्माण	१८००
१२३५	स्कूटरों और मोटर साइकिलों के मूल्य	१८००–०१
१२३६	कोयले से तरल ईंधन	१८०१
१२३७	राज्य व्यापार निगम द्वारा भेजे गये प्रतिनिधिमंडल	१८०१–०२
१२३८	छोटे चाय उत्पादकों को ऋण	१८०२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर —(जारी)

अतारांकित

प्रश्न संख्या

१२३९	अधिवक्ता अधिनियम के अन्तर्गत वकीलों का नाम दर्ज करना	१८०२
१२४०	स्पीती तथा लाहौल में खनिज निक्षेप	१८०२–०३
१२४१	नंगल बांध में मशीनी औजार कारखाना	१८०३
१२४२	मद्रास विधान परिषद् का स्नातक निर्वाचन क्षेत्र	१८०३–०४
१२४३	रूरकेला इस्पात संयंत्र	१८०४
१२४४	लखपत क्षेत्र का सवक्षण	१८०४–०५
१२४५	भिलाई इस्पात कारखाना	१८०५
१२४६	नेवेली लिग्नाइट परियोजना	१८०५–०६
१२४७	रानीगंज में कोयला धोने वाले कारखाने	१८०७
१२४८	लोहा तथा इस्पात नियंत्रक, कलकत्ता का कार्यालय	१८०७
१२४९	फ्रांसीसी पत्रकार की कार	१८०८
१२५०	विक्टोरिया मिल्स कम्पनी लिमिटेड, कानपुर	१८०८
१२५१	चाय बागानों को राज सहायता देना	१८०८
१२५२	तृतीय क्षेणी के कोयले की ढुलाई	१८०९
१२५३	पत्थर के कोयले का आयात	१८०९–१०
१२५४	कार निर्माताओं के लिये विदेशी मुद्रा	१८१०
१२५५	बिहार में कोयले खानों में उत्पादन	१८१०
१२५६	बिहार की कोयला खानों के लिये मंगवाया गया उपरकण	१८११
१२५७	रूरकेला तथा दुर्गापुर इस्पात संयंत्रों के लिये लौह अयस्क का सम्भरण	१८११
१२५८	बाक्साइट	१८१२
१२५९	सैलेनियम मेटल पाउडर का आयात	१८१२–१३
१२६०	रद्दी लौह धातु का निर्यात	१८१३
१२६१	ऐक्टीवेटेड कार्बन का उत्पादन	१८१३
१२६२	रबराइज्ड नारियल रेशा कारखाना	१८१४
१२६३	उत्तर गुजरात कॉटन मिल	१८१४
१२६४	कांगड़ा टी प्लान्टर्स मार्केटिंग इन्डस्ट्रियल सोसाइटी लिमिटेड	१८१४
१२६५	बिहार में कोयला खानों का बन्द होना	१८१४–१५
१२६६	सिंगरेनी कोयला क्षेत्र में खनन मशीनरी संयंत्र	१८१५
१२६८	बोकारो इस्पात कारखाना	१८१५

विषय	पृष्ठ
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	१८१६–२०
श्री रामचन्द्र विट्ठल बड़े ने ५ दिसम्बर, १९६३ को अम्मनब्रोलू और करवदि स्टेशनों के बीच एक बिना चौकीदार वाले रेल फाटक पर एक लारी की हावड़ा-मद्रास एक्सप्रेस के साथ हुई कथित टक्कर की ओर, जिसके फलस्वरूप चार व्यक्तियों की मृत्यु हो गई, रेलवे मंत्री का ध्यान दिलाया।	
रेलवे उपमंत्री (श्री सें० वें० रामस्वामी) ने इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दिया।	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	१८२०–२१
(१) खान और खनिज (विनियमन तथा विकास) अधिनियम, १९५७ की धारा २८ की उप-धारा (१) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—	
(एक) दिनांक ५ अक्तूबर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी०एस० आर० १५९५ में प्रकाशित खनिज रियायत (आठवां संशोधन) नियम, १९६३।	
(दो) दिनांक २६ अक्तूबर, १९६३ की अधिसूचना संख्या जी०एस० आर० १६८५ में प्रकाशित खनिज रियायत (नवां संशोधन) नियम, १९६३।	
(२) व्यापार तथा पण्य चिह्न अधिनियम, १९५८ की धारा १२६ के अन्तर्गत ३१ मार्च, १९६३ को समाप्त हुए वर्ष के लिए व्यापार चिह्न पंजीयन कार्यालय के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति।	
(३) निमक विभाग की वर्ष १९६२–६३ के प्रतिवेदन की एक प्रति।	
लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन—उपस्थापित	१८२१
सौलहवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।	
सदस्य द्वारा वक्तव्य	१८२२–२३
श्री शिवचरण गुप्त ने २७ नवम्बर, १९६३ को श्री हुकुम चन्द कछवाय द्वारा अचल सम्पत्ति का अधिग्रहण तथा अर्जन (संशोधन) विधेयक, १९६३ पर चर्चा के दौरान सभा में उनके विरुद्ध लगाये गये कुछ आरोपों के बारे में एक वक्तव्य दिया।	
तीसरी पंचवर्षीय योजना के मध्यकालीन मूल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव	१८२३–३२
श्री ब० रा० भगत द्वारा ५ दिसम्बर, १९६३ को प्रस्तुत तीसरी पंच वर्षीय योजना के मध्यकालीन मूल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव पर चर्चा जारी रही। चर्चा समाप्त नहीं हुई।	

विषय पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन–स्वीकृत १८३२

उनत्तीसवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।

गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक––पुरस्थापित १८३२–३३

संविधान (संशोधन) विधेयक, १९६३ (अनुच्छद ७४, ७५ आदि का संशोधन) (श्री शिवमूर्त्ति स्वामी का)

गर-सरकारी सदस्य का विधेयक––परिचालन के बारे में प्रस्ताव––विचाराधीन १८३३–४८

श्री चं० का० भट्टाचार्य द्वारा प्रस्तुत संविधान (संशोधन) विधेयक, १९६२ (अनुच्छद ३४३ का संशोधन) को उस पर राय जानने के लिये, ३१ मार्च, १९६४ तक परिचालित करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर और २२ नवम्बर, १९६३ को प्रस्तुत तत्सम्बन्धी संशोधन पर चर्चा जारी रही।

विधेयक पर चर्चा के लिये नियत समय को एक घंटा और बढ़ाने के बारे में श्री दी० चं० शर्मा द्वारा प्रस्तुत एक प्रस्ताव पर सभा में मत-विभाजन हुआ, पक्ष में ८१; विपक्ष में १९। तदनुसार प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री हरि विष्णु कामत द्वारा प्रस्तुत विधेयक पर वाद-विवाद को स्थगित करने सम्बन्धी प्रस्ताव पर सभा में मत-विभाजन हुआ, पक्ष में १०; विपक्ष में ३९। तदनुसार प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ।

चर्चा समाप्त नहीं हुई।

सोमवार, ९ दिसम्बर, १९६३ / १८ अग्रहायण, १८८५ (शक) के लिये कार्यावलि

तीसरी पंचवर्षीय योजना के मध्यकालीन मूल्यांकन सम्बन्धी प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव पर अग्रतर चर्चा।

GMGIPND—LS III—1801 (ai) LSD—18-1-64—160.

विषय-सूची —क्रमश :

	पृष्ठ
संविधान (संशोधन) विधेयक, १९६३ (अनुच्छेद ७४, ७५ आदि का संशोधन) (श्री शिवमूर्ति स्वामी का)—पुरःस्थापित . . .	१८३२—३३
संविधान (संशोधन) विधेयक, १९६२ (अनुच्छेद ३४३ का संशोधन) [श्री च० का० भट्टाचार्य का]	१८३३–४९
परिचालित करने का प्रस्ताव	१८३३
श्री रामेश्वरानन्द . . .	१८३३–३६
श्री ही० ना० मुकर्जी	१८३६–३८
श्री राम सेवक यादव	१८३८–४०
श्री द्वा० ना० तिवारी	१८४०—४१
श्री हनुमन्तैया	१८४१—४२
डा० मा० श्री० अणे	१८४२—४३
श्री रंगा	१८४४
श्री अ० त्रि० शर्मा	१८४४—४५
श्री मुत्तु गोंडर	१८४५
श्री रघुनाथ सिंह	१८४५–४७
श्री प्रकाशवीर शास्त्री	१८४७–४९
श्री दी० चं० शर्मा	१८४९
दैनिक संक्षेपिका	१८५०–५५

PLS. 41. XXIII. 75. 63.
160

© १९६३ प्रतिलिप्यधिकार लोक-सभा सचिवालय को प्राप्त ।

लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियम (पांचवां संस्करण) के नियम ३७९ और ३८२ के अन्तर्गत प्रकाशित और भारत सरकार मुद्रणालय, नई दिल्ली की संसदीय शाखा में मुद्रित ।